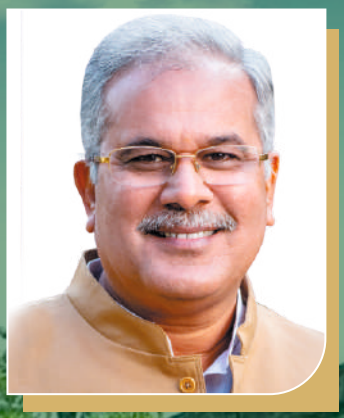

श्री भूपेश बघेल
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

श्री मोहम्मद अकबर
माननीय वनमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2020-21

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

मड़गांव जलप्रपात, केशकाल

माननीय मुख्य मंत्री (छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम पक्षी महोत्सव का समापन समारोह, दुर्ग वन मंडल)

श्री भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन, (वन प्रबंधन समितियों द्वारा निर्मित सामग्रियों की प्रदर्शनी का निरीक्षण, अरण्य भवन नवा रायपुर)

औषधि प्रसंस्करण केन्द्र का उद्घाटन, दुगली, वनमंडल धमतरी

पारंपरिक ढेंकी पद्धति द्वारा चांवल प्रसंस्करण केन्द्र का निरीक्षण, मरवाही वनमंडल

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व संभाग द्वारा तेंदुआ खाल तस्करों पर की गई कार्यवाही

हाथी को रेडियो कॉलर पहनाते हुए, कोरबा वनमंडल

छत्तीसगढ़ शासन

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

माननीय मंत्री	-	श्री मोहम्मद अकबर

सचिवालय

प्रमुख सचिव	-	श्री मनोज कुमार पिंगुआ
सचिव	-	श्री प्रेम कुमार

विभागाध्यक्ष

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख	-	श्री राकेश चतुर्वेदी
अध्यक्ष छ.ग. राज्य जैव विविधता बोर्ड	-	श्री राकेश चतुर्वेदी
निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	-	श्री अतुल शुक्ल
प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित	-	श्री संजय शुक्ला
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण - सह-मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक)	-	श्री पी.व्ही. नरसिंगराव
प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	-	श्री पी.सी. पाण्डेय
मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड	-	श्री जे.ए.सी.एस. राव

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
1	मंत्रालय / विभागाध्यक्ष कार्यालय की जानकारी	01
	भाग - एक	
2	विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय	02–08
3	वन विभाग के दायित्व	09
4	विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, विशेषताएं, महत्वपूर्ण सांख्यिकी एवं छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम – 2011	09–13
5	छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति – 2001	14
6	विकास एवं योजना	15–23
7	संरक्षण	24–27
8	संयुक्त वन प्रबंधन एवं नीति विश्लेषण	28–41
9	बाँस मिशन	42–45
10	भू–प्रबंध	46
11	उत्पादन	47–48
12	अनुसंधान एवं विस्तार	49–55
13	मानव संसाधन विकास	56
14	सूचना प्रौद्योगिकी	57–58
15	वन प्रबंधन सूचना प्रणाली	59–60
16	सतर्कता एवं शिकायत	61
17	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	62–66
18	कार्य आयोजना	67
19	वित्त–बजट	68
20	राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	69–73
	भाग - दो	
21	वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण	74–84
	भाग - तीन	
22	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	85–87
	भाग - चार	
23	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित	88–103
	भाग - पांच	
24	छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड	104–109
	भाग - छः	
25	छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड	110–113

भाग – एक

2. विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय

वन विभाग के समस्त प्रशासकीय एवं तकनीकी कार्यालयों का संचालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से होता है। मुख्यालय स्तर पर प्रशासकीय संरचना निम्नानुसार है :–

2.1 वन मुख्यालय (अरण्य भवन) नवा रायपुर अटल नगर में पदस्थ/प्रभारी अधिकारियों का विवरण

क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री राकेश चतुर्वेदी (1985)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़	26.02.2019	
2	श्री पी.व्ही. नरसिंग राव (1987)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), छत्तीसगढ़ नवा रायपुर	19.06.2020	
3	श्री के. मुरूगन (1987)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन एवं नीति विश्लेषण), छत्तीसगढ़ नवा रायपुर	11.05.2018	
4	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (1987)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनु/मूल्यांकन) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर	10.11.2020	
5	श्री सुधीर कुमार अग्रवाल (1988)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर	09.11.2020	
6	श्री जयसिंह म्हस्के (1988)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़ नवा रायपुर	09.11.2020	
7	श्री यूनुस अली (1988)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास/सूचना प्रौद्योगिकी) छ.ग. नवा रायपुर	26.02.2019	
8	श्री तपेश कुमार झा (1989)	अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (विकास योजना), छत्तीसगढ़ नवा रायपुर	30.12.2020	
9	श्रीमती अनिता नंदी (1991)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./अराज.), छत्तीसगढ़ नवा रायपुर	06.10.2018	
10	श्री एम.टी. नंदी (1991)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज./सम) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर	21.12.2020	
11	श्री सुनील कुमार मिश्रा (1994)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर	09.11.2020	
12	श्री ए.के. बिश्वास (1994)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़	10.11.2020	
13	श्री ओम प्रकाश यादव (1995)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), छत्तीसगढ़ नवा रायपुर	10.11.2020	
14	श्रीमती संजीता गुप्ता (1997)	मुख्य वन संरक्षक (सत./शिका.) छ.ग. नवा रायपुर	08.12.2020	
15	श्री एच.एल. रात्रे (1997)	मुख्य वन संरक्षक (ईको–टूरिज्म) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर	02/2020	
16	डॉ. सोमा दास (2002)	मुख्य वन संरक्षक (बांस मिशन) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर	08.12.2020	

क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
17	श्री श्रीनिवास तन्नेटी	वन संरक्षक (प्रशा.राज./सम.) छ.ग. नवा रायपुर	08.12.2020	
20	श्री राजेश कुमार चंदेले (2003)	उप वन संरक्षक (संरक्षण) कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. रायपुर	28.12.2020	
21	श्री एस. जगदीशन (2005)	वन संरक्षक (प्रशा./अराज.) कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. नवा रायपुर	04.02.2020	
22	श्री आलोक कुमार तिवारी (2007)	उप वन संरक्षक (सं.व.प्र. एवं नी.वि.) कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. नवा रायपुर	08.12.2020	
23	श्री वरूण जैन(2017)	उप वन संरक्षक, वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वन मंडल, अरण्य भवन नवा रायपुर	08.12.2020	
24	श्रीमती प्रियंका पाण्डेय (2012)	उप वन संरक्षक, कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. नवा रायपुर	07.07.2020	
25	श्रीमती प्रणीता पाल (2001)	मुख्य वन संरक्षक (दि. 01.07.2019 से 30 .06.2021 तक अध्ययन अवकाश पर)		
26	श्री राजेश कल्लाजे (2001)	मुख्य वन संरक्षक (दि. 01.07.2019 से 30 .06.2021 तक अध्ययन अवकाश पर)		

वन मुख्यालय (अरण्य भवन) रायपुर में पदस्थ सहायक वन संरक्षक अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना	पदस्थिति दिनांक
1	श्री आर.ए. पाठक	उप वन संरक्षक (रोकड़), कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर	23.08.2019
2	श्री चंद्रभान अग्रवाल	सहायक जनसूचना अधिकारी, कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर	19.03.2018
3	श्री सुबीर चंद्र तिवारी	संपदा अधिकारी, कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर	23.08.2019
4	श्री एम.के. राय	सहायक वन संरक्षक (प्रशा.राज./सम) कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर	29.09.2020
5	श्री संजय लूथर	सहायक वन संरक्षक कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर	07.12.2020

छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा अरण्य भवन नवा रायपुर

क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री व्ही. श्रीनिवास राव (1990)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर	27.08.2018	
2	श्री एस. वेंकटाचलम (2005)	संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य कैम्पा नवा रायपुर अटल नगर	13.02.2020	
3	श्री अमिताभ बाजपेयी (2007)	उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा), कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. रायपुर	08.12.2020	
4	श्री डी.के.एस. मौर्य	सहायक वन संरक्षक (कैम्पा) कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर	06.11.2019	

छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर में पदस्थ अधिकारियों की सूची

अनु क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री अतुल कुमार शुक्ल (1986)	संचालक छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	19/06/2020	
2	श्री कौशलेन्द्र कुमार (1992)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	23/06/2020	
3	श्री बी. विवेकानंद रेड्डी (2009)	प्रभारी वन संरक्षक एवं अपर संचालक (राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान) रायपुर	23/08/2019	
3	श्रीमती निर्मला खेस	सहायक वन संरक्षक (छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान)	13/09/2017	

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर में पदस्थ अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री जे.ए.सी.एस. राव (1987)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, रायपुर	06.02.2020	
2	श्री रमेश चन्द्र दुग्गा (2007)	प्रभारी अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनौषधि पादप बोर्ड रायपुर	08/12/2020	

छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड, नवा रायपुर में पदस्थ अधिकारियों की सूची

अनु क्र.	पदनाम	अधिकारी का नाम	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य जैव विविधता बोर्ड, अटल नगर रायपुर	श्री अरुण कुमार पाण्डेय् (1994)	30/12/2020	

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर में पदस्थ अधिकारियों की सूची

अनु क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री संजय शुक्ला (1987)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर	30/11/2019	
2	श्री एस.एस. बजाज (1988)	अपर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर	23/06/2020	
3	श्री बी. आनंद बाबू (1992)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर	04/02/2020	
4	श्री अमरनाथ प्रसाद (1998)	कार्यकारी संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर	31/12/2020	
5	श्री रमेश कुमार जांगड़े (2013)	उप महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ नवा रायपुर	04/02/2020	

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर में पदस्थ अधिकारियों की सूची

अनु क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री पी.सी. पाण्डेय् (1987)	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, रायपुर	10/11/2020	
2	श्री एस.एस. कंवर (2002)	कार्यकारी संचालक, छ.ग.राज्य वन विकास निगम, नवा रायपुर अटल नगर	08/12/2020	
3	श्री राजू अगासिमनि (2006)	वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, नवा रायपुर	08/12/2020	
4	श्री दुलेश्वर प्रसाद साहू (2013)	उप वन संरक्षक एवं संभागीय प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, नवा रायपुर	23/08/2019	
5	श्री जे.आर. राठिया (2014)	उप वन संरक्षक एवं संभागीय प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, नवा रायपुर	23/08/2019	
6	श्री जाधव सागर रामचन्द्रा (2017)	उप वन संरक्षक एवं संभागीय प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, नवा रायपुर	08/12/2020	
7	श्री शशिगानन्दन के. (2017)	उप वन संरक्षक एवं संभागीय प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, नवा रायपुर	08/12/2020	
8	श्री अभिषेक जोगावत (2017)	उप वन संरक्षक एवं संभागीय प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, नवा रायपुर	08/12/2020	

2.2 स्वीकृत एवं कार्यरत् अधिकारियों का विवरण

क्र.	पदनाम	स्वीकृत संवर्गीय पदों की संख्या	कार्यरत् पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	04	03	01
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	14	13	01
3	मुख्य वन संरक्षक	14	10 + 02 (अध्ययन अवकाश पर)	04
4	वन संरक्षक	22	07	15
5	उप वन संरक्षक	42	46 + + 05 (प्रशिक्षण पर)	–
6	सहायक वन संरक्षक	189	154	35
7	संचालक, बजट	01	01	–
8	प्रशासनिक अधिकारी	02	00	02
9	स्टाफ आफिसर	01	00	01
10	लेखा अधिकारी	03	03	–
11	सांख्यिकी सहायक	03	00	03
12	आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	02	01	01

2.3 वर्तमान में कार्यरत कार्यपालिक एवं लिपिकीय अमला

वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त अमला निम्नानुसार है :-

क्रं.	पदनाम	मुख्यालयीन अमला			मैदानी अमला		
		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वनक्षेत्रपाल	6	36	-30	485	195	290
2	उप वनक्षेत्रपाल	0	0	0	650	590	60
3	वनपाल	0	0	0	1668	1531	137
4	वनरक्षक	5	5	0	4856	3706	1150
	योग :-	**11**	**41**	**-30**	**7659**	**6022**	**1637**
1	कार्यालय अधीक्षक	6	6	0	7	4	3
2	लेखा अधीक्षक	10	8	2	7	3	4
3	मुख्य लिपिक/सहायक ग्रेड – 1	26	25	1	52	49	3
4	लेखापाल/सहायक ग्रेड – 2	52	47	5	521	482	39
5	सहायक ग्रेड–3	58	24	34	709	529	180
6	वरिष्ठ निज सहायक	10	10	0	0	0	0
7	निज सहायक	9	6	3	21	16	5
8	शीघ्र लेखक	11	7	4	39	21	18
9	मानचित्राकार	7	3	4	90	43	47
10	प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0
11	सहायक प्रोग्रामर	3	3	0	7	6	1
12	डाटा एन्ट्री आपरेटर	34	20	14	73	59	14
13	डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा)	0	0	0	2	0	2
14	सहायक निरीक्षक (प्रतिनियुक्ति पर)	0	0	0	7	0	7
15	सांख्यिकी सहायक (प्रतिनियुक्ति पर)	2	0	2	0	0	0
16	पुलिस कांस्टेबल (प्रतिनियुक्ति पर)	0	0	0	28	0	28
17	वाहन चालक (संविदा)	0	0	0	28	0	28
18	लेखापाल (एस.ए.एस.) (प्रतिनियुक्ति पर)	3	2	1	0	0	0
19	सहायक लाईब्रेरियन	1	0	1	0	0	0
20	तकनीकी सहायक (वानिकी अनुसंधान)	3	3	0	0	0	0
21	लैब टेक्नीशियन (वानिकी अनुसंधान)	2	2	0	0	0	0
22	सांख्यिकी सहायक अधिकारी	1	0	1	0	0	0
23	अनुसंधान सहायक	6	0	6	0	0	0
24	स्टेनो टायपिस्ट	1	0	1	0	0	0
25	हल्का वाहन चालक	30	20	10	138	100	38
26	भारी वाहन चालक	1	0	1	132	72	60
27	शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)	1	0	1	0	0	0
28	पी. टी. आई	0	0	0	3	2	1

क्रं.	पदनाम	मुख्यालयीन अमला			मैदानी अमला		
		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8
29	पशु चिकित्सा कम्पाण्उण्डर	0	0	0	1	1	0
30	सुरपरवाईजर	2	2	0	0	0	0
31	पशु चिकित्सक (संविदा)	0	0	0	18	13	5
	योग :-	**280**	**188**	**92**	**1883**	**1400**	**483**
1	कोटवार (दैनिक दर पर कार्यरत)	0	0	0	85	0	85
2	ट्रक एवं ट्रैक्टर क्लीनर	0	0	0	35	32	3
3	भृत्य/चौकीदार/अर्दली	35	34	1	453	424	29
4	दफ्तरी	4	4	0	0	1	-1
5	जमादार	2	0	2	0	0	0
6	वन्यजीव परिचारक	0	0	0	4	1	3
7	ट्रक एवं ट्रैक्टर क्लीनर (जिलाध्यक्ष दर पर)	0	0	0	123	18	105
8	स्वीपर (जिलाध्यक्ष दर पर)	5	0	5	55	11	44
9	चौकीदार (जिलाध्यक्ष दर पर)	0	0	0	407	44	363
	योग :-	**46**	**38**	**8**	**1162**	**531**	**631**
	कुल योग :-	**337**	**267**	**70**	**10704**	**7953**	**2751**
सांख्येत्तर							
1	वनरक्षक	0	0	0	350	222	0
2	वन चौकीदार	0	0	0	492	242	0
3	वायरलेस आपरेटर	0	0	0	161	129	0
4	भृत्य/चौकीदार	0	0	0	1412	783	0
	योग :-	**0**	**0**	**0**	**2415**	**1376**	**0**
	महायोग :-	**337**	**267**	**70**	**13119**	**9329**	**2751**

वन विभाग की मैदानी ईकाइयाँ

क्षेत्रीय वन वृत्त

वन वृत्त रायपुर
वन मंडल (5)

1. रायपुर
2. बलौदाबाजार
3. गरियाबंद
4. महासमुंद
5. धमतरी

वन वृत्त दुर्ग
वन मंडल (5)

1. दुर्ग
2. बालोद
3. कवर्धा
4. राजनांदगांव
5. खैरागढ़

वन वृत्त बिलासपुर
वन मंडल (9)

1. बिलासपुर
2. मुंगेली
3. मरवाही
4. कोरबा
5. कटघोरा
6. रायगढ़
7. धरमजयगढ़
8. जांजगीर–चांपा
9. अनु.एवं विस्तार वनमंडल,बिलासपुर

वन वृत्त सरगुजा
वन मंडल (6)

1. सरगुजा
2. सूरजपुर
3. बलरामपुर
4. कोरिया
5. मनेंद्रगढ़
6. जशपुर

वन वृत्त कांकेर
वन मंडल (6)

1. कांकेर
2. पूर्व भानुप्रतापपुर
3. प. भानुप्रतापपुर
4. केशकाल
5. दक्षिण कोण्डागांव
6. नारायणपुर

वन वृत्त जगदलपुर
वन मंडल (5)

1. बस्तर
2. बीजापुर
3. सुकमा
4. दंतेवाड़ा
5. अनु. एवं विस्तार वनमंडल जगदलपुर

कार्य आयोजना वृत्त

वन वृत्त कार्य आयोजना बिलासपुर एवं रायपुर
वन मंडल (6)

1. रायपुर
2. बिलासपुर
3. दुर्ग
4. सरगुजा
5. कांकेर
6. जगदलपुर

3. वन विभाग के दायित्व

विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार है :-

- राज्य की समृद्ध जैव–सांस्कृतिक विविधता एवं विरासतों का संरक्षण।
- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना।
- संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से राज्य के वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं समेकित विकास करना।
- वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु संरक्षित क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास।
- वनों से कार्य आयोजना के अनुसार इमारती काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, बाँस का उत्पादन एवं निवर्तन
- अकाष्ठीय वन उत्पादों का संग्रहण, भंडारण, मूल्य संवर्धन एवं निवर्तन कर संग्राहकों को अधिकाधिक लाभ दिलाना।
- वनों पर आश्रित समुदायों की आवश्यकताओं की उपलब्धतानुसार निस्तार पूर्ति।
- गैर वानिकी क्षेत्रों में वानिकी का विस्तार।
- वनाश्रित समुदायों के आर्थिक उत्थान के कार्य करना।

4. विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, विशेषताएँ, महत्वपूर्ण सांख्यिकी

4.1 सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.11 प्रतिशत है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21 प्रतिशत है। राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है।

छत्तीसगढ़ राज्य के वन - एक दृष्टि में

वन वर्गीकरण	वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)	प्रतिशत
अ. वैधानिक स्थिति		
आरक्षित	25782.17	43.13
संरक्षित	24036.10	40.22
अवर्गीकृत	9954.13	16.65
योग	59772.40	100.00
ब. वनों के प्रकार		
साल	24244.88	40.56
सागौन	5633.13	9.42
मिश्रित	26018.38	43.52
कार्य अयोग्य	3876.01	6.50
योग	59772.40	100.00
स. वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र		
राष्ट्रीय उद्यान – 3 टायगर रिजर्व – 3 वन्यप्राणी अभ्यारण्य – 11 बायोस्फियर रिजर्व – 1	14835.868	24.82

4.2 राज्य के वन एवं उनका महत्व

छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार 17°46′ से 24°06′ उत्तर अक्षांश तथा 80°15′ से 84°51′ पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य में 4 प्रमुख नदी प्रणालियों क्रमशः महानदी, गोदावरी, नर्मदा और वैनगंगा का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है। महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, ईब राज्य की प्रमुख नदियॉ हैं। राज्य की जलवायु मुख्यतः सह आर्द्र तथा औसत वार्षिक वर्षा 1200 से 1500 मि.मी. है।

राज्य के वनों को दो प्रमुख वर्गो में विभाजित किया गया है, यथा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपातीय वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वन। राज्य की दो प्रमुख वृक्ष प्रजातियॉ साल (शोरिया रोबस्टा) तथा सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस) हैं। इसके अतिरिक्त शीर्ष वितान में बीजा (टेरोकार्पस मार्सूपियम), साजा (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा), धावड़ा (एनागाईसिस लैटिफोलिया), महुआ (मधुका इंडिका), तेन्दू (डायोस्पाईरस मेलैनौजाईलान) प्रजातियाँ हैं। मध्य वितान में आंवला (एम्बलिका ऑफिसिनेलिश), कर्रा (क्लीस्टेन्थस कोलाइनस) तथा बाँस (डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस) आदि महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं। भूतल भाग में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हैं जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो हैं ही, साथ ही वे वन–वासियों के आजीविका का प्रमुख साधन भी हैं।

जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेकन जैव क्षेत्र में शामिल हैं, तथा मध्य भारत की प्रतिनिधि वन्य प्राणी जैसे शेर (पेन्थरा टाईग्रिस), तेन्दुआ (पेन्थरा पार्डस), गौर (बॉस गौरस), सांभर (सेरवस यूनिकलर), चीतल (एक्सेस एक्सेस), नील गाय (बोसेलाफस ट्रेगोकेमेलस) एवं जंगली सुअर (सस स्क्रोफा) से परिपूर्ण है। दुर्लभ वन्य प्राणी जैसे वन भैंसा (बूबैलस बूबैलिस) तथा पहाड़ी मैना (ग्रैकुला इंडिका) इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर हैं जिन्हें क्रमशः राज्य पशु एवं राज्य पक्षी घोषित किया गया है। साल वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है।

यह राज्य, कोयला, लोहा, बॉक्साईट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टीन इत्यादि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, जो मुख्यतः वन क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं।

राज्य के लगभग 50 प्रतिशत गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं, जहां के निवासी मुख्यतः आदिवासी हैं एवं आर्थिक रुप से पिछड़े हैं जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में गैर आदिवासी, भूमिहीन एंव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय भी वनों पर आश्रित हैं। वानिकी कार्यों से प्रतिवर्ष लगभग 07 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है। वनों से ग्रामीणों को लगभग 2000 करोड़ रुपये का लघु वनोपज एवं अन्य निस्तार सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के संवहनीय एवं सर्वागींण विकास परिदृश्य में वनों का विशिष्ट स्थान है।

4.3 छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3–1/2011/1/6, दिनांक 12.12.2011 द्वारा प्रवृत्त हो गया है। अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम, 2011

बनाये गये हैं जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 को किया गया है। उक्त नियम दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 से प्रभावशील हो गए हैं।

अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा दिनांक 16.12.2011 को अधिसूचना जारी कर, वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी, एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है :–

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	मालिक मकबूजा काष्ठ का भुगतान (डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के उपरांत)	45 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
2	कार्यालय काष्ठागार अधिकारी / परिक्षेत्रधिकारी	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना–शासकीय काष्ठागार हेतु	7 कार्य दिवस	काष्ठागार अधिकारी / परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित उपवनमण्डल अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी
3	कार्यालय परिक्षेत्रधिकारी	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी / विनिर्माता हेतु	7 कार्य दिवस	परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित उपवनमण्डल अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी
4	कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना भूमि स्वामी की काष्ठ हेतु	30 कार्य दिवस	उप वन मण्डल अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक
5	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	शासकीय काष्ठ के परिवहन का भुगतान (काष्ठ के काष्ठागार पहुंचने तथा बिल जमा करने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
6	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	आरामिल अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण / निराकरण (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
7	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के विनिर्माताओं, व्यापारियों, बढ़ई तथा उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
8	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी अथवा निराकरण (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
9	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	बसोड़ बही बनाने के आवेदन का निराकरण	20 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
10	कार्यालय परिक्षेत्राधिकारी	वन्यप्राणी द्वारा की गई फसल/सम्पत्ति को क्षति का क्षतिपूर्ति भुगतान(बजट उपलब्ध होने एवं ट्रेजरी में बिल एक सप्ताह के अंदर पास होने की स्थिति में)	40 कार्य दिवस	संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक
11	कार्यालय परिक्षेत्राधिकारी	वन्यप्राणी द्वारा जनहानि/ जनघायल प्रकरण में मुआवजा भुगतान (बजट उपलब्ध होने एवं ट्रेजरी में बिल एक सप्ताह के अंदर पास होने की स्थिति में)	40 कार्य दिवस	संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक
12	कार्यालय परिक्षेत्राधिकारी	वन्यप्राणी द्वारा पशुहानि का क्षतिपूर्ति भुगतान निराकरण (बजट उपलब्ध होने एवं ट्रेजरी में बिल एक सप्ताह के अंदर पास होने की तिथि में)	40 कार्य दिवस	संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक
13	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर	तेन्दूपत्ता संग्राहकों के समूह बीमा एवं जनश्री बीमा योजना अंतर्गत दावा के पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर तैयार कर प्रबंध संचालक जिला यूनियन कार्यालय भेजना (पूर्ण आवेदन प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि)	30 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक, जिला यूनियन
14	कार्यालय प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	तेन्दूपत्ता संग्राहकों की समूह बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना के पूर्ण प्रकरण परीक्षण कर जिला यूनियन कार्यालय से जीवन बीमा निगम रायपुर को भेजना	30 कार्य दिवस	प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक	कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ
15	कार्यालय उप प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	तेंदूपत्ता संग्राहकों की समूह बीमा योजना एवं जनश्री बीमा वनोपज सहकारी समितियों को पहुंचाना (जीवन बीमा निगम से चेक जिला यूनियन कार्यालय में प्राप्त होने पर)	35 कार्य दिवस	उप प्रबंध संचालक जिला यूनियन	प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक
16	कार्यालय प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	जिला यूनियन से प्राप्त समूह बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना के चेक को प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति द्वारा हितग्राही को वितरित करना।	30 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
17	कार्यालय प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	तेंदूपत्ता संग्राहकों के पुत्र/पुत्रियों को जनश्री बीमा योजना अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के द्वारा छात्रवृत्ति के चेक का वितरण (जिला यूनियन से राशि प्राप्त होने पर)	35 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
18	कार्यालय प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	लघु वनोपज के प्रोत्साहन परिश्रमिक (बोनस) वितरण	30 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
19	कार्यालय पोषक अधिकारी, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	तेन्दूपत्ता व सालबीज के संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान	30 कार्य दिवस	पोषक अधिकारी, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
20	कार्यालय प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	लघु वनोपज संग्राहक परिवार को चरण पादुका वितरण (जिला यूनियन में पूर्ण चरण पादुका प्राप्त होने पर)	45 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
21	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	परिवहन ठेकों की स्वीकृति	15 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
22	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	परिवहन बिलों का भुगतान	30 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
23	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	विक्रित वनोपज का स्वीकृति आदेश	15 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
24	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	वनोपज निर्वर्तन हेतु कार्य आदेश	7 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
25	कार्यालय सत्यांकार अधिकारी/उप मंडल प्रबंधक	असफल बोलीदार की सत्यंकार राशि की वापसी	7 कार्य दिवस	सत्यांकार अधिकारी/उप मंडल प्रबंधक	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक
26	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	कार्योपरांत जमानत राशि की वापसी	30 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
27	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	खुली दरों पर परिवहन आवेदन का निराकरण	15 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
28	कार्या. मंडल प्रबंधक/ क्षेत्रीय महा प्रबंधक/ प्रबंधक (प्रशासन)	क्रय की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन	7 कार्य दिवस	सहायक प्रबंधक/उप प्रबंधक	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक
29	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	डिपों से वनोपज के परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करना	1 कार्य दिवस	परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी	उप मंडल प्रबंधक	मंडल प्रबंधक
30	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	वनोपज ठेकेदारों को राजस्व वापसी	30 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक

5. छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति 2001

छत्तीसगढ़ राज्य ने जनोन्मुखी वन नीति बनाई है, जिसने वन प्रबंधन को एक नई दिशा देने में ठोस पहल की है। नीति में वन संसाधन के सतत् एवं टिकाऊ प्रबंधन से समाज के आदिवासी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीब वर्ग के लोगो की सुरक्षा की परिकल्पना की गई है।

वन नीति के मूलभूत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए गये हैं एवं इनका सभी स्तरों पर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

5.1 वन नीति-2001 के मूल उद्देश्य

- संवहनीय आधार पर राज्य के विपुल वन संसाधन को खुली–पहुंच–संसाधन (ओपन एक्सेस रिसोर्स) से समुदाय द्वारा नियंत्रित संसाधन के रूप में, प्राथमिकता निर्धारित करते हुए, संरक्षित एवं प्रबन्धित संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हुये स्थानीय निवासियों के दीर्घ कल्याण हेतु उपलब्ध कराना।
- प्रमुख वनोपज (काष्ठ) से लघुवनोपज, एकल स्तरीय से बहुस्तरीय वन प्रबंधन तथा प्रमुख वन्य प्राणियों के समस्त छोटे बड़े घटकों को समानुपातिक महत्व दिया जाना।
- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर, पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना।
- जैविक रूप से सम्पन्न प्राकृतिक वन, जो आदिवासी जन जीवन के प्रमुख सांस्कृतिक आधार हैं, को सुरक्षित रखकर राज्य की जैव सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना।
- नदियों एवं जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में होने वाले भू–क्षरण एवं वन आवरण कमी को नियंत्रित करना ताकि बाढ़ एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न न हो। निरंतर गिर रहे भू–जल स्तर को सर्वोत्कृष्ट उपयोग स्तर पर लाना और जलाशयों में गाद (सिल्ट)जमा होने की गति में कमी लाना।
- कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वृक्ष रहित, अनुत्पादक भूमि पर कृषि वानिकी एवं वृक्ष खेती जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वन आवरण में वृद्धि करना।
- वनों की धारक क्षमता को ध्यान में रखकर ग्रामीण एवं आदिवासी जनता की जलाऊ, छोटी ईमारती लकड़ी,चारा एवं लघु वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- वनों को केवल आर्थिक लाभ का स्त्रोत न मानते हुए राज्य के पर्यावरणीय स्थायित्व एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।
- उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समुचित नीति एवं वैधानिक संरचना सृजित करना।

6. विकास / योजना

6.1 बिगड़े वनों का सुधार

आबादी से घिरे तथा अत्यधिक चराई एवं निस्तार आपूर्ति का दबाव सहते हुए ऐसे वन क्षेत्र जिसका घनत्व कम हो गया है, उसे सामान्यतः बिगड़े वनो के रुप में वर्गीकृत किया जाता हैं। इन विरल वनक्षेत्रों को पुनः सघन क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए, इन क्षेत्रों में उपलब्ध जल भंडार तथा रिक्त क्षेत्रों में उपलब्ध जड़ भण्डार का उपचार कर वृक्षारोपण द्वारा वन आवरण को पुनः स्थापित करने का प्रयास इस योजना में किया जाता है। साथ ही यह प्रयास भी किया जाता है कि क्षेत्र में मृदा एवं जल का संरक्षण करते हुए इन क्षेत्रों की उत्पादकता को बढाया जाता है। ऐसे कार्यो की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब स्थानीय निवासियों का सहयोग क्षेत्र के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी कार्यो में प्राप्त किया जायें। इस योजना में स्थानीय संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है और सुधार कार्य के प्रथम वर्ष में प्राप्त होने वाली वनोपज को समितियों को प्रदान किया जाता है। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बिगड़े वनों के सुधार की योजना में निर्धारित राशि इन समितियों को प्रदान की जाती है।

राज्य के विभिन्न वनमंडलों की कार्य योजनाओं के अनुसार बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रबंधन वृत्त के अंतर्गत वर्षवार निम्नानुसार कार्य संपादित किया गया है :–

वित्तीय वर्ष	रोपण/रोपण सहित कार्य (हे.में)	पुराने रोपण क्षेत्रों का रखरखाव (हे.में)
2018–19	47135	128650
2019–20	44700	118920
2020–21 (जनवरी)	30456	106709

6.2 बिगड़े बांस वनों का सुधार

इस योजना के अंतर्गत ऐसे बांस वनों का चयन किया जाकर कार्य आयोजना में उनके उपचार का प्रावधान किया जाता है जिसमें बांस के भिर्रे जीर्ण–शीर्ण हो गए है अथवा अत्यधिक गुंथ गए है और जिसके फलस्वरुप उनकी उत्पादकता प्रभावित हो रही है । इन चिन्हांकित बांस क्षेत्रों में मुख्यतः गुथे हुए बांस भिर्रो की सफाई, भिर्रो की परिधि में मृदा कार्य तथा विरल बांस के क्षेत्रों में बांस पौध से रोपण का कार्य किया जाता है । बांस भिर्रो की सफाई एवं मृदा संबंधी कार्य से अविकसित भिर्रो को विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है जिनसे नये बांसों के करले निकलते है तथा उनकी गुणवत्ता एवं संख्या में सुधार होता है ।

वर्षवार बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	आर.डी.बी.एफ. कार्य (हे. में)
2018–19	28870
2019–20	30,000
2020–21 (जनवरी)	16381

6.3 पर्यावरण वानिकी

इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं पर्यावरण पार्क आदि के विकास का कार्य लिया जाता है जिससे कि, शहरी क्षेत्रों के पर्यावरण में सुधार हो तथा प्रदूषण की रोकथाम प्रभावी तौर पर हो सके एवं स्थानीय निवासियों में पर्यावरण चेतना विकसित हो। इस योजना में मुख्यतः पथ वृक्षारोपण, ऑक्सीजोन निर्माण आदि कार्य लिए जाते है। विगत् वर्षो में इस योजना में व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

मोहरेंगा, रायपुर वनमंडल

वित्तीय वर्ष	कार्य
2018–19	रामानुजगंज, संजय वाटिका, आसना पार्क, रामटेकरी, बिलासाताल, मदकू द्विप, इंदिरा उद्यान पेण्ड्रा, डोगरीगुडा, वन चेतना केन्द्र मुड़ीपार, राजीव स्मृति वन, सोनडोंगरी, कानन पेण्डारी, खूटाघाट, हनुमानगड़ी, इंदरा उद्यान रायगढ़, ईशानवन, लमनी पार्क बस्तर, वन महोत्सव कार्यक्रम, मोहरेंगा में विकास कार्य, गंगरेल पार्क में विकास कार्य, पखांजूर तालाब एवं राम वाटिका पार्क विकास, गमना तराई पार्क पक्षी विकास विकास, 900 हे. में रखरखाव कार्य
2019–20	वन चेतना केन्द्र मुड़ीपार, राजीव स्मृति वन, सोनडोंगरी, कानन पेण्डारी, खूटाघाट, हनुमानगड़ी, इंदरा उद्यान रायगढ़, ईशानवन, लमनी पार्क बस्तर, वन महोत्सव कार्यक्रम, मोहरेंगा में विकास कार्य, रामानुजगंज, संजय वाटिका, आसना पार्क, रामटेकरी, बिलासाताल, मदकू द्विप, पेण्ड्रा, डोगरीगुडा, गंगरेल पार्क में विकास कार्य, पखांजूर तालाब एवं राम वाटिका पार्क विकास, गमना तराई पार्क पक्षी विकास
2020–21 (जनवरी)	सोनडोंगरी, राजीव स्मृति वन, जतमई–घटारानी, इंदिरा उद्यान, अटल रॉक गार्डन, अशोक वाटिका, चकचकवा पहाड़ हनुमानगढ़ी, मनगट्टा, इंदिरा पर्यावरण, ईशान वन (रामवाटिका), रामवाटिका, संजय पार्क, महामाया पहाड़ी, मोहगांव इंदिरा, जैव विविधता पार्क खुडिया, वन महोत्सव कार्यक्रम

6.4 नदी तट वृक्षारोपण योजना

प्रदेश की बारहमासी नदियों के तटों को भू–क्षरण से रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को सतत् बनाये रखने के उद्देश्य से ''**नदी तट वृक्षारोपण योजना**'' विभाग में संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019–20 में 475 हे. तैयारी, 715 हे. रोपण तथा 375 हे. पुराने रोपण क्षेत्र में रखरखाव का कार्य किया गया। वर्ष 2020–21 (जनवरी 2021 तक) में 226 हे. तैयारी, 475 हे. रोपण तथा 1440 हे. रखरखाव कार्य किया गया है।

रॉवड, अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडल रायपुर

6.5 पथ वृक्षारोपण

पथ रोपण, 5 कि.मी. तोकापाल से डिलमिली, समाजिक वानिकी वनमंडल, जगदलपुर 2008

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्गों, जिला मुख्य मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण कार्य इस योजना में किया जाता है। वर्ष 2019–20 में 70 कि.मी. में तैयारी, 59 कि.मी. रोपण एवं 80 कि.मी. पूर्व वर्षो के वृक्षारोपण क्षेत्र का रखरखाव कार्य किया गया। वर्ष 2020–21 (जनवरी 2021 तक) में 28 कि.मी. तैयारी, 59 कि.मी. रोपण एवं 245 कि.मी. में रखरखाव कार्य किया गया है।

6.6 वनमार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण

इस योजना में वनक्षेत्रों से गुजरने वाले वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण किया जाता है जिससे दूरस्त अंचलों में निवासरत् वनवासियों/ग्रामवासियों को बारहमासी आवागमन तथा वनोपज निकासी में सुविधा हो सके। वर्ष 2019–20 में 170 रपटा/पुलिया निर्माण का कार्य किया गया। इस वर्ष 2020–21 (जनवरी 2021 तक) में 56 रपटा/पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

6.7 कार्य आयोजनाओं के अनुसार कूपों में कार्य

राज्य के जिन वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, उन कार्य आयोजनाओं में बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य प्रबंधन वृत्तों के अलावा अन्य प्रबंधन कार्य वृत्तों के प्रावधानित क्षेत्र में निम्नानुसार कार्य विगत् वर्षो में किया गया –

वर्ष 2018-19

कार्य वृत्त	उपलब्धि (हे. में)
भू एवं जल संरक्षण/वाटरशेड मैनेजमेंट वर्किंग सर्किल	59750
तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	1370
ए.एन.आर. कार्य	6601

वर्ष 2019-20

कार्य वृत्त	उपलब्धि (हे. में)
भू एवं जल संरक्षण/वाटरशेड मैनेजमेंट वर्किंग सर्किल	81471
तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	1190
ए.एन.आर. कार्य	4538

वर्ष 2020-21 (जनवरी 2021 तक)

कार्य वृत्त	उपलब्धि (हे. में)
भू एवं जल संरक्षण/वाटरशेड मैनेजमेंट वर्किंग सर्किल	28440
तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	370
ए.एन.आर. कार्य	7510

6.8 वृक्षारोपण

भारत सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न वनमंडलों की अनुमोदित कार्य आयोजना के अनुसार ऐसे वनक्षेत्र जिनमें वृक्षारोपण किए जाने का प्रावधान रखा गया है, में उपयुक्त प्रजातियों के पौधों का रोपण विगत् तीन वर्षो में किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	रोपित पौधों की संख्या (पौधें लाखों में)
2018–19	563.38
2019–20	256.34
2020–21	223.01

कक्ष क्र. पी 278 बालोद वनमंडल

नवा रायपुर, रायपुर वनमंडल

मोहरेंगा, रायपुर वनमंडल

6.9 सड़कें तथा भवन निर्माण कार्य

राज्य के सामान्य क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्रों में विभागीय प्रशासनिक इकाईयों के सुदृढीकरण के लिए कार्यालय भवनों का निर्माण, अधिकारी/कर्मचारियों के आवासीय भवनों का निर्माण, अभिलेखित वनमार्गो के उन्नयन का कार्य भी विगत् वर्षो में कराया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	भवनों की संख्या
2018–19	16 परिक्षेत्र अधिकारी/उप व.मं.अ. कार्यालय 15 परिक्षेत्र अधिकारी/उप व.मं.अ. आवास 58 कि.मी. वनमार्ग उन्नयन
2019–20	08 उप व.मं.अ. कार्यालय 07 उप व.मं.अ. आवास 01 वनमंडलाधिकारी कार्यालय 43 कि.मी. वनमार्ग उन्नयन
2020–21 (जनवरी 2021 तक)	01 उपवमंडलाधिकारी कार्यालय 3 उपवनमंडलाधिकारी कार्यालय/आवास (शेष राशि) जोरा स्थित वन श्री में हॉल निर्माण सरगुजा वृत्त में अतिरिक्त कक्ष निर्माण बीजापुर व.मं. में अभिलेख कक्ष निर्माण 12 क.मी. वनमार्ग उन्नयन

6.10 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना :-

भारत सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के प्रावधान अंतर्गत केन्द्र शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत् समस्त ग्रामीण परिवारों के एक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 150 दिन का रोजगार प्राप्त करने की पात्रता दी गई है । छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रारंभ की गई है।

वन विभाग द्वारा इस योजनांतर्गत बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े बांस वनों का सुधार, पथ वृक्षारोपण, मिश्रित वृक्षारोपण, बांस वृक्षारोपण, आवागमन सुविधा हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण/उन्नयन, जल संवर्धन एवं संरक्षण कार्य और अन्य रोजगार मूलक कार्य किए जा रहे हैं।

इस योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का वर्षवार दिसम्बर 2020 की स्थिति में विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि लाखों में)

वर्ष	योजनांतर्गत				स्वीकृत कार्यों की प्रगति		निरस्त कार्यों की संख्या	रोजगार मानव दिवस	लाभान्वितों की संख्या
	स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	आबंटित राशि	व्यय राशि	पूर्ण	प्रगति पर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015-16	1626	13293.93	9232.27	8081.50	1115	479	32	4299270	444958
2016-17	968	6115.92	3783.70	3451.55	686	272	11	1205443	146590
2017-18	2338	9821.27	6436.56	5962.83	1345	980	13	2157972	264118
2018-19	566	5303.60	3692.79	2722.72	237	320	9	749721.65	100218
2019-20	15200	19073.11	7120.87	4526.34	2333	12864	2	1757667	204679
2020-21	2302	17896.08	7283.04	2016.50	141	2161	0	653216	55411
योग :-	**20698**	**53607.84**	**30266.20**	**24744.96**	**5716**	**14915**	**67**	**10170074**	**1160563**

आयोजना - बजट प्रावधान एवं व्यय राशि (योजनावार)
वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

(राशि लाखों में)

क्र.	बजट मद व योजना का नाम	प्रावधानित राशि	व्यय
1	2	3	4
A	राज्य योजना		
1	(2723)–प्रशासन सुदृढ़ीकरण	52.75	21.16
2	(1859)–वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	300.00	208.15
3	(1859)–राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना (भवन निर्माण)	6.00	0.00
4	(6025)–वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग	10.00	7.03
5	(2536)–पर्यावरण वानिकी	582.00	177.75
6	(2965, 2962)–बिगड़े वनों का सुधार	13746.00	5178.41
7	(5089)–राज्य में वानिकी अनुसंधान	71.00	40.53
8	(6723)–संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	280.00	48.99
9	(6827)–भू एवं जल संरक्षण कार्य	1100.00	363.42
10	(1004)–नदी तट वृक्षारोपण योजना	855.00	340.71
11	(1902)–तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण (बांस रोपण सहित)	470.00	199.27
12	(2533)–हरियाली प्रसार योजना	1387.00	370.38
13	(6724)–बांस वनों का पुनरोद्धार	3945.00	1318.47
14	(7930)–मुख्यमंत्री बांस विकास योजना	110.00	22.00
15	(6828)–पथ वृक्षारोपण	720.00	136.17
16	(7563)–अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	100.00	77.79
17	(5420)–राज्य औषधि वनस्पति मंडल की स्थापना	900.00	360.00
18	(6456)–तेन्दुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना	0	0.00
19	(6447)–जैव विविधता प्रबंधन समिति	1300.00	0.00

क्र.	बजट मद व योजना का नाम	प्रावधानित राशि	व्यय
1	2	3	4
20	(792) –कर्मचारी कल्याण योजना	154.00	11.14
21	(4342)–सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य	400.00	133.15
22	(6886)–वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण	300.00	73.29
23	(6516)–ग्राम वन समितियों के माध्यम से ल.वनो./औषधी रोपण	180.00	138.88
24	(6792)–लघु वनोपज संग्राहकों की सामूहिक बीमा योजना	1.00	0.00
25	(4475)–सामाजिक वानिकी	100.00	70.45
26	(5091)–लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	300.00	9.49
27	(6373)–लघुवनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान (नवीन)	5000.00	0.00
28	(6854)–लाख विकास योजना	200.00	0.00
29	(7292)–छत्तीसगढ़ सर्टिफिकेशन सोसायटी	15.00	8.80
30	(6992)–वन अधिकारों की मान्यता	24.00	1.26
31	(7322)–बांस प्रसंस्करण इकाई	11.00	0.00
32	(6699)–वन विकास उपकर निधि से व्यय	100.00	0.00
33	(7959)–विभागीय नर्सरी में पौध तैयारी		0.00
34	(5231)–लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	1.00	0.00
B	**केन्द्र प्रवर्तित योजना**		
35	(7732)–छ.ग. स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाईमेट योजना	10.00	0.00
36	(7261)–राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	3500.00	0.00
37	(7856)–ग्रीन इंडिया मिशन	277.00	130.72
38	(5538)–एकीकृत वन सुरक्षा योजना	1000.00	57.12
39	(5231)–लघु वन उपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	1.00	0.00
C	**केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना**		
40	(5231)–लघु वन उपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	5000.00	32.00
D	**विदेशी सहायता प्राप्त योजना**		
41	(7857)–पारिस्थिकीय सेवा विकास परियोजना	605.00	605.00
E	**अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता**		
42	(7351)–त्वरित वनक्षेत्र पुनरोत्पादन/पुनरोद्धार कार्यक्रम	1.00	0.00
	कुलयोग :- 10 + 41 + 64	**43114.75**	**10141.53**
F	**कैम्पा**		
43	(7993)–छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से व्यय	50000.00	37160.00
	योग (आयोजना) :-	**50000.00**	**37160.00**
G	**आयोजनेत्तर**		
44	(3531)–प्राकृतिक पुनरोत्पादन (बांस वनों सहित)	7600.00	0.00
	महायोग :-	**100714.75**	**47301.53**

7. संरक्षण

7.1 वन सुरक्षा

वनों की सुरक्षा विभाग का प्राथमिक दायित्व है एवं इसके लिए सतत् प्रयास किये जा रहे है। इस हेतु विभागीय अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, क्षेत्रीय अमले की क्षमता विकास, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, वनवासी ग्रामीणों के वन सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, वन सुरक्षा गस्ती व्यवस्था को मजबूत करना आदि कार्य सतत् किये जा रहे हैं। विभाग की नियामक प्रणाली को मजबूत करने के साथ–साथ संयुक्त वन प्रबंधन की रणनीति के तहत ग्रामीणों की सहभागिता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य के वन संपदा की सुरक्षा हेतु गठित 7887 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां वन सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

7.2 अवैध वन कटाई एवं अवैध शिकार के रोकथाम हेतु व्यवस्था

वन क्षेत्रों में अवैध कटाई एवं वनोपजों के अवैध परिवहन एवं अन्य वन अपराधों की रोकथाम के लिए वनक्षेत्रों को वनमंडल, परिक्षेत्र एवं बीटों में विभाजित किया गया है। वनमंडलाधिकारी, उप–वनमंडलाधिकारी, परिक्षेत्रधिकारी, परिक्षेत्र सहायक एवं वन रक्षक(बीट गार्ड) को वन सुरक्षा एवं निगरानी हेतु तैनात किया गया है। वनमंडल स्तर पर बीट निरीक्षण हेतु रोस्टर निर्धारित किये गये हैं। इसके तहत् वनमंडलाधिकारी से लेकर बीट गार्ड तक हर एक अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिमाह बीट निरीक्षण का लक्ष्य दिया गया है। वन सुरक्षा के प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग हेतु वन मुख्यालय स्तर पर कारगर अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार के वन अपराध की सूचना 24x7 टोल फ्री नम्बर 18002337000 पर दी जा सकती है। जिस पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2018, 2019 एवं 2020 (नवम्बर 2020 की स्थिति में) में प्रदेश में वन अपराध की रोकथाम के तहत् की गई कार्यवाही के अनुक्रम में दर्ज प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

वर्ष	वन अपराध के दर्ज प्रकरणों की संख्या	जप्त वनोपज का मूल्य (लाख रू. में)	वसूल किया गया मावजा/महसूल की राशि (लाख रू. में)	जप्त वाहन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	21672	505.95	103.41	291
2019	22196	539.03	89.35	418
2020 (नवम्बर 2020 की स्थिति में)	21666	583.28	37.30	418

7.3 वनोपज जांच नाका

अवैध वनोपजों की निकासी की रोकथाम हेतु राज्य के अंदर 247 एवं अंतर्राज्यीय 31 वनोपज जांच नाके स्थापित हैं। इन जांच नाकों पर वाहनों की सघन जांच की जाती है तथा वनोपज परिवहन कर रहे वाहनों की जानकारियां अभिलेखित की जाती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कैम्पा मद से 27 हाईटेक बैरियर का निर्माण किया जा रहा है, इन हाईटेक बैरियर में सी.सी. टीवी कैमरा द्वारा वाहनों पर निगरानी रखी

जानी है।

7.4 वन सुरक्षा गश्त

वनों में अवैध कटाई, वनोपज के अवैध निकासी एवं वन्यप्राणियों के शिकार की रोकथाम हेतु राज्य के वनवृत्तों में 06, वनमंडलों में 34, एवं वन परिक्षेत्र स्तर पर 212 स्ट्राईक फोर्स कार्यरत हैं। इन स्ट्राईक फोर्स को वाहन एवं वन सुरक्षा बल उपलब्ध कराये गये हैं। वन सुरक्षा गश्त हेतु क्षेत्रीय ईकाईयों को संरक्षण प्रभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। क्षेत्रीय अमलों द्वारा की जा रही वन सुरक्षा गश्ती एवं कार्यवाही का वन मुख्यालय स्तर से सतत् मॉनिटरिंग की जा रही है।

7.5 आकस्मिक रात्रि गश्त

अवैध कटाई, अवैध निकासी, अवैध शिकार पर सतत् नियंत्रण रखने हेतु संपूर्ण राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित तिथि को माह में एक दिवस संपूर्ण प्रदेश में आकस्मिक रात्रि गश्त आयोजित की जाती है। जिसके अंतर्गत पूरे राज्य में वन रक्षक से मुख्य वन संरक्षक स्तर तक के अधिकारियों का विभिन्न संवेदनशील वनक्षेत्रों एवं निकासी मार्गों पर रात्रि गश्त करते हैं। रात्रि गश्ती के दौरान वाहनों की चेकिंग की जाकर अवैध वनोपज पाये जाने पर सुसंगत कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वनमंडल अधिकारी द्वारा वन मुख्यालय के द्वारा निर्धारित तिथि को संवेदनशील क्षेत्र में रात्रि गश्ती की जाती है।

7.6 वन अपराध प्रकरणों का अनुश्रवण

वन सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त रखने के उद्देश्य से वन मुख्यालय द्वारा वन अपराध प्रकरणों की निरंतर समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत् 15 प्रपत्रों में वनमंडलों से प्रतिवेदन प्राप्त की जा कर नियमित समीक्षा की जाती है। इसके आधार पर वन सुरक्षा एवं प्रबंधन के सम्यक उपाय किये जा रहे हैं।

7.7 राज्य में आरामशीनों की स्थिति

वर्ष 1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संसूचित 1430 आरामशीनों की वन वृत्तवार जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	वृत्त का नाम	आरा मशीनों की संख्या	संचालित आरामशीनों की संख्या	बंद आरा मशीनों की संख्या	सी.ई.सी. द्वारा 19.01.2009 को नियमित की गई आरामशीनों की संख्या	कुल योग
1	रायपुर	523	500	23	0	523
2	दुर्ग	399	385	14	7	406
3	कांकेर	18	17	1	0	18
4	जगदलपुर	61	41	20	0	61
5	बिलासपुर	354	299	55	2	356
6	सरगुजा	65	57	8	1	66
	योग	**1420**	**1299**	**121**	**10**	**1430**

आरामशीनों के नियमित निरीक्षण हेतु वनमंडल स्तर पर निरीक्षण रोस्टर तैयार किए गये हैं। क्षेत्रीय अमला रोस्टर अनुसार आरामशीनों का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत आरामशीनों पर नियंत्रण की कार्यवाही की जाती है। इसका अनुश्रवण वन मुख्यालय द्वारा भी की जा रही है।

रिट याचिका क्रमांक–202/1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 05/10/2015 में आरामशीनों के संबंध में दिये गये निर्देश के अनुपालन में राज्य में वर्ष 1997 के पश्चात् किसी भी नई आरामशीन की अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। आरामशीनों के नामांतरण, स्थल परिवर्तन एवं विक्रय के उपरान्त नामांतरण/स्थल परिवर्तन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरणों का परीक्षण कर गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है।

7.8 केन्द्र प्रवर्तित गहन वन प्रबंधन योजना

राज्य में वन सुरक्षा के लिए अधोसंरचना विकास हेतु भारत सरकार से अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये गये है। विगत 03 वर्षों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से योजना के अंतर्गत प्राप्त आबंटन(केन्द्रांश/राज्यांश की जानकारी वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21) एवं व्यय राशि निम्नानुसार है :–

राशि लाखों में

वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि			व्यय राशि	समर्पित राशि
	केन्द्रांश 60%	राज्यांश 40%	योग		
1	2	3	4	5	6
2018–19	357.54	162.00	519.54	344.56	174.98
2019–20	542.88	301.71	844.59	414.72	429.87
2020–21	293.88	195.91	489.79	कार्य प्रगति पर है	–
योग :-	**1194.30**	**659.62**	**1853.92**		

वर्ष 2020–21 में वन सीमाओं को सुरक्षित रखने हेतु बजट मद 3877 योजना के अंतर्गत 8980 मुनारा निर्माण एवं 9060.8 कि.मी. सीमा रेखाओं के रख–रखाव कार्य के लिए बजट मद 001 डिमार्केशन में राशि रूपये 332.16 लाख आबंटित की गई है।

कैम्पा मद अंतर्गत वर्ष 2020–21 में प्राप्त राशि से वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिए 3506 अग्नि सुरक्षा श्रमिक 04 माह (15 फरवरी 2021 से 16 जून 2021 तक) के लिए तैनात करने की कार्यवाही की जा रही है।

7.9 वनों की अग्नि सुरक्षा

वनों की अग्नि से सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस हेतु सभी 3506 बीटों में एक–एक अग्नि रक्षक संपूर्ण अग्नि काल (15 फरवरी से 16 जून तक) के लिए तैनात किये जा रहा हैं। वनों की अग्नि से सुरक्षा की सतत् निगरानी व सहायता हेतु वनमंडल स्तरीय एवं परिक्षेत्र स्तरीय स्ट्राईक फोर्स कार्यरत हैं।

राज्य में उपग्रह आधारित फायर अलार्म सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम के अंतर्गत वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमंडल(एफ.एम.आई.एस.) रायपुर द्वारा उपग्रह से प्राप्त डाटा के आधार पर अग्नि स्थल की सूचना क्षेत्रीय अधिकारियों को एस.एम.एस. एवं ई–मेल के माध्यम से संसूचित की जाती है। उक्त सूचना के आधार पर अधीनस्थ अमले द्वारा मौके पर पहुंचकर अग्निशमन करने के उपरान्त इसकी सूचना संबंधित वनमंडलाधिकारी एवं एफ.एम.आई.एस. वनमंडल, रायपुर को दी जा रही है। उपग्रह आधारित प्रणाली एवं त्वरित संचार व्यवस्था के लागू होने के उपरान्त वनों में अग्नि प्रकरणों पर कारगर नियंत्रण हो सका है तथा अग्नि प्रभावित क्षेत्र में नुकसानी में भी काफी कमी आई है।

विगत 3 वर्षो में अग्नि प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार है :–

वर्ष	अग्नि घटना
2018	23091
2019	17835
2020	4713

7.10 अतिक्रमण

वनों में अपात्र अतिक्रामकों की पहचान की जाकर उन पर वन अपराध प्रकरण कायम कर कार्यवाही की जा रही है, इस हेतु प्रमुख सचिव वन द्वारा प्रत्येक माह समीक्षा की जाती है तथा इस बाबत प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जानकारी प्रेषित की जाती है, लगातार वनों पर हो रहे नये अतिक्रमण को रोकने के लिए वन विभाग प्रशासन की मद्द लेकर बेदखली की कार्यवाही करता है।

8. संयुक्त वन प्रबंधन

छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन को प्रदेश में वन प्रबंधन का मुख्य आधार बनाया गया है एवं वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा वन सुरक्षा में जन सहयोग प्राप्त करने हेतु संकल्प पारित किया गया है।

प्रदेश के कुल 19720 ग्रामों में से वनक्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर 11185 ग्राम स्थित हैं। उक्त के अंतर्गत वन सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों में कुल 7887 वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है।

संयुक्त वन प्रबंधन की गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अवलोकन

राज्य में गठित कुल समितियों की संख्या, उन्हें आबंटित वन क्षेत्र तथा सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

वन प्रबंधन समितियों की संख्या	:	7887
सं0व0प्र0 को आबंटित वन क्षेत्र	:	33190 व. कि.मी
कुल वन क्षेत्रफल का प्रतिशत	:	55.52 प्रतिशत
कुल समिति सदस्यों की संख्या	:	27.63 लाख
महिला	:	14.36 लाख
पुरूष	:	13.27 लाख
अनुसूचित जन जाति	:	15.21 लाख
अनुसूचित जाति	:	4.71 लाख
अन्य	:	7.71 लाख

8.1 संयुक्त वन प्रबंधन पर राज्य शासन का संकल्प

राज्य शासन शासन के संकल्प क्रमांक एफ 7–36 / 2001 / 10–2 दिनांक 5 अगस्त 2013 के द्वारा काष्ठ कूप के मुख्य पातन / वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 20 प्रतिशत राशि एवं बाँस कूप के मुख्य पातन / वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 100 प्रतिशत राशि समिति को लाभांश के रूप में प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के तहत् वन प्रबंधन समितियों को लाभांश के रूप में राज्य गठन के उपरान्त से वर्ष 2020 तक कुल रू. 372.70 करोड़ की राशि प्रदाय की जा चुकी है।

सामुदायिक वन प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी

8.2 वन प्रबंधन समितियों में कराये गये कार्य

8.2.1 वानिकी कार्य

- **ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज / औषधी रोपण**

संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत वनो के विकास के साथ–साथ वन प्रबंधन समिति सदस्यों की वनों पर निर्भरता कम करते हुए अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये गये है। इसके तहत समिति क्षेत्रों मे लघुवनोपज एवं औषधि पौधों के रोपण को बढावा दिया गया है। लघु वनोपज / औषधीय रोपण की योजना के अंतर्गत आवंला, हर्रा, बहेडा एवं औषधी प्रजातियों का रोपण वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 880 हे. क्षेत्र में आंवला, हर्रा, बहेडा एवं महुआ प्रजातियों के 352000 पौधो का रोपण किया गया है। ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज / औषधी रोपण योजना के तहत विगत 5 वर्षो में किये गये रोपण का विवरण निम्नानुसार है :–

लघु वनोपज/औषधीय रोपण : मरवाही वनमंडल

क्र.	वर्ष	रोपण क्षेत्र (हे.)
1	2016–17	850
2	2017–18	1119
3	2018–19	780
4	2019–20	890
5	2020–21	880

- **राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम**

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत रोपण : कटघोरा वनमंडल

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वनों के सतत् विकास हेतु विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसके अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशो के अनुसार राज्य के वन विकास अभिकरणो के संघ के रूप में State Forest Development Agency (SFDA) का गठन किया जाकर वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य में वर्ष 2001–02 से प्रांरभ किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन सहभागी तरीके के अंतर्गत द्विस्तरीय व्यवस्था ''**वन विकास अभिकरण**'' एवं ''**संयुक्त वन प्रबंधन समितियों**'' को सम्मिलित कर किया गया है। उपरोक्तानुसार वर्ष 2001–02 से प्रारंभ इस परियोजना में छ.ग. राज्य के अंतर्गत अब तक 133077 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण का कार्य किया जा चुका है। 5 वर्षो में किये गये रोपण एवं स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वर्ष	रोपित क्षेत्र (हे.)	स्वीकृत राशि (रू.लाख)
1	2016–17	4475 हे.	876.38
2	2017–18	केवल रख रखाव कार्य	1541.85
3	2018–19	2055 हे.	707.65
4	2019–20	5500 हे.तैयारी एवं रख रखाव	952.28
5	2020–21	5500 हे.	1744.84

- **ग्रीन इंडिया मिशन**

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जलवायु परिवर्तन पर आधारित ग्रीन इंडिया मिशन योजना का क्रियान्वयन राज्य के 11 वनमण्डलों के अंतर्गत लैण्डस्केप का चयन कर किया जा रहा है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत वृक्षारोपण, वैकल्पिक ऊर्जा का विकास, अनुसंधान एवं आयमूलक कार्य कराये गये है। इस हेतु राज्य के 11 वनमण्डलों के अंतर्गत क्लस्टर आधार पर कुल 80 वन प्रबंधन समितियों/ग्रामों में कार्यो का क्रियान्वयन किया गया है।

योजना के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्य के अनुसार कुल 19128 हे. क्षेत्र में रोपण कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसका तृतीय वर्ष के रख–रखाव के कार्य कराये गये है।

ग्रीन इंडिया मिशन योजना के अंतर्गत रोपण : बलरापुर वनमंडल

8.2.2 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना:

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से प्रदेश के वनमण्डलों में लोक संरक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला का विकास किया जा रहा है। लोक संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा, एक ऐसी जन–केन्द्रित व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है ताकि यह क्षेत्र गरीब जनता के संसाधन निर्मित होकर, गरीबी उन्मूलन तथा अच्छे जीवन की रूप–रेखा बना सके। जिसमें मुख्यतः वनक्षेत्र में उपलब्ध औषधीय एवं लघु वनोपज प्रजाति के वनस्पतियों की सुरक्षा एवं संवर्धन, उपलब्ध वनोपजों विनाश विहीन विदोहन, भू–जल संरक्षण, एवं अग्नि सुरक्षा इत्यादि के कार्य हैं । 1000 हेक्टेयर क्षेत्र के बड़े विस्तार एवं संपादित किये जाने वाले कार्यों पर व्यय की न्यूनता के कारण लोक संरक्षित क्षेत्रों के परियोजनाओं में अपेक्षित एवं बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया है। विगत वर्षों के इन्ही अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017–18 से योजना के प्रारूप में निम्नानुसार आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं :–

अंतः स्थलीय संवर्धन : कटघोरा वनमंडल

- लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना हेतु 200 हेक्टेयर से 500 हेक्टेयर तक उपयुक्त क्षेत्रों का चयन किया जावेगा। चयनित किये जाने वाले वनक्षेत्र में वन घनत्व 0.5 एवं इससे अधिक होना चाहिये।
- लोक संरक्षित क्षेत्रों के चयन में लघु वनोपज/औषधीय प्रजाति के महत्वपूर्ण वानस्पतिक प्रजाति यथा–चिरौंजी, बेल, ऑवला, कुल्लू, माहुल पत्ता, शतावर इत्यादि जो विलुप्त होती जा रही हैं, को केंद्रित करते हुए क्षेत्रों का चयन किया जावेगा।
- चूँकि योजना के उद्देश्य अनुसार चयनित क्षेत्रों को पूर्व की भांति पुनः स्थापित किया जाना भी है, अतः क्षेत्र के ग्रामीण/संग्राहकों को सूचीबद्ध कर इस कार्यक्रम से जोड़ा जाना है ताकि क्षेत्र की सुरक्षा में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। उन संग्राहकों को विशेष रूप से सूचीबद्ध किया जा रहा है जो उस लघु वनोपज (जैसे–चिरौंजी, गुठली, ऑवला आदि) का संग्रहण करते हैं, जिस पर लोक संरक्षित क्षेत्र केन्द्रित है एवं उक्त संग्राहकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
- स्थापना हेतु चयनित किये गये वन क्षेत्र के आस–पास के स्थानीय निवासियों के लिए वनो की सुरक्षा

एवं विकास, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धन में आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहे है।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में 600 हे. एवं वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में 200–200 हे. क्षेत्र में नवीन अंतः स्थलीय क्षेत्र की स्थापना की गई है। वर्ष 2019–20 में 12720 हे. क्षेत्र में रख–रखाव का कार्य भी किया गया है। 5 वर्षो में स्थापित अंतः स्थलीय क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वर्ष	अंतः स्थलीय क्षेत्रों की स्थापना (हे.)
1	2016–17	16120
2	2017–18	600
3	2018–19	200
4	2019–20	200
5	2020–21	260

8.2.3 पारिस्थिकीय विकास सेवा परियोजना (ESIP) :

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एनएईबी, नई दिल्ली, द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार विश्व बैंक के समन्वय से छत्तीसगढ़ राज्य में Ecosystem Services Improvement Project (ESIP) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त परियोजना का क्रियान्वयन देश के मात्र दो राज्य छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य मे पायलट आधार पर किया जा रहा है। ESIP Project के अंतर्गत पारिस्थितकीय तन्त्र/पर्यावरण सेवाओं का विकास तथा वनों का विकास एवं संरक्षण, क्षमता विकास कार्यक्रम एवं जीवकोपार्जन की गतिविधियों पर आधारित छः वर्षीय परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना हेतु आवश्यक धनराशि विश्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्य को उपलब्ध कराई जाती है।

पारिस्थितिकीय विकास हेतु रोपण : मरवाही वनमंडल

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार, विश्व बैंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य परियोजना अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जा चुका है तथा विश्व बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु इस योजना के अन्तर्गत रू. 49.27 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना अंतर्गत निम्नानुसार 4 मुख्य कार्य घटकों के आधार पर कार्यो का क्रियान्वयन किया जा रहा है :–

1. वानिकी और भूमि प्रबंधन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शासकीय संस्थानों का क्षमता विकास।
2. चयनित लैडस्केप में वनों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु निवेश।
3. चयनित लैडस्केप में सतत् भू एवं पारिस्थितिकीय प्रबंधन विकास।
4. परियोजना प्रबंधन।

परियोजना हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चयनित लैण्डस्केप में ही किया जाना है। उक्त के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के 04 वनमंडलों क्रमशः बलरामपुर, कवर्धा, मरवाही एवं कटघोरा वनमंडल में ESIP Project क्रियान्वित किये जा रहे है। वन क्षेत्रों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि करते हुये सतत् पारिस्थितिकीय विकास एवं कार्बन संग्रहण के उद्देश्य से परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराये गये है। इसके अंतर्गत बिगड़े वन क्षेत्रों के सुधार हेतु वृक्षारोपण एवं गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण कराये गये है। परियोजना कार्य से पूर्व क्षेत्र की जैवविविधता एवं वनस्पत्तियों का आधारभूत सर्वेक्षण किया गया है। परियोजना अवधि पूर्ण होने के पश्चात आधारभूत सर्वेक्षण के आंकड़ों से तुलनात्मक विश्लेषण किया जावेगा। साथ ही क्षेत्र की जैवविविधता में परिवर्तन एवं कार्बन संग्रहण की मात्रा का आंकलन किया जावेगा।

ESIP के अंतर्गत जल संरक्षण कार्य : बलरामपुर वनमंडल

परियोजना अंतर्गत चयनित वनमण्डलों के निम्नानुसार क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है :–

क्र.	वनमंडल	रोपण क्षेत्र (हे.)	रोपित पौधों की संख्या
1	कवर्धा	720	288000
2	कटघोरा	750	35000
3	मरवाही	1173	484376
4	बलरामपुर	575	198000
योग :-		**3218**	**1005376**

8.2.4 रोजगार मूलक एवं अधोसंरचना विकास कार्य

संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत वन प्रबंधन समितियों की वनों पर निर्भरता कम करते हुए अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा समिति क्षेत्रों में क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण तथा विभिन्न आय वृद्धि मूलक कार्य कराये गये है।

वन विभाग के प्रयास से दूरस्थ वन क्षेत्रों में स्थित वन प्रबंधन समितियां वन एवं गैर वन आधारित आय वर्धक गतिविधियो के प्रति भी आकर्षित हुई है तथा लाख, शहद, कोसा, जैविक खाद उत्पादन, बास प्रसस्करण, हस्तशिल्प कला, सबई रस्सी निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, लाख की चुड़ी एवं आभूषण निर्माण, जैविक कृषि, दोना पत्तल निर्माण, लघु वनोपज सग्रहण एवं प्रसस्करण, रोपणियों का संचालन, उचित मुल्य की दुकान, पर्यटन विकास, एवं परिवहन विकास जैसे कार्यो का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। इन गतिविधियों से आय में वृद्धि के साथ–साथ वनों में अग्नि, चराई तथा अतिक्रमण जैसे जैविक दबावो में कमी आने से वनो की पुनरूत्पादन क्षमता में भी आशातीत वृद्धि हुई है। विभिन्न योजनाओं के तहत् कराये गये प्रशिक्षण एवं रोजगार मूलक कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :–

8.2.5 क्षमता विकास / प्रशिक्षण

वन प्रबंधन समितियों के सुदृढीकरण हेतु प्रति वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। इसमें 04 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है। जिसमें 3 दिवस विषय आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे एवं चौथे दिवस में प्रशिक्षणार्थियों को भ्रमण कराया जाता है। इसके अन्तर्गत राज्य के 6 वन वृत्तों में विगत 4 वर्ष में कुल 365 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम

औसतन 40 वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष/सदस्यों हेतु आयोजित किया जाता है। इस प्रकार 6 वन वृत्तों से कुल 365 प्रशिक्षण कार्यक्रम में 14600 वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष/सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों में 30 प्रतिशत महिलाओं को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है।

वन प्रबंधन समिति सदस्यों की बैठक : बलरामपुर वनमंडल

संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं में राज्य के वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास का प्रावधान रखा गया है ताकि संसाधनों के उचित प्रबंधन से स्थानीय समुदायों की वनों से निर्भरता कम करते हुये उन्हें सतत् लाभ प्राप्त हो सके। इस हेतु अनेक चरणों में प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन समय–समय पर किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में आयोजित मुख्य प्रशिक्षणों एवं कार्यशाला का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	प्रशिक्षण विषय	प्रतिभागियों की संख्या
1	जैवविविधता मापन पर प्रशिक्षण	65
2	कार्बन मापन पर प्रशिक्षण	65
3	जैवविविधता एवं कार्बन मापन प्रशिक्षण	65
4	जैविक खाद उत्पादन	90
5	लाख पालन तकनीक	414
6	मशरुम उत्पादन	13
7	बांस शिल्प कला	24
8	एकीकृत फार्म विकास	200
9	मछली पालन	102
10	पशुपालन	75
11	मुर्गी पालन	130
12	मास्क सिलाई प्रशिक्षण	85
13	सामुदायिक वन प्रबंधन पर कार्यशाला	136
14	अगरबत्ती निर्माण	10
15	सीताफल प्रसंस्करण	38

जैविक खाद निर्माण प्रशिक्षण - मरवाही वनमंडल

मछली पालन प्रशिक्षण - बलरामपुर वनमंडल

जैव विविधता एवं कार्बन मापन प्रशिक्षण - कवर्धा वनमंडल

सिलाई प्रशिक्षण - मरवारही वनमंडल

8.2.6 वन प्रबंधन समितियों में कराये गये रोजगार मूलक कार्य

संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत वन प्रबंधन समितियों की वनों पर निर्भरता कम करते हुए अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा समिति क्षेत्रों में विभिन्न आय मूलक कार्य कराये गये है।

सीताफल से आईसक्रीम निर्माण - मरवाही वनमंडल

अकाष्ठीय वनोपज की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, वन आधारित लघु उद्योगों स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन क्षेत्रों से प्रतिवर्ष दो करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है, जो वनों से प्राप्त कुल रोजगार का लगभग आधा है।

कोसा पालन : सुरजपुर वनमंडल

वन प्रबंधन समिति सदस्यों द्वारा लघुवनोपज संग्रहण एवं विपणन : कवर्धा वनमंडल

संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न वनमंडलों में स्थापित लघु उद्योग एवं कराये गये रोजगार मूलक कार्य निम्नानुसार है :–

क्र.	वनमण्डल का नाम	समिति का नाम	कार्य का नाम
1	महासमुन्द	मुढीपार	डेयरी विकास, मशरूम उत्पादन एवं जैविक खाद उत्पादन
2	धमतरी	प्रसंस्करण केन्द्र दुगली	माहूल पत्ता एवं औषधी प्रसंस्करण
		वन प्रबंधन समिति जबर्रा	वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, सब्जी उत्पादन एवं औषधी खेती
		वन प्रबंधन समिति सलोनी	सिंचाई एवं कृषि विकास कार्य
3	बलौदाबाजार	वन प्रबंधन समिति तेन्दूचुंवा, नवाडीह, जोराडबरी, अर्जुनी	जल संरक्षण, सिंचाई एवं कृषि विकास कार्य
		वन प्रबंधन समिति रंगोरा	डेयरी विकास
		वन प्रबंधन समिति अचानकपुर	पर्यटन विकास
4	कोरिया	बांस प्रसंस्करण केन्द्र उदयपुर	बांस प्रसंस्करण कार्य
5	कटघोरा	कर्रा नवाडीह जय मां शारदा स्व–सहायता समूह	जैविक चांवल
		नवाडीह	वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, मछली पालन, सब्जी उत्पादन, सिलाई, धान कुट्टी मशीन
		कन्हैया पारा	फलदार वृक्षारोपण
6	मरवाही	विविध सुविधा सह मूल्यवर्धन केन्द्र दानीकुंडी	लाख चुडी निर्माण, धूप कंडा निर्माण, सुगंधित चांवल, दोना पत्तल निर्माण, टमाटम प्रसंस्करण, अगरबत्ती निर्माण, सीताफल आईसक्रीम, मशरूम उत्पादन एवं बांस प्रसंस्करण कार्य
		नर्मदा स्व–सहायता समूह केंवची	औषधी प्रसंस्करण
		वन प्रबंधन समिति रूमगा, जय मा शारदा स्व–सहायता समूह	आम वृक्षारोपण के साथ सब्जी (बरबटटी, टमाटर, भिन्डी, करेला, लौकी, मिर्च, गोभी, मटर, तरोई एवं डोढका) उत्पादन
7	बस्तर	महिला नर्सरी संचालन एवं मां दंतेश्वरी ओशो पुरूश स्व–सहायता समूह	नर्सरी संचालन एवं तैलीय बीज प्रसंस्करण
		जैव विविधता संरक्षण समिति जीरागांव	लामनी पार्क का संचालन एवं शहद प्रसंस्करण
8	बीजापुर	महिला स्वसहायता समूह भैरमगढ़	मशरूम उत्पादन
9	सुकमा	वन प्रबंधन समिति मुरतोण्डा	पर्यटन स्थल टोंगलडेम का संचालन
10	धरमजयगढ़	भारत माता महिला स्वसहायता समूह	माहूल पत्ता प्रसंस्करण
11	दक्षिण कोण्डागांव	हस्तशिल्प कला विकास–कोण्डागांव	बेलमेटल, आयरन राड एवं टेराकोटा हस्तशिल्प कार्य

क्र.	वनमण्डल का नाम	समिति का नाम	कार्य का नाम
12	सूरजपुर	वन प्रबंधन समिति करौंदामूड़ा	कोसापालन
		वन प्रबंधन समिति महेशपुर	मुर्गी एवं कोसापालन
13	बलरामपुर	वन प्रबंधन समिति चरचरी, बम्हनी, नवगई, सोनहत	लाख पालन
		वन प्रबंधन समिति गिरवानी	लाख चुडी एवं आभूषण निर्माण
		वन प्रबंधन समिति चरचरी, बम्हनी, नवगई, केसारी	उन्नत कृषि
		वन प्रबंधन समिति नवगई	वर्मी कम्पोस्ट निर्माण
		वन प्रबंधन समिति सोनहत	मुर्गी पालन
		वन प्रबंधन समिति बम्हनी	बेरफल संग्रहण एवं विक्रय
		वन प्रबंधन समिति बम्हनी, केसारी	उन्नत फलदार पौधों के रोपण द्वारा फल उत्पादन
14	जशपुर	वन प्रबंधन समिति सारूडीह एवं मनोरा	चाय उद्योग
15	बालोद	स्व–सहायता समूह	एलोविरा साबुन निर्माण
16	कवर्धा	वन प्रबंधन समिति बोढला	शहद उत्पादन एवं प्रसंस्करण
		वन प्रबंधन समिति ताईतिरनी एवं रोखनी	मछली पालन
		वन प्रबंधन समिति रोखनी	सिंचाई एवं कृषि विकास
		वन प्रबंधन समिति देवानपटपर	लाख पालन
		वन प्रबंधन समिति कुकदूर	दोना पत्तल निर्माण एवं चार गुठली संग्रहण

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विविध सुविधा सह मूल्य संवर्धन केन्द्र दानीकुंडी (मरवाही वनमंडल) का शुभारंभ

वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से मशरूम उत्पादन

8.2.7 अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत राज्य सरकार की योजनाओं के अनुसार वन जन विकास के अन्य कार्य ही कराये जा रहे है। वर्ष 2020–21 में संचालित महत्वकांक्षी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है:–

आवर्ती चराई ईकाई की स्थापना - वन क्षेत्रों में मवेशियों के अनियन्त्रित चराई एवं लगातार एक क्षेत्र में दबाव को कम करने के उद्देश्य से चराई योजना निर्धारित कर प्रभावी रूप से लागू करना नितान्त आवश्यक है, इससे वनों पर चराई के दबाव के कम होने के साथ–साथ कृषि क्षेत्र में भी चराई नियन्त्रित की जा सकेगी तथा किसान वर्षभर अपने खेतों में अच्छी फसल ले सकेंगे।

आवर्ती चराई इकाई - दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल

उपरोक्त परिदृष्य एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये वन प्रबंधन समितियों में आवर्ती चराई ईकाई की स्थापना की गई है। उक्त आवर्ती चराई ईकाईयों में पशुओं हेतु खुला क्षेत्र, शेड निर्माण, चारागाह विकास, गोबर क्रय के साथ–साथ वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से लघु उद्योगों की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। राज्य के 34 वनमंडलों के अंतर्गत कुल 2300 आवर्ती चराई ईकाई क्षेत्र स्थापित करने का लक्ष्य है जिसके अंतर्गत वर्तमान में 2100 आवर्ती चराई ईकाई क्षेत्र की स्थापना के प्रस्ताव तैयार कर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से स्वीकृति हेतु संबंधित जिला पंचायत को प्रेषित किये गये है। प्रेषित प्रस्तावों में से 999 प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं उक्त ईकाईयों के स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

गोबर क्रय :- स्थापित आवर्ती चराई ईकाईयों में छ.ग. शासन की गोधन न्याय योजना हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ग्रामीणों से गोबर का क्रय किया जा रहा है। माह दिसम्बर 2020 तक राज्य के 34 वनमंडलों के 315 आवर्ती चराई ईकाईयो मे 30.77 लाख किलोग्राम गोबर का क्रय किया जा चुका है।

स्व-सहायता समूह द्वारा वर्मी कम्पोस्ट निर्माण : बलरामपुर

वर्मी कम्पोस्ट निर्माण :- गोधन न्याय योजना में किये गये प्रावधानों के अनुरूप आवर्ती चराई ईकाई क्षेत्र में क्रय किये गये गोबर के संग्रहण हेतु समूचित व्यवस्था की गई है एवं ईकाई क्षेत्र मे वर्मी कम्पोस्ट निर्माण हेतु नाडेप टैंक तथा कम्पोस्ट पीट का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा वन प्रबंधन समितियों/स्व–सहायता समूहों को रोजगार के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने तथा वृक्षारोपणों में जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष औसतन 12000 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जाता है।

एफ.आर.ए. कलस्टर - वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् वनों मे निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के लिये निवास एवं जिविका हेतु स्वयं खेती करने के लिये व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से वन भूमि का उपयोग करने के लिये सामुदायिक वन अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी परिवारों को उनके अधिकार, स्वावलंबन और सम्मान का जीवन दिलाने के लिये है।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में वनों मे निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के लिये निवास एवं जिविका हेतु स्वयं खेती करने के लिये व्यक्तिगत रूप से वन भूमि का उपयोग करने के लिये व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किये गये है। व्यक्तिगत वन अधिकार के अंतर्गत हितग्राहियों को दी गई वन भूमि अधिकांशतः असमतल, असिंचित एवं मुख्य रूप से वर्षा आधारित है। उक्त भूमि पूर्णतः कृषि योग्य नही होने के कारण उत्पादन नगण्य है, जिससे उन्हें कोई विशेष आय प्राप्त नही हो पा रही है। उक्त भूमि का समतलीकरण कर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जाने से उत्पादन में वृद्धि करते हुए उनके आय में वृद्धि की जा सकती है।

अतः व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को आय के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हितग्राहियों का कलस्टर के रूप में चयन कर व्यवसाय एवं उत्पादन की दृष्टि से विकास कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार कराये गये है। इसके अंतर्गत छ.ग. राज्य के 31 वनमण्डल में 370 एफ.आर.ए. कलस्टर के अंतर्गत 6680 हेक्टेयर में विकास कार्यो हेतु कुल रू. 2391.00 लाख के प्रस्ताव महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्वीकृति हेतु संबंधित जिला पंचायत को प्रेषित किये गये है। उक्त कार्यो से लगभग 10208 हितग्राहियों लाभान्वित होंगे।

उपरोक्तानुसार परियोजनाओं के अंतर्गत चयनित एफ.आर.ए. कलस्टर में ग्राफ्टेड एवं उन्नत प्रजाति के आम, कटहल, मुनगा, नीबू, अमरूद आदि फलदार प्रजाति एवं औषधी प्रजाति पौधों का रोपण भी कराया जावेगा।

9. बाँस मिशन

9.1 बाँस मिशन प्रभाग का उद्देश्य

- वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में बाँस रोपण को बढ़ावा देने हेतु बॉस के पौधों की उपलब्धता किसानों को सुनिश्चित कराया जाना एवं किसानों को बॉस रोपण हेतु प्रोत्साहित करना।
- हितग्राहियों की कृषि आय में वृद्धि करने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण में योगदान सुनिश्चित करना।
- बाँस आधारित कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना एवं उनका विकास सुनिश्चित करना।
- बाँस प्रसंस्करण केन्द्रों को पुर्नजीवित करना एवं सुचारू रूप से संचालित करना।
- बाँस उत्पादों के बाजार की पहचान कर शिल्पकारों को बाजार दिलाने हेतु समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।

9.2 प्रभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाएँ

➢ **राज्य पोषित योजना :-**

- मुख्यमंत्री बॉस विकास योजना
- बाँस प्रसंस्करण इकाई योजना

➢ **केन्द्र प्रायोजित योजना :-**

- पुर्नगठित राष्ट्रीय बॉस मिशन

9.3 मुख्यमंत्री बाँस विकास योजना

- कृषकों की बाड़ी तथा कृषि भूमि पर रोपण हेतु पौधों की उपलब्धता के आधार पर, उनकी मांग अनुसार बॉस की विभिन्न प्रजातियों के उच्च गुणवत्ता एवं तेजी से बढ़ने वाले यथा संभव टिश्यु कल्चर के बांस पौधों का रोपण कर हस्तांतरित किया जावेगा।
- रोपण वर्ष में प्रथम वर्ष रोपण कार्य हेतु रू. 53.20 का व्यय किया जावेगा, जिसमें गड़ढ़ा खुदाई, खाद, कीटनाशक, प्रचार–प्रसार, रोपण, दो बार निंदाई, गुड़ाई, थाला बनाई, खाद, कीटनाशक की कीमत आदि सम्मिलित है।

- रोपण पश्चात् आगामी दो वर्षों हेतु पौधों के रख–रखाव हेतु 5 रू. प्रति पौधें की दर से अनुदान दिया जावेगा।

9.4 रोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियाँ

- Bambusa balcooa, Bambusa tulda, Bambusa nutans, Bambusa vulgaris (green), Dednrocalamus longispathus, Dendrocalamus stocksii, Dendrocalamus brandisii, Dendrocalamus strictus एवं कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों के आधार पर अन्य उपयुक्त बॉस प्रजातियाँ।
- मुख्यमंत्री बॉस विकास योजनान्तर्गत विगत वर्षों में रोपित पौधों का विवरण :–

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	वर्षाऋतु	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)	हितग्राहियों की संख्या
मुख्यमंत्री बॉस विकास योजना	2016–17	2016	2.62	6521
	2017–18	2017	3.43	6186
	2018–19	2018	1.10	1728
	2019–20	2019	–	–
	2020–21	2020	0.53	1632
योग :-			7.68	16067

9.5 बाँस प्रसंस्करण इकाई योजना

- बाँस प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बाँस कारीगरों हेतु आजिविका संवर्धन सुनिश्चित करना है।
- बसोड़ एवं बाँस से जुड़े परम्परागत समुदाय तथा बाँस शिल्पकारों को उन्नत डिज़ाईन विकसित करने, कौशल उन्नयन एवं निरंतर रोजगार प्रदान किया जा रहा है।
- स्थापित बाँस प्रसंस्करण केन्द्रों के सुचारू रूप से संचालन, बाँस उत्पाद निर्माण, शिल्पकारों के कौशल उन्नयन हेतु केन्द्रों को राशि प्रदाय की जाती है।
- प्रदेश में वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक कुल 28 बाँस प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की गई है।
- बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रायपुर में बाँस विपणन एवं विक्रय हेतु बैम्बू एम्पोरियम 02 नवम्बर, 2010 से स्थापित है।

9.6 पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन योजना

- बॉस रोपण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गैर वनक्षेत्र राजस्व भूमि, गैर वनक्षेत्र–कृषक की भूमि, बाड़ी, सामुदायिक भूमि, कृषियोग्य बंजर भूमि में बॉस रोपण किया जावेगा।
- फसल कटाई के बाद प्रबंधन में सुधार करना।
- उत्पाद विकास को बढ़ावा देने के लिए बाजार मांग का अध्ययन करने हेतु अनुसंधान एवं विकास से सहायता, सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमियों व व्यापारिक दृष्टिकोण से सहायता।
- देश में बॉस आधारित इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा, विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना।
- योजनान्तर्गत कौशल विकास, क्षमता निर्माण कर जागरूक करना।
- बॉस और बॉस उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करने हेतु प्रयास करना।

9.7 पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में किये गये कार्यों का विवरण

क्र.	घटक का नाम	इकाई	स्वीकृत	
			भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5
1	Big Nusery	No.	5	80.00
2	Block Plantation	Ha.	50 ha.	12.48
3	Establishment of processing units	No.	1	30.00
4	Technological enhancement of indigenous tools, equipment & machinery	No.	1	25.00
5	Bamboo Bazar	No.	3	45.00
	Total			**192.48**

9.8 राष्ट्रीय बाँस मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 से 2015-16 तक किये गये कार्यों का विवरण

- वर्ष 2006 से 2016 तक राज्य के 32 वन विकास अभिकरणों में वन क्षेत्र में 15,708 हे. बाँस रोपण, किसानों की पड़त, निजी भूमि में 5,631 हे. बॉस रोपण एवं 13,258.5 हे. क्षेत्र में बिगड़े बाँस वनों/गैर वन क्षेत्र में भिर्रों का सुधार कार्य किया गया है।
- 28 बाँस केन्द्रों के सशक्तीकरण व उन्नयन का कार्य, किसानों एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु 29 महिला रोपणी एवं 28 किसान रोपणी की स्थापना की गई है तथा 38 केन्द्रीय रोपणी विभिन्न वन विकास अभिकरणों में स्थापित की गई है।
- वर्ष 2007 से 2016 तक 2,427 कृषकों को राज्य के भीतर तथा 73 को राज्य के बाहर, 1,561 क्षेत्रीय अमला को प्रशिक्षण एवं 412 बॉस शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- वर्ष 2007 से 2012 तक 03 राज्य स्तरीय एवं 33 जिला स्तरीय कार्यशाला/सेमीनार आयोजित किये गये है।
- बाँस प्रसंस्करण केन्द्रों में कार्यरत शिल्पकारों द्वारा वर्ष 2006–07 से अब तक 60 राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर के मेलों में 365 बांस शिल्पकारों द्वारा भाग लिया जा कर रूपये 49.25 लाख मूल्य की बांस सामग्री का विक्रय किया गया है।

9.9 बाँस मिशन प्रभाग हेतु वर्ष 2020-21 में प्राप्त/समर्पण बजट का विवरण

योजना का नाम	मांग संख्या	प्राप्त बजट
मुख्यमंत्री बॉस विकास योजना	10–2406 (7930)	50.00
	41–2406 (7930)	50.00
	64–2406 (7930)	10.00
	योग :-	**110.00**
प्रसंस्करण इकाई योजना	10–2406 (7322)	1.00
	41–2406 (7322)	10.00
	योग :-	**11.00**
पुनर्गठित राष्ट्रीय बॉस मिशन	13–2401 (7947)	44.68
	41–2401 (7947)	26.39
	64–2401 (7947)	15.43
	योग :-	**86.50**

10. भू-प्रबंध

10.1 प्रस्तावना

- भू–प्रबंध प्रभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन प्रकरणों के पंजीयन, प्रसंस्करण, क्रियान्वयन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य किया जाता है।
- असीमांकित संरक्षित वन को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 (1) अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु अधिसूचना प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाता है।
- अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण हेतु वन विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु नोडल के रूप में कार्य किया जाता है।
- नारंगी क्षेत्रों तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरित क्षेत्रों के सीमांकन व मुनारे निर्माण कार्य।

10.2 वन संरक्षण अधिनिमय, 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रकरण

राज्य निर्माण उपरांत अब तक कुल 366 (सिंचाई 71, खनिज 69, विद्युत 87 एवं विविध 139 प्रकरणों) परियोजनाओं की राज्य शासन एवं भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर एवं नई दिल्ली (GoI, MoEF) से स्वीकृति प्राप्त हुई है। श्रेणीवार स्वीकृत प्रकरणों की सूची निम्नानुसार है :–

व्यपवर्तन प्रकरणों की श्रेणी	राज्य निर्माण पूर्व		छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण पश्चात		योग	
	संख्या	रकबा (हे.)	संख्या	रकबा (हे.)	संख्या	रकबा (हे.)
सिंचाई	80	2212.582	71	4023.465	151	6236.047
विविध	13	24.682	139	1791.897	152	1816.579
विद्युत	11	1209.217	87	4352.303	98	5561.520
खनिज	41	8397.463	69	13225.624	110	21623.087
योग	**145**	**11843.944**	**366**	**23393.289**	**511**	**35081.802**

वर्ष 2020 में भू–प्रबंध प्रभाग से वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विकासोन्मुखी एवं जनोन्मुखी कार्यो के लिए निम्नानुसार प्रकरणों में वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है :–

व्यपवर्तन प्रकरणों की श्रेणी	प्रकरण संख्या एवं रकबा	
	संख्या	रकबा (हे.)
पी.डब्ल्यू. डी. रोड	3	77.60
राष्ट्रीय राजमार्ग रोड	2	108.209
विद्युत	3	53.814
खनिज	3	455.230
ओ.एफ.सी. लाईन	9	63.309
महायोग	**20**	**758.162**

विशेष उपलब्धि यह रही कि विद्युत पारेषण लाईन, मार्ग निर्माण (राष्ट्रीय राजमार्ग/लोक निर्माण विभाग) एवं ऑप्टिकल फायबर केबल (ओ.एफ.सी) लाईन के प्रकरणों में विशेष प्रयास कर वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लीनियर प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति के बाद कार्य अनुमति एवं अन्य प्रकरणों में वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है।

11. उत्पादन शाखा

11.1 विदोहन

विदोहन वर्ष 2019–20 में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत 34 वनमंडलों में से 19 वनमंडलों की कार्य आयोजना स्वीकृत थी। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वनमंडलों के स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधान अनुसार वार्षिक काष्ठ एवं बांस कूपो के विदोहन से वर्ष 2019–20 में वनवृत्त वार निम्नानुसार वनोपज उत्पादन हुआः–

विदोहन वर्ष 2019-20 में काष्ठ का उत्पादन

वृत्त	इमारती काष्ठ (घ.मी)	बल्ली		डेंगरी		जलाऊ चट्टा (नग)
		नग	घ.मी	नग	घ.मी	
रायपुर	23562.340	3,11,014	6837.343	9,3921	1321.910	47,166
बिलासपुर	6044.808	69,075	1549.076	30,210	589.994	8,571
दुर्ग	10798.108	97,534	1852.413	48,645	530.758	16,317
सरगुजा	14986.697	42,981	1170.571	4,064	41.679	19,959
कांकेर	33063.392	49,485	1011.573	4,161	68.496	26,593
जगदलपुर	16624.542	4,389	130.251	4,461	45.970	8,012
योग	**105079.887**	**5,74,478**	**12551.227**	**1,85,462**	**2598.807**	**1,26,618**

विदोहन वर्ष 2019-20 में बांस का उत्पादन

वृत्त का नाम	व्यापारिक बांस (नो. टन)	औद्योगिक बांस (नो. टन)	योग
रायपुर	1519.574	919.100	2438.674
बिलासपुर	263.541	195.209	458.750
दुर्ग	3859.489	6271.529	10131.018
सरगुजा	0.000	0	0
कांकेर	19.551	0	19.551
जगदलपुर	2777.491	1919.496	4696.987
योग	**8439.646**	**9305.334**	**17744.980**

काष्ठ एवं बांस के निर्वतन हेतु प्रदेश के विभन्न वनमंडलों में 27 काष्ठागार एवं 15 बांसागार स्थापित है। इन अगारों में काष्ठ/बांस का निर्वतन घोष विक्रय द्वारा किया जाता है,जबकि औद्योगिक बांस का निर्वतन अग्रिम निविदा आमंत्रित कर किया जाता है।

11.2 निस्तार व्यवस्था

प्रदेश में निस्तार नीति अंतर्गत वन क्षेत्र की 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर स्थित ग्रामवासियों को निस्तार दर पर वनोपज उपलब्ध कराया जाता है। 5 किलोमीटर परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को बाजार दर

पर वनोपज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस नीति के अंर्तगत कैलेण्डर वर्ष 2020 में निस्तारियों को निस्तार सीजन में वृत्तवार निम्नानुसार वनोपज उपलब्ध एवं प्रदाय किया गया है।

निस्तार सीजन 2020 में हितग्राहियों को वनोपज प्रदाय की जानकारी

वृत्त	निस्तार डिपो की संख्या	बांस (नग)		बल्ली (नग)		जलाऊ चट्टे	
		डिपो में उपलब्ध करायी गई मात्रा	हितग्राहियो को प्रदाय की गई मात्रा	डिपो में उपलब्ध करायी गई मात्रा	हितग्राहियो को प्रदाय की गई मात्रा	डिपो में उपलब्ध करायी गई मात्रा	हितग्राहियों को प्रदाय की गई मात्रा
रायपुर	94	1,08,746	59,943	8,466	3,829	20,524	13,206
बिलासपुर	92	47,311	8,668	6,566	936	1,205	212
दुर्ग	88	3,05,422	2,86,975	2,943	920	1,103	752
सरगुजा	178	41,666	500	8,816	1,487	3,694	711
कांकेर	149	15420	4230	1497	0	413	253
जगदलपुर	106	45,015	11,640	1,225	200	3,620	723
योग	**707**	**5,63,580**	**3,71,956**	**29,513**	**7,372**	**30,559**	**15,857**

11.3 बंसोड़ो को बांस प्रदाय

शासन द्वारा बंसोड़ो को प्रति वर्ष 1500 नग रॉयल्टी मुक्त बांस प्रदान किये जाने का प्रावधान है। कैलेण्डर वर्ष 2020 में 4438 पंजीकृत बंसोड़ो को कुल 13.90 लाख नग बांस प्रदाय किया गया है।

11.4 विदोहन वर्ष 2020-21 में विदोहन कार्य

27 वनमंडलों में से 25 वनमंडल (वन विहिन होने के कारण रायपुर तथा दुर्ग को छोड़ते हुये) में स्वीकृत कार्य आयोजना तथा बालोद एवं खैरागढ़ वनमंडल में एक वर्षीय वर्किंग स्कीम तैयार कर वर्ष 2020–21 हेतु कुल 27 वनमंडलों में निम्नानुसार विदोहन की स्वीकृति के कटाई की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गई है :–

कार्य आयोजना	काष्ठ कूप	बांस कूप
17 वनमंडलों में पूर्व प्रचलित कार्य आयोजना (विदोहन योजना 18)	316	111
08 नवीन स्वीकृत कार्य आयोजना वनमंडल	155	39
02 वनमंडलों की वर्किंग स्कीम स्वीकृति	42	22
योग	**513**	**172**

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में 08 वनमंडलों की कार्य आयोजना की सशर्त स्वीकृति प्राप्त हुई थी। नारंगी क्षेत्र की अधिसूचना जारी करने के पश्चात ही कटाई की अनुमति की शर्त पर भारत सरकार से विस्तृत चर्चा करने के उपरांत इस शर्त को शिथिल कराये जाने में सफलता प्राप्त की गई साथ ही जगदलपुर वन वृत्त के बस्तर वनमंडल अंतर्गत तीन वर्षो 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के पाईन वृक्षारोपण क्षेत्र में पाईन वृक्षों के विदोहन कार्य हेतु प्रथम वर्ष के लिये 16,782 पाईन वृक्षों के कटाई की अनुमति भारत सरकार, पर्यारवण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त की गई।

12. अनुसंधान एवं विस्तार प्रभाग

12.1 उद्देश्य

- देश के विभिन्न वन अनुसंधान संस्थानों के द्वारा किये गये अनुसंधानों को विभिन्न क्षेत्रीय वनमंडलों में प्रचारित एवं प्रसारित करने हेतु कार्य करना।
- विभागीय वनक्षेत्रों एवं कृषकों/अन्य की निजी भूमि पर रोपण किये जाने हेतु महत्वपूर्ण प्रजातियों के उन्नत पौधों का उत्पादन एवं वितरण।
- क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कृषकों को विभिन्न प्रजातियों की रोपणी एवं वृक्षारोपण तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराना।
- राज्य में निजी क्षेत्र में वानिकी को बढ़ावा दिये जाने हेतु कृषकों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।

12.2 अनुसंधान एवं विस्तार संस्थागत संरचना

वन एवं वनेत्तर क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने एवं इस हेतु वन अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कृषकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य के 03 मुख्य एग्रोक्लाइमैटिक जोन्स में अधोसंरचना तथा सुविधा का विकास करते हुए निम्नानुसार 03 अनुसंधान एवं विस्तार सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई :–

मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार)

वनमण्डलाधिकारी रायपुर	वनमण्डलाधिकारी (अनु. एवं वि.) बिलासपुर	वनमण्डलाधिकारी (अनु. एवं वि.) जगदलपुर
परिक्षेत्र	परिक्षेत्र	परिक्षेत्र
1. राजिम विस्तार इकाई	1 बिल्हा विस्तार इकाई	1 गीदम विस्तार इकाई
2. रायपुर विस्तार इकाई	2 कोटा विस्तार इकाई	2 बीजापुर विस्तार इकाई
3. महासंमुद विस्तार इकाई	3 कोरबा विस्तार इकाई	3 बस्तर विस्तार इकाई
4. सराईपाली विस्तार इकाई	4 पेंड्रा विस्तार इकाई	4 तोकापाल विस्तार इकाई
5. कसडोल विस्तार इकाई	5 पटिया विस्तार इकाई	5 कोण्टा विस्तार इकाई
6. रायपुर-अनुसंधान इकाई	6 अकलतरा विस्तार इकाई	6 जगदलपुर विस्तार इकाई

12.3 हरियाली प्रसार योजना (2533) के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में (31 दिसम्बर की स्थिति में) आबंटित राशि

बजट प्रावधान	वृत्त का नाम	मद का नाम - हरियाली प्रसार योजना (2533)	आबंटित राशि (लाख में)
1	2	3	4
1387.50	कांकेर	41–2406	51.65
	जगदलपुर	41–2406	538.79
		64–2406	13.07
	सरगुजा	41–2406	34.8
	बिलासपुर	64–2406	197.07
		10–2406	47.43
	दुर्ग	64–2406	28.82
		41–2406	26.45
		10–2406	8.30
	रायपुर	10–2406	8.13
महायोग			954.51

12.4 (2533) राज्य में वानिकी अनुसंधान योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में (31 दिसम्बर की स्थिति में) आबंटित राशि

बजट प्रावधान	मद का नाम - 5089 राज्य में वानिकी अनुसंधान	कुल आबंटित राशि (लाख में)			
		रायपुर	बिलासपुर	जगदलपुर	योग
1	2	3	4	5	6
39.60	# 02 मजदूरी	16.33	19.51	3.76	39.60
22.00	# 25 सामग्री और पूर्तियां 006 अन्य व्यय	6.50	13.00	2.50	22.00
0.48	# 28 मशीन और उपकरण 006 अन्य व्यय	0.00	0.00	0.48	0.48
62.08	**योग :-**	**22.83**	**32.51**	**6.74**	**62.08**

12.5 मांग संख्या 41-2406 (4475) सामाजिक वानिकी आयोजना मद के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में (31 दिसम्बर की स्थिति में) आबंटित राशि

बजट प्रावधान	मद का नाम 41-2406 (4475) सामाजिक वानिकी	जगदलपुर	रायपुर	कांकेर	योग (लाख में)
1	2	3	4	5	6
61.00	# 02 मजदूरी 004 अन्य आकस्मिक मजदूरी	44.15	5.49	11.36	61.00
39.00	# 25 सामग्री एवं पूर्तियां 006 अन्य व्यय	27.76	3.66	7.58	39.00
100.00	**योग :-**	**71.91**	**9.15**	**18.94**	**100.00**

12.6 (4475) सामाजिक वानिकी आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में (31 दिसम्बर की स्थिति में) आबंटित राशि

बजट प्रावधान	मद का नाम (4475) सामाजिक वानिकी योजना आयोजनेत्तर	रायपुर	बिलासपुर	जगदलपुर	योग (लाख में)
1	2	3	4	5	6
4.00	# 02 मजदूरी	1.33	1.33	1.34	4.00
1.10	# 009 विज्ञापन एवं प्रचार	0.34	0.34	0.42	1.10
	# 024 अनुरक्षण कार्य				
1.75	001 मोटर गाड़ी,	0.57	0.58	0.60	1.75
1.40	002 मशीन उपकरण,	0.46	0.46	0.48	1.40
1.10	012 अन्य अनुरक्षण कार्य	0.36	0.36	0.38	1.10
	# 025 सामाग्री और पूर्तियां				
6.30	006 अन्य व्यय	2.09	2.09	2.12	6.30
15.65	**योग :-**	**5.15**	**5.16**	**5.34**	**15.65**

12.7 प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा हरियाली प्रसार योजना हेतु निर्धारित नार्म्स निम्नानुसार है -

- **योजना का संक्षिप्त विवरण** :- योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य समस्त वर्ग हेतु इच्छुक कृषकों को उनकी इच्छित प्रजाति के न्यूनतम 50 पौधे तथा अधिकतम 5000 पौधे प्रति कृषक रोपित कर हस्तांतरित किये जायेंगे। जहां तक ग्राफ्टेड फलदार पौधे के रोपण का प्रश्न है, प्रति कृषक अधिकतम 50 पौधे का रोपण किया जायेगा।

  (2) इस रोपण में प्रति पौधा 32.50 रूपये सामान्य पौधों के लिये, 30.50 रुपये क्लोनल पौधों के लिये तथा 63.50 ग्राफ्टेड फलदार पौधों के लिये व्यय आंकलित है जिसमें प्रथम वर्ष में पौधा तैयारी, पौधा परिवहन, रोपण, 2 बार निदाई एवं खाद/कीटनाशक तथा द्वितीय व तृतीय वर्ष में खाद/कीटनाशक व जीवित पौधों पर अनुदान का व्यय शामिल हैं।
- **रोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियां** :- खम्हार, बांस, सागौन, आंवला, कटहल, अमरूद, नींबू नीलगिरी, सिरस, मुनगा, शीशू, तथा शरीफा इत्यादि।
- **योजना के क्षेत्र** :- योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जायेगी। कम वन क्षेत्र वाले जिलों दुर्ग, जांजगीर–चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, महासमुंद, रायपुर, बेमेतरा, बालोद तथा आदिवासी बहुल जिलों में मांग के अनुसार अधिक लक्ष्य दिया जावेगा।
- **योजना लागत** :- बजट उपलब्धता के आधार पर प्रतिवर्ष वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जावेगा।
- **योजना से लाभ** :-
  - वामपंथ उग्रवाद एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार का सृजन
  - प्रति वर्ष लगभग 20 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन।

- पड़त भूमि का विकास।
- आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गो के आय में वृद्धि।
- पर्यावरण में सुधार।
- वनोपज के उत्पादन में वृद्धि।
- गैर वनभूमि में वानिकी विस्तार।

12.7.1 योजना के अंतर्गत 03 वर्षों में किये जाने वाले व्यय का नॉर्म्स निम्नानसुार है :-

क्र.	पौधों का प्रकार	अधिकतम प्रति पौधा व्यय 03 वर्षों में
1	साधारण पौधा	32.50/-
2	क्लोनल पौधा	30.50/-
3	फलदार ग्राफ्टेड पौधा	63.50/-

12.7.2 योजना के अंतर्गत मदवार व्यय का नार्म्स (वर्ष 2019-20) निम्नानुसार है :-

वर्ष	क्रमांक	कार्य का विवरण	साधारण पौधा	क्लोनल पौधा	ग्राफटेड/ फलदार पौधा
प्रथम वर्ष	1	पौधे का मूल्य	10.00 रू.	8.50 रू.	40.00 रू.
	2	परिवहन	2.50 रू.	2.00 रू.	3.00 रू.
	3	जुताई, गढ्डा खुदाई एवं रोपण	4.00 रू.	4.00 रू.	4.00 रू.
	4	निंदाई, गुड़ाई एवं रखरखाव	3.50 रू.	3.50 रू.	3.50 रू.
	5	खाद् एवं कीटनाशक	2.50 रू.	2.50 रू.	3.00 रू.
	6	कृषक सर्वेक्षण, समस्त क्षेत्रीय कार्यो में तकनीकी सहायता	0.50 रू.	0.50 रू.	0.50 रू.
	7	प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, अध्ययन प्रवास एवं अभिलेखीकरण	0.50 रू.	0.50 रू.	0.50 रू.
		प्रथम वर्ष का योग	**23.50 रू.**	**21.50 रू.**	**54.50 रू.**
द्वितीय वर्ष	1	जीवित पौधों की गणना, तकनीकी सहायता एवं अभिलेखीकरण	0.50 रू.	0.50 रू.	0.50 रू.
	2	जीवित पौधों हेतु रखरखाव/खाद, कीटनाशक दवा आदि	2.50 रू.	2.50 रू.	2.50 रू.
	3	जीवित पौधों के रखरखाव हेतु हितग्राही को अनुदान	1.50 रू.	1.50 रू.	1.50 रू.
		द्वितीय वर्ष का योग	**4.50 रू.**	**4.50 रू.**	**4.50 रू.**
तृतीय वर्ष	1	जीवित पौधों की गणना, तकनीकी सहायता एवं अभिलेखीकरण	0.50 रू.	0.50 रू.	0.50 रू.
	2	जीवित पौधों हेतु रखरखाव/खाद, कीटनाशक दवा आदि	2.50 रू.	2.50 रू.	2.50 रू.
	3	जीवित पौधों के रखरखाव हेतु हितग्राही को अनुदान	1.50 रू.	1.50 रू.	1.50 रू.
		तृतीय वर्ष का योग	**4.50 रू.**	**4.50 रू.**	**4.50 रू.**
महायोग			**32.50 रू.**	**30.50 रू.**	**63.50 रू.**

12.7.3 हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में रोपण एवं हितग्राहियों की संख्या वृत्तवार विवरण

क्रमांक	वृत्त का नाम	वर्षा ऋतु 2020 में रोपित किये गये पौधों की संख्या				हितग्राहियों की संख्या
		साधारण	क्लोनल	ग्राफ्टेड	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	कांकेर	257397		192183	449580	3795
2	सरगुजा	160000			160000	557
3	रायपुर	23270			23270	29
4	जगदलपुर	500000	200000	570000	1270000	7920
5	बिलासपुर	1200000			1200000	1833
6	दुर्ग	150000		85107	235107	5882
योग		**2290667**	**200000**	**847290**	**3337957**	**20016**

- हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत प्रथम 05 वर्षों (2005–06 से 2009–10) में वर्ष 2005–06 में 27.03 लाख, वर्ष 2006–07 में 31.08 लाख, वर्ष 2007–08 में 17.45 लाख, वर्ष 2008–09 में 79.92 लाख एवं वर्ष 2009–10 में 03 लाख पौधे का रोपण कार्य कराया गया। इस प्रकार प्रथम 05 वर्षों में 158.48 लाख पौधे रोपित किये गये।

12.7.4 हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत द्वितीय 10 वर्षों में रोपित पौधों का विवरण

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	वर्षाऋतु	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)	हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5
हरियाली प्रसार योजना (2533)	2010-11	2010	65.56	19414
	2011-12	2011	33.50	9985
	2012-13	2012	44.27	7542
	2013-14	2013	44.21	6235
	2014-15	2014	98.18	9319
	2015-16	2015	255.10	46120
	2016-17	2016	288.81	28993
	2017-18	2017	296.85	21397
	2018-19	2018	293.67	19727
	2019-20	2019	18.56	10497
	2020-21	2020	33.38	20016
योग			**1472.09**	**199245**

- हरियाली प्रसार योजना के अंतगर्त प्रारंभ से अब तक कुल 14 वर्षो में 14.72 करोड़ पौधों का रोपण कृषकों की भूमि पर किया गया है।

12.7.5 राज्य में उत्तम गुणवत्त के बीजों के संग्रहण हेतु निर्मित बीजोद्यान क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है

वनमंडल का नाम	SSO		CSO		SPA		प्रदर्शन क्षेत्र		कलिंग ऑर्चर्ड	
	संख्या	क्षेत्रफल हे. में	संख्या	क्षेत्रफल हे. में	संख्या	क्षेत्रफल हे. में	संख्या	क्षेत्रफल हे. में	संख्या	क्षेत्रफल हे. में
अनु. एवं वि. बिलासपुर	4	60.0	5	45.0	10	255.86	1	10.00	0	0.00
रायपुर	5	65.0	6	65.0	12	169.90	1	10.00	0	0.00
अनु. एवं वि. जगदलपुर	3	80.5	3	55.0	3	120.00	2	20.00	1	7.00
योग :-	**12**	**205.5**	**14**	**165.0**	**25**	**545.76**	**4**	**40.00**	**1**	**7.00**

- **हरियाली प्रसार योजना**

योजना का नाम - हरियाली प्रसार योजना
हितग्राही का नाम - हिमांशु पिता ब्रजराज
ग्राम - बकावण्ड
पौधा संख्या - 1300
वर्ष - 2015-16
परिक्षेत्र का नाम - जगदलपुर
वन मण्डल का नाम - सा.वा.वन मण्डल जगदलपुर

श्री गौतम पिता बैजनाथ, जाति - कलार, ग्राम हाटकोंदल
रोपण वर्ष - 2017-18
20°23'29", 81°1'5", 314.5m,

13. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास प्रभाग द्वारा मुख्यतः अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यो का संयोजन/नोडल कार्य किया जाता है।

- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित विभिन्न अनिवार्य प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं में जनवरी–2020 से दिसम्बर–2020 तक 41 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- वर्ष 2020 में 01 नव नियुक्त भारतीय वन सेवा के अधिकारी आधारभूत प्रशिक्षण पूर्ण किये है।
- राज्य वन सेवा के अधिकारियों हेतु देश के विभिन्न केन्द्रीय अकादमी जैसेः–देहरादून, बर्नीहाट, कोयम्बटूर द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण में राज्य वन सेवा के संवर्ग के 16 अधिकारियों ने रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- वर्ष 2018–20 बैच के 04 प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिये है।
- प्रशिक्षण सत्र 2019–21 में निम्नलिखित संस्थानों में 11 नव नियुक्त सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है :–

क्रं.	शिक्षण संस्थान का नाम	शिक्षणार्थियों की संख्या
1.	केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, बर्निहॉट	10
2.	केन्द्रीय अकादमीय राज्य वन सेवा, कोयम्बटूर	01
	योग :-	11

- प्रशिक्षण सत्र 2019–21 में निम्नलिखित संस्थानों में 29 नव नियुक्त वन क्षेत्रापाल आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है :–

क्रं.	शिक्षण संस्थान का नाम	शिक्षणार्थियों की संख्या
1.	उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्दवानी, जिला–नैनीताल	08
2.	कुण्डल अकादमी प्रशासनिक विकास एवं प्रबंधन कुण्डल, जिला–सांगली	08
3.	तमिलनाडु वन अकादमी, आर.एस. पुरम् कोयम्बटूर (तमिलनाडू)	06
4.	वानिकी प्रशिक्षण संस्थान एवं रेंजर कॉलेज, सुन्दनगर (हिमाचल प्रदेश)	07
	योग :-	29

14. सूचना प्रौद्योगिकी

विभागीय कार्यो की त्वरित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को सुदृढ़ करने हेतु विभाग द्वारा आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए विभिन्न ऑनलाईन एप्लीकेशन तैयार किये गये हैं। जिससे की कार्यो का प्रबंधन प्रभावी किया जा सके :–

1. **विभागीय वेबसाईट (www.cgforest.com)** - विभागीय वेबसाईट हिन्दी एवं अंग्रेजी में अपडेट की जाती है। मानव संसाधन विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा विभागीय वेबसाईट के अपडेशन हेतु कन्टेन्ट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है, जिसका उपयोग करते हुए वेबसाईट अपडेशन का कार्य किया जाता है।
2. **eReceipt & eDispatch Software (www.cgforest.com/letter)** - इस वेब आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यालयीन पत्रों को विभाग के विभिन्न कार्यालयों के मध्य आदान–प्रदान किया जाता है। मुख्यालय के समस्त प्रभाग/समस्त वृत्त कार्यालय/समस्त वनमण्डलों को उक्त सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया जाकर वर्तमान में इस सॉफ्टवेयर को विभाग के सभी कार्यालयों में लागू किया जा चुका है। आवक–जावक की परंपरागत पद्धति के स्थान पर यह नवीन, त्वरित एवं मितव्ययी व्यवस्था को विभाग में लागू किया गया है।
3. **विभागीय Order & Circular (www.cgforest.com/letter/LetterSearchPublic.aspx)** - वर्ष 2010 से विभागीय Orders & Circulars को विभागीय वेबसाईट www.cgforest.com में अद्यतन किया गया है, जो संदर्भ हेतु वेबसाईट पर उपलब्ध है।
4. **सुलभ Internet Connectivity** - नवीन मुख्यालय हेतु BSNL से 45 MBPS इंटरनेट कनेक्शन लिया गया है एवं वैकल्पिक इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु SWAN परियोजना के अंतर्गत मुख्यालय में इंटरनेट कनेक्शन लिया गया है। जिसे LAN एवं Wi-Fi के माध्यम से Internet सभी प्रभागों हेतु उपलब्ध कराया गया।
5. **Human Resource Management (www.cgforest.com/hrm)** - छ.ग. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के संपूर्ण बायोडेटा को संग्रहित करने एवं उसका उपयोग करने हेतु उक्त साफ्टवेयर को विकसित किया गया है। उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से भा.व.से./स.व.सं./वनक्षेत्रापाल एवं अन्य स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी प्रविष्टी की जाती है।
6. **Regional Geomatic Centers :-** वृत्त स्तर पर Regional Geomatic Centers में Map Digitaization/ Printing तथा विभाग में संचालित DSS/Application की मॉनिटरिंग की जाती है।
7. **Production DSS (www.cgforest.com/ProductionDSSNEW)** - यह उत्पादन शाखा से सबंधित वेब आधारित साफ्टवेयर है, जिसमें उत्पादन (डिपों) से सबंधित समस्त कार्यो का समावेश किया गया है। उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से गेट एन्ट्री, चालान स्टैकिंग, लाटिंग, नीलाम, परिणाम,

अपसेट प्राईज का निर्धारण, विक्रय स्वीकृति, मटेरियल हटाने की अनुमति आदि से संबंधित प्रविष्टी का कार्य किया जाता है।

8. **Protection DSS (www.cgforest.com/ProtectionDss)** - यह संरक्षण शाखा से संबंधित वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसमें वन अपराध प्रकरण (P.O.R.) की प्रविष्ठी एवं विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग का कार्य हेतु विकसित किया गया है।

9. **Video Conferencing** - नवा रायपुर अटल नगर स्थित वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मुख्यालय, अरण्य भवन, सेक्टर–19 एवं समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों (रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/कांकेर/सरगुजा/जगदलपुर वृत्त) में Video Conferencing करने हेतु Complete Setup स्थापित किया जा चुका है तथा वर्तमान में 27 वनमण्डल स्तर के कार्यालयों को भी Video Conferencing के माध्यम से जोड़ा जा चुका है।

10. **Online Transit permit** - वन उत्पादको के परिवहन हेतु ऑनलाईन परमिट पास जारी करने की Application प्रायोगिक तौर पर वर्तमान में धमतरी वनमंडल में लागू की गई है।

15. वन प्रबंधन सूचना प्रणाली

नवम्बर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद वन प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरूआत की गयी। वर्तमान में वन प्रबंधन सूचना प्रणाली को ऐसे समेकित (integrated) प्रबंध यंत्र के रूप में विकसित किया गया है जो सतत् वानिकी प्रबंधन और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बीच तालमेल ला सके। अभी यह छत्तीसगढ़ वन विभाग के लिए बहुद्देशीय प्रबंधन क्रियाओं में योजना के निर्माण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए सहायक के रूप में उपयोग होता है। इसका उपयोग प्रशासनिक इकाईयों एवं संगठन के अलग–अलग स्तरों पर रणनीति तैयार करना, कार्य योजना निर्माण करना, युक्तिपूर्ण (Tactical), क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण कार्य के उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में वन प्रबंधन सूचना प्रणाली में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) पूर्णतः समायोजित है।

15.1 वन प्रबंधन सूचना प्रणाल के उद्देश्य

राज्य में वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (FMIS) को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

- Spatial & Non-spatial data collection
- Forest mapping
- Forest Management Planning
- Application Software Development
- Networking & Communication
- Training & Capacity building
- Providing value-added services to field officers

अब तक निम्नानुसार एप्लीकेशन्स का निर्माण एवं रखरखाव किया जा रहा है :–

- PCCF Monitoring System
- Wildlife Compensation System
- e-Green Watch Portal
- Working Plan DSS
- Time Limit Cases
- Fire MIS
- WP Document MIS
- GIS Based Plantation

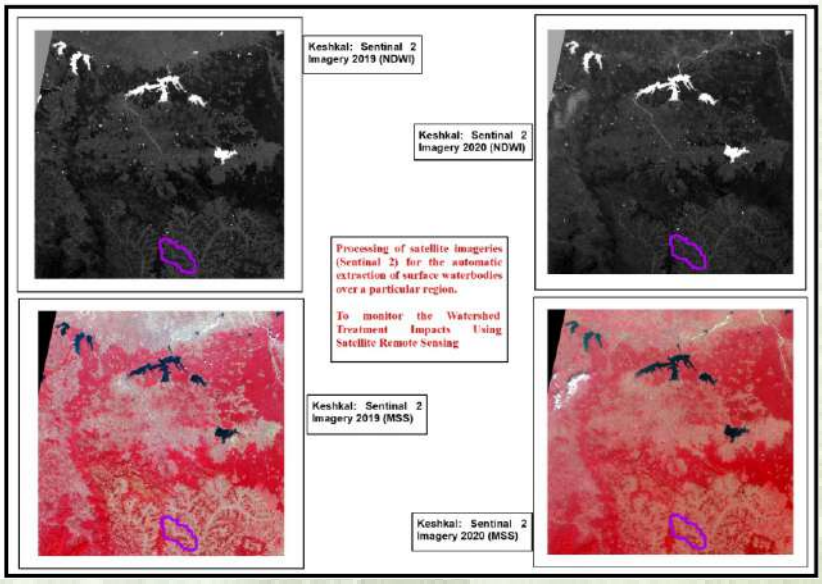

15.2 वर्तमान में आरंभ किये गये कार्य निम्नानुसार है

- DGPS Survey - बालोद वनमंडल में सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा जगदलपुर वनमंडल में सर्वे कार्य प्रगति पर है।
- Toll Free call support System - बाहर से आये हुए शिकायत एवं सुझाव को सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित करने के लिए एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है जिसमें विभिन्न वृत्तवार, वनमण्डलवार एवं शाखावार शिकायतों / सुझावों को एप्लीकेशन में प्रविष्ठि किया जा सके जिससे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने या दुविधाओं को हल करने में आसानी होगी।
- **SPARROW online -** इस सॉफ्टवेयर में अधिकारियों के APR (Annual Performance Report) की ऑनलाईन प्रविष्ठि की जाती है।
- अरण्य भवन (मुख्यालय) में नया कम्प्यूटर प्रशिक्षण हॉल बनाया गया।
- अरण्य भवन (मुख्यालय) टी.आर. 11 में नया मिटींग हाल विकसित किया गया।
- अरण्य भवन (मुख्यालय) में नया लाईब्रेरी विकसित किया गया, जिसमें पुस्तकों का बार कोडिंग किया गया है।

प्रभाग द्वारा विभाग में उपलब्ध समस्त सूचना प्रौद्योगिकी कार्यो का रख-रखाव तथा अद्यतन करने का निम्नानुसार कार्य किया गया :-

1. कार्य आयोजना पुनरीक्षण के तहत 23 वनमंडलों का डिजिटाईजेशन का कार्य किया गया। कुल 1,967 डिजिटल नक्शा बनाया गया। कार्य आयोजना डी.एस.एस. को राष्ट्रीय कार्य आयोजना को 2014 कोड के अनुसार अद्यतन किया गया।
2. वन संरक्षक अधिनियम के तहत कुल 30 प्रकरणों में डाटा डिजिटाईजेशन तथा नक्शा बनाने का कार्य किया गया। अस्वीकृत वनाधिकार पत्र के कुल 2,030 प्रकरणों का डिजिटल डाटा तैयार किया गया।
3. फारेस्ट फॉयर अलर्ट के तहत कुल 4,713 अग्नि घटनाओं का दैनिक सूचना एवं फीडबैक प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण किया गया।
4. विभागीय वेबसाईट तथा Video Conferencing सुविधा का रखरखाव अद्यतन कार्य किया गया।
5. अन्य समस्त कार्य जैसे पी.सी.सी.एफ. मानिटरिंग सिस्टम, ई–ग्रीन वाच पोर्टल, ई–रिसीप्ट डिस्पेच सिस्टम, छ.ग. ई–प्रोक्योरमेट सिस्टम, स्पैरो आई.एफ.एस. आदि का रखरखाव एवं संबंधित कार्य किया गया एवं वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वार्षिक सर्कूलर बुक आदि की छपाई कार्य किया गया।

16. सतर्कता एवं शिकायत

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के सतर्कता एवं शिकायत प्रभाग द्वारा विभाग में प्राप्त शिकायत प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। इस प्रभाग में मुख्यमंत्री निवास एवं सचिवालय से प्राप्त जनचौपाल, जनदर्शन, शासन, भारत शासन की वेबपोर्टल CPGRAMS पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदन, पी.जी.एन., लोक आयोग, आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो तथा शिकायतकर्ता से सीधे शिकायतें प्राप्त होती है। उपरोक्त माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर जांच के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदनों का परीक्षण इस प्रभाग द्वारा किया जाता है जो शिकायतें जांच में निराधार पायी जाती है उन्हें नस्तीबद्ध किया जाता है तथा जिनमें सत्यता पाई जाती है उनके लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर जिम्मेदारी निर्धारण कर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित किये जाते हैं। शिकायतों के विभिन्न स्रोत निम्नानुसार है :–

16.1 मुख्यमंत्री निवास एवं सचिवालय से प्राप्त जनचौपाल एवं जनदर्शन प्रकरण, शासन से प्राप्त प्रकरण, पी.जी.एन. (Public Grievance Number) प्रकरण एवं विभाग को सीधे प्राप्त प्रकरण

16.2 लोक आयोग प्रकरण

वन विभाग से संबंधित शिकायतों को प्रकरण क्रमांक आबंटित कर माननीय लोक आयोग द्वारा छ.ग. शसान, वन विभाग अथवा सीधे प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को जांच हेतु प्रेषित किया जाता है। प्राप्त शिकायतों की जांच इस प्रभाग द्वारा करायी जाती है। जांच प्रतिवेदन एवं जांच के निष्कर्ष से माननीय लोक आयोग को अवगत कराया जाता है, जिस पर अंतिम निर्णय माननीय लोक आयोग द्वारा लिया जाता है।

16.3 राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो प्रकरण

राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो को प्राप्त शिकायतों में से गम्भीर शिकायतों की जांच राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो द्वारा स्वयं की जाती है तथा शेष शिकायतों को जांच हेतु वन विभाग अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित किया जाता है। छ.ग. राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से उपरोक्तानुसार प्राप्त शिकायतों की जांच इस प्रभाग द्वारा कराई जाती है तथा जांच उपरांत जांच प्रतिवेदन को अनुषांगिक अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो को प्रेषित किया जाता है।

16.4 भारत शासन की वेबपोर्टल पर ऑनलाईन CPGRAM प्राप्त आवेदन

भारत शासन की वेबपोर्टल (CPGRAMS) में देश के नागरिकों द्वारा सरकारी संगठनों के प्रति शिकायतों को ऑनलाईन दर्ज कराने की व्यवस्था है। इस वेबपोर्टल में दर्ज शिकायतों की मॉनिटरिंग भारत सरकार द्वारा की जाती है। वन विभाग से संबंधित विषयों के प्राप्त आवेदनों पर रजिस्ट्रेशन नम्बर, दिनांक अंकित कर छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को निराकरण हेतु प्राप्त होता है तथा वेबपोर्टल से ऑनलाईन आवेदन भी प्राप्त की जाती है। वेबपोर्टल से प्राप्त आवेदनों का विवरण http://pgportal.gov.in (CPGRAMS) वेबसाईट पर उपलब्ध रहता है। प्राप्त आवेदनों का निराकरण इस प्रभाग द्वारा किया जाता है तथा निराकरण उपरांत निराकरण के निष्कर्ष के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को सूचित किया जाता है तथा इसे वेबसाईट पर अंकित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त इस प्रभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपील के माध्यम से प्राप्त अपील प्रकरणों पर सुनवाई की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय तथा (क्षेत्रीय) छः मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों के लिए मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता/शिकायत) प्रथम अपीलीय अधिकारी है। इन कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों के विरूद्ध प्रथम अपील आवेदन इस प्रभाग को प्रेषित होते हैं जिन पर सुनवाई कर अपील आवेदनों का निपटारा इस प्रभाग द्वारा किया जाता है।

17. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

वन विभाग मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्र./5136/10/2/86 दिनांक 15.10.1986 एवं मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक/1490 दिनांक 22.04.1994 के अनुसार तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के पत्र क्रमांक/अनु./मूल्यां./निर्देश/23 दिनांक 12.03.2013 के निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा संपादित वृक्षारोपणों का अंतर्वृत्तीय निरीक्षण वृक्षारोपण के 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् संपन्न किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार वर्ष 2011–12 में निर्मित वृक्षारोपण का वर्ष 2015–16 में, वर्ष 2012–13 में निर्मित वृक्षारोपण का वर्ष 2016–17 में, वर्ष 2013–14 में निर्मित वृक्षारोपण का 2017–18, वर्ष 2014–15 में निर्मित वृक्षारोपण का वर्ष 2018–19 में , वर्ष 2015–16 में निर्मित वृक्षारोपण का वर्ष 2019–20 में, वर्ष 2016–17 में निर्मित वृक्षारोपण का वर्ष 2020–21 में मूल्यांकन हेतु कार्य आंबटित किया गया।

विभिन्न वनमंडलों के वृक्षारोपणों के आंशिक निरीक्षण हेतु चयनित सैम्पलों में वर्तमान तक किये गये निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार औसत जीवित पौधों का प्रतिशत वनमंडलवार निम्नानुसार है :–

वर्ष 2011-12 में किये गये वृक्षारोपणों की वनमंडलवार जानकारी

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वनमंडल अंतर्गत औसत जीवित प्रतिशत	अधिकारी जिन्हे निरीक्षण कार्य आंबटित किया गया
1	2	3	4	5
01	रायपुर	धमतरी	66.38 %	मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर
		अनु. विस्तार रायपुर	67.20 %	
		गरियाबंद	67.82 %	
		रायपुर	66.16 %	
		महासमुंद	76.00%	
02	बिलासपुर	बिलासपुर	75.19 %	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग
		मरवाही	68.15 %	
		कोरबा	72.49 %	
		मुंगेली	79.83 %	
		कटघोरा	69.62 %	
		धरमजयगढ़	62.78%	
		जांजगीर चांपा	67.40 %	
		अनु.एवं विस्तार बिलासपुर	90.18 %	
		रायगढ़	1.58 %	
03	सरगुजा	बलरामपुर	84.30 %	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर
		सरगुजा	54.41 %	
		सूरजपुर	69.00%	
		मनेन्द्रगढ़	85.32 %	
		जशपुर	57.00%	
		कोरिया	58.00%	

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वनमंडल अंतर्गत औसत जीवित प्रतिशत	अधिकारी जिन्हे निरीक्षण कार्य आंबटित किया गया
1	2	3	4	5
04	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	43.92%	मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा
		कांकेर	46.50%	
		नारायणपुर	42.39%	
		उत्तर कोण्डागांव	81.15%	
		द.कोण्डागांव	64.36%	
		पश्चिम भानुप्रतापपुर	80.00%	
05	जगदलपुर	सुकमा	46.95%	मुख्य वन संरक्षक, कांकेर
		बस्तर	69.00%	
		दंतेवाड़ा	60.00%	
		बीजापुर	61.00%	
		अनु./विस्तार	69.00%	
06	दुर्ग	बालोद	71.79%	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर
		कवर्धा	65.38%	
		खैरागढ़	76.00%	
		राजनांदगांव	65.64%	

वर्ष 2012-13 में किये गये वृक्षारोपणों की वनमंडलवार जानकारी

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वनमंडल अंतर्गत औसत प्रतिशत	अधिकारी जिन्हे निरीक्षण कार्य आंबटित किया गया
1	2	3	4	5
01	रायपुर	बलौदाबाजर	82.40 %	मुख्य वन संरक्षक,सरगुजा
		गरियाबंद	47.00%	
		महासमुंद	77.34%	
		रायपुर	81.34 %	
02	बिलासपुर	बिलासपुर	82.59 %	मुख्य वन संरक्षक,जगदलपुर
		मरवाही	80.00%	
		कोरबा	70.78 %	
		मुंगेली	65.77 %	
		कटघोरा	74.14 %	
		जांजगीर चांपा	63.17 %	
		रायगढ़	74.92%	
		धरमजयगढ़	85.00%	
		अनु.एवं विस्तार बिलासपुर	78.11 %	
03	सरगुजा	बलरामपुर	90.00%	मुख्य वन संरक्षक, कांकेर
		अंबिकापुर	62.68 %	
		कोरिया	74.97 %	
		जशपुर	54.48 %	
		मनेन्द्रगढ़	62.00%	
		सूरजपुर	57.60%	

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वनमंडल अंतर्गत औसत प्रतिशत	अधिकारी जिन्हे निरीक्षण कार्य आंबटित किया गया
1	2	3	4	5
04	जगदलपुर	सुकमा	57.50%	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग
		बीजापुर	63.39%	
		बस्तर	68.00%	
		दंतेवाड़ा	60.27%	
		अनु./विस्तार	58.00%	
05	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	49.00%	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर
		कांकेर	61.60%	
		नारायणपुर	45.00%	
		द.कोण्डागांव	83.00%	
		पश्चिम भानुप्रतापपुर	80.00%	
		उत्तर कोण्डागांव	69.54%	
06	दुर्ग	राजनांदगांव	65.65%	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर
		खैरागढ़	58.66%	

वर्ष 2013-14 में किये गये वृक्षारोपणों की वनमंडलवार जानकारी

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वनमंडल अंतर्गत औसत प्रतिशत	अधिकारी जिन्हे निरीक्षण कार्य आंबटित किया गया
1	2	3	4	5
01	दुर्ग	दुर्ग	84.36 %	मुख्य वन संरक्षक,सरगुजा
		खैरागढ़	79.21 %	
		बालोद	89.60 %	
		कवर्धा	70.51 %	
		राजनांदगांव	64.00%	
02	बिलासपुर	बिलासपुर	77.00%	मुख्य वन संरक्षक, कांकेर
		मरवाही	87.00%	
		कोरबा	58.00 %	
		कटघोरा	47.09 %	
		रायगढ़	73.41 %	
		धरमजयगढ़	66.77 %	
		मुंगेली	58.10 %	
		जांजगीर–चांपा	71.40 %	
03	सरगुजा	बलरामपुर	75.00%	मुख्य वन संरक्षक,जगदलपुर
		सरगुजा	79.00%	
		सूरजपुर	83.80 %	
		जशपुर	86.00 %	
		कोरिया	68.00%	
		मनेन्द्रगढ़	67.39 %	

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वनमंडल अंतर्गत औसत प्रतिशत	अधिकारी जिन्हे निरीक्षण कार्य आंबटित किया गया
1	2	3	4	5
04	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	66.29%	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग
		प. भानुप्रतापपुर	86.00 %	
		द.कोण्डागांव	79.00%	
		उ.कोण्डागांव	72.00 %	
05	रायपुर	रायपुर	67.16 %	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर
		गरियाबंद	53.00 %	
		बलौदाबाजार	72.30%	
		महासमुंद	67.75 %	
06	जगदलपुर	सुकमा	54.50 %	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर
		बीजापुर	60.33 %	
		दंतेवाड़ा	49.54 %	
		बस्तर	69.00 %	
		अनु./विस्तार	65.63 %	

वर्ष 2014-15 में किये गये वृक्षारोपणों की वनमंडलवार जानकारी

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वनमंडल अंतर्गत औसत प्रतिशत	अधिकारी जिन्हे निरीक्षण कार्य आंबटित किया गया
1	2	3	4	5
01	दुर्ग	दुर्ग	73.00 %	मुख्य वन संरक्षक,सरगुजा
		राजनांदगांव	85.34 %	
		खैरागढ़	63.42 %	
		बालोद	83.79 %	
		कवर्धा	72.00 %	
02	बिलासपुर	जांजगीर–चांपा	64.00%	मुख्य वन संरक्षक,कांकेर
		मरवाही	87.00 %	
		रायगढ़	74.28%	
		धरमजयगढ़	87.00 %	
		मुंगेली	27.03 %	
		कोरबा	71.72%	
		कटघोरा	71.19 %	
03	सरगुजा	जशपुर	74.00 %	मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर
		सरगुजा	79.12 %	
		मनेन्द्रगढ़	73.49%	
		सूरजपुर	82.71 %	
		बलरामपुर	85.00 %	
		कोरिया	67.93%	

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वनमंडल अंतर्गत औसत प्रतिशत	अधिकारी जिन्हे निरीक्षण कार्य आंबटित किया गया
1	2	3	4	5
04	रायपुर	अनु./विस्तार	67.54 %	मुख्य वन संरक्षक,बिलासपुर
		गरियाबंद	70.62 %	
		महासमुंद	53.00%	
		रायपुर	69.00 %	
		धमतरी	52.49%	
05	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	83.48%	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग
		प. भानुप्रतापपुर	71.17 %	
		द.कोण्डागांव	86.51 %	
		उ.कोण्डागांव	86.15 %	
		नारायणपुर	70.74 %	
		कांकेर	69.19 %	
06	जगदलपुर	सुकमा	68.46 %	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर
		बीजापुर	67.27%	
		दंतेवाड़ा	60.86 %	
		अनु./विस्तार	80.12 %	
		बस्तर	71.21 %	

वर्ष 2015-16 में किये गये वृक्षारोपणों की वनमंडलवार जानकारी

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वनमंडल अंतर्गत औसत प्रतिशत	अधिकारी जिन्हे निरीक्षण कार्य आंबटित किया गया
1	2	3	4	5
01	दुर्ग	दुर्ग	91.00 %	मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर
		बालोद	76.00 %	
		खैरागढ़	71.16 %	
		राजनांदगावं	77.60 %	
02	जगदलपुर	बीजापुर	54.23 %	मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा

शेष वृक्षारोपण निरीक्षण कार्य प्रगति पर है।

17.1 जी.आई.एस. पद्धति से वृक्षारोपण की मॉनिटरिंग

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2–7/2013/10–2 बजट, दिनांक 18.02.2014 के अनुसार वन विभाग द्वारा संचालित समस्त वृक्षारोपण कार्य एवं उससे संबंधित कार्यो के अभिलेखन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु जी.आई.एस. पद्धति का उपयोग तत्काल प्रभाव से करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। तद्‌नुसार सभी वनमंडलों द्वारा वर्ष 2014–15 से 2020–21 के वृक्षारोपण के डेटाबेस की जानकारी KML File के माध्यम से FMIS portal पर प्रविष्टि की जा रही है।

18. कार्य आयोजना शाखा

छत्तीसगढ़ राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन क्षेत्र 59,772.686 वर्ग किलोमीटर है, जिसमे आरक्षित वन 25,784.976 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन 24,553.505 वर्ग किलोमीटर एवं अवर्गीकृत वन 9,434.205 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 44.21 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है। राज्य के वन क्षेत्र में 43.13: प्रतिशत आरक्षित वन, 40.21 प्रतिशत संरक्षित वन एवं शेष अवर्गीकृत वन सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ राज्य वन आवरण की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर है।

वनमण्डल की कार्य आयोजना वरिष्ठ वन अधिकारी (वन संरक्षक स्तर के अधिकारी) के द्वारा बनायी जाती है। कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। कार्य आयोजना का पुनरीक्षण कार्य आयोजना समाप्ति के 03 वर्ष पूर्व प्रारंभ कर दिया जाता है ताकि समय अवधि समाप्त होने के पश्चात वनमण्डल में नई कार्य आयोजना लागू की जा सकें।

वनमण्डलों की प्रचलित कार्य आयोजना	रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, बिलासपुर (पार्ट), मरवाही, कोरबा, कटघोरा, जांजगीर–चांपा, राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर, बीजापुर, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, केशकाल, कोण्डागांव, नारायणपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, जशपुर, मुंगेली, रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ – कुल 26
वर्ष 2020–21 में वनमण्डलों की स्वीकृत कार्य आयोजना	रायगढ़, धरमजयगढ़, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, केशकाल, नारायणपुर, सूरजपुर एवं जशपुर – कुल 08
वनमण्डलों की पुनरीक्षणरत कार्य आयोजना का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्ततीकरण संपन्न	रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर (पार्ट), मरवाही, कोरबा, कटघोरा, जांजगीर–चांपा, दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सरगुजा – कुल 13
वनमण्डलों की पुनरीक्षणरत कार्य आयोजना का द्वितीय प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण संपन्न	बिलासपुर (पार्ट), खैरागढ़, सुकमा एवं कांकेर – कुल 04

19. वित्त-बजट

(राशि करोड़ में)

वर्ष 2019-20		
मांग संख्या 10 - आयोजनेत्तर	प्राप्त बजट (रू. करोड़ में)	व्यय (रू. करोड़ में)
मतदेय	731.29	593.30
भारित	15.73	5.30
योग - आयोजनेत्तर	**747.02**	**598.60**
राजस्व प्राप्ति		
0406 - राजस्व का लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ	लक्ष्य (रू. करोड़ में)	प्राप्तियाँ (रू. करोड़ में)
-	**600.00**	**247.43**
वर्ष - 2020-21 (नवम्बर 2020 की स्थिति में)		
मांग संख्या 10 - आयोजनेत्तर	प्राप्त बजट (रू. करोड़ में)	व्यय (रू. करोड़ में)
मतदेय	970.91	365.98
भारित	10.85	0.31
योग - आयोजनेत्तर	**981.76**	**366.29**
राजस्व प्राप्तियाँ (नवम्बर 2020 की स्थिति में)		
0406 - राजस्व का लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ	लक्ष्य (रू. करोड़ में)	प्राप्तियाँ (रू. करोड़ में)
-	**700.00**	**170.24**

20. छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

राज्य में वानिकी की विभिन्न विधाओं पर अनुसंधान करने एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 2007 में छ.ग.राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर का शासन द्वारा गठन किया गया। यह संस्थान छ.ग. विधानसभा के सामने 63 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है तथा 100 किलोवॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र से सुसज्जित है।

20.1 संस्थान की सर्वाधिक जनोन्मुखी तथा जैविक किसानों के बीच अति लोकप्रिय कल्याणकारी योजना छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट)

छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट)

छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (छ.ग. सर्टिफिकेशन सोसायटी इंडिया फॉर फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर–सीजीसर्ट) एक राज्य स्तरीय जैविक उत्पाद (जैसे कृषि–फसल, फल एवं सब्जी जैसी उद्यानिकी फसल, गोठानों द्वारा उत्पादित जैविक खाद, लघु वनोपज, पशुधन, मत्स्य एवं प्रसंस्कृत जैविक उत्पाद आदि) प्रमाणीकरण समिति है जो वन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में संचालित है।

सीजीसर्ट समिति, एपिडा (Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority–कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) नई दिल्ली द्वारा जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण करने हेतु मान्यता प्राप्त है। एपिडा राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय स्तर पर जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण करने हेतु भारतवर्ष की जैविक प्रमाणीकरण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करता है। भारत में केवल 10 राज्यों में ही मान्यता प्राप्त शासकीय प्रमाणीकरण समितियॉ हैं जिनमें से सीजीसर्ट एक है।

सीजीसर्ट का उद्देश्य कृषि–फसल, फल एवं सब्जी जैसी उद्यानिकी फसल, गोठानों द्वारा उत्पादित जैविक खाद, लघु वनोपज, पशुधन, मत्स्य एवं प्रसंस्कृत जैविक उत्पादों आदि का प्रमाणीकरण करना एवं इस प्रकार प्रमाणित उत्पादो के विपणन को सुगम बनाना एवं इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है।

जैविक प्रमाणीकरण से जहां एक ओर कृषकों एवं निर्यातकों को उनके प्रमाणीकृत जैविक उत्पादों का अधिक मूल्य मिल रहा है वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को प्रामाणिक गुणवत्ता की स्वास्थ्यवर्धक जैविक सामग्री मिलना सुनिश्चित हो रहा है।

समिति का कार्य क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर है। वर्तमान में समिति द्वारा मुख्यतः कृषि एवं वानिकी के पादप उत्पादों एवं जैविक खाद आदि के प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है। समिति के द्वारा छ.ग राज्य के बाहर केरल, गुजरात, मध्यप्रदेश, आसाम एवं नागालैण्ड के उत्पादो का भी जैविक प्रमाणीकरण किया गया है। विगत् 5 वर्षो में समिति द्वारा लगभग 250 समूह एवं एकल जैविक प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं जिससे लगभग 10,000 कृषक एवं संग्राहक लाभान्वित हुए हैं।

वित्त वर्ष 2020–21 में सीजीसर्ट ने एन.पी.ओ.पी (National Programme for Organic Production) मानकों के अनुसार 36 ऑपरेटर्स को प्रमाणीकृत किया है। विवरण निम्नलिखित है :–

स्कोप	प्रमाणित ऑपरेटर्स	प्रक्रियाधीन प्रकरण
एकल कृषि उत्पादन	29	6
कृषि समूह के अंतर्गत	03	1
निर्माता/इनपुट अनुमोदन	03	0
लघु वनोपज संग्रहण	01	4
प्रसंस्करणकर्ता	00	1
कुल	**36**	**12**

भविष्य में समिति अन्य विधाओं जैसे पशुधन उत्पादों, पारम्परिक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकों के स्वैच्छिक प्रमाणीकरण (Voluntary Certification Scheme for Traditional Community Health Practitioners), औषधीय पौध उत्पाद प्रमाणीकरण (Voluntary Certification Scheme for Medicinal Plant Products) एवं वनों के संरक्षण/प्रबंधन (Network for Conservation and Certification of Forest – Forest Management) के प्रमाणीकरण हेतु भी अग्रसर हो रही है।

छ.ग प्रमाणीकरण समिति भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) की कार्यकारिणी परिषद की 18 वीं बैठक दिनॉक 27.10.2020 एवं आम सभा की 13वीं बैठक दिनाँक 17.12.2020 को संपन्न हुई।

20.2 छ.ग. वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का स्वीकृत सेटअप

स.क्र.	पदनाम	पद संख्या	कार्यरत पद
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक	1	1
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	1	1
3	अपर संचालक (वन संरक्षक)	1	–
4	संयुक्त संचालक (उप वन संरक्षक)	1	1
5	सहायक संचालक (सहायक वन संरक्षक)	2	1
6	वनक्षेत्रपाल	2	–
7	वनपाल	2	1
8	वनरक्षक	5	5
	योग	**15**	**10**
	वैज्ञानिक पद		
1	वैज्ञानिक एस.सी.	3	–
2	वैज्ञानिक एस.बी.	6	–
	योग	9	**-**
	तकनीकी पद		
1	अनुसंधान सहायक	6	–
2	तकनीकी सहायक	3	1
3	लैब टैक्निशियन	2	2
4	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	–
5	सहायक प्रोग्रामर	1	1
6	डाटा एंट्री ऑपरेटर	4	3
	योग	**17**	**7**
	गैर तकनीकी पद		
1	सहायक संचालक वित्त प्रतिनियुक्ति पर	1	–
2	प्रशासकीय अधिकारी	1	–
3	निज सहायक	1	–
4	अधीक्षक	1	1
5	सहायक ग्रेड–1	2	–
6	शीघ्रलेखक वर्ग–03 (अंग्रेजी)	1	–
7	शीघ्रलेखक वर्ग–03 (हिन्दी)	1	1
8	सहायक ग्रेड–2	4	3
9	सहायक ग्रेड–3	6	2
10	स्टेनोटायपिस्ट	1	–
11	हल्का वाहन चालक	5	2
12	भारी वाहन चालक	1	–
13	भृत्य/अर्दली	7	2
14	चौकीदार	3	3
	योग	**35**	**14**
	महायोग	**76**	**31**

20.3 संस्थान के प्रभाग

1. जैवविविधता प्रभाग
   (Biodiversity Division)
2. जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग
   (Biotechnology Division)
3. वन वर्धन, वन मापिकी एवं वन वर्गीकरण प्रभाग
   (Silviculture, Mensuration & Forest Taxonomy Division)
   - वन वर्गीकरण (Forest Taxonomy)
   - वन वर्धन एवं वन मापिकी (Silviculture & Forest Mensuration Division)
   - मृदा विज्ञान (Soil Science)
   - बीज प्रमाणीकरण (Seed Certification)
4. गैर काष्ठीय वन उत्पाद प्रभाग
   (Non Timber Forest Produce-NTFP Division)
5. वन संरक्षण प्रभाग (रोग एवं कीट)
   (Forest Protection Division)
   - वन रोग विज्ञान (Forest Pathology)
   - वन कीट विज्ञान (Forest Entomology)
6. कृषि वानिकी एवं आजीविका प्रोत्साहन प्रभाग
   (Agroforestry & Livelihood Promotion Division)
7. मानव संसाधन विकास प्रभाग
   (Human Resource Development Division)
8. सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रभाग
   (Information, Education & Communication Division)

20.4 अनुसंधान मूलक गतिविधियों का विवरण

1. छत्तीसगढ़ के सात जिलों (दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगॉव, मुंगेली, कोरबा, बलौदाबाजार एवं कवर्धा के वन क्षेत्रों एवं 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित 10 हेक्टेयर एवं अधिक क्षेत्रफल की आद्र भूमि) में जैव विविधता का मूल्यांकन और पारिस्थितिक स्थिति

का पायलट अध्ययन पूर्ण किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से द्वितीय चरण के अध्ययन हेतु राशि प्राप्त होने के उपरांत शेष कार्य किया जायेगा।

2. छ.ग. के ऑवला वृक्षारोपणों में कम ऑवला फल आने के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक उपाय करना, छ.ग. के वनों में बीज उत्पादन प्रक्षेत्रों का निर्धारण एवं छ.ग. के विभिन्न वनमण्डलों में चयनित वृक्षारोपण क्षेत्रों की मृदा की गुणवत्ता के अध्ययन पर कैम्पा वित्त पोषित अनुसंधान कार्य, बीज परीक्षण प्रयोगशाला की कैम्पा वित्त पोषित स्थापना तथा दंतेवाड़ा–बस्तर वनमंडल के 83 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम के तहत व्यपवर्तन के प्रकरण में यूज़र एजेंसी एन.एम.डी.सी. द्वारा अनुरोधित तथा पोषित एवीफौना स्कीम तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

3. संस्थान में 2013 से ट्रॉपिकल फारेस्ट रिसर्च इंस्टीटयूट, जबलपुर (टी.एफ.आर.आई) के तकनीकी सहयोग से राज्य कैम्पा वित्त पोषित आधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित तथा कार्यरत है। इस प्रयोगशाला में वन विभाग द्वारा भेजे गये मृदा नमूनों की जांच की जाती है। वित्त वर्ष 2020–21 में 307 मृदा सैम्पल्स की जांच कर वांछित रिपोर्ट वन विभाग को भेजी जा चुकी है।

20.5 छ.ग. राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान केन्द्र एवं प्रकोष्ठ का स्थानांतरण

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 30/06/2020 द्वारा जलवायु परिवर्तन ज्ञान केन्द्र एवं प्रकोष्ठ को इस संस्थान से कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छ.ग. अरण्य भवन में स्थानांतरित किया जा चुका है।

भाग – दो

21. वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ के कुल वनक्षेत्र में से 11,984.30 वर्ग कि.मी. विभिन्न प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों के रूप में विद्यमान हैं जो 20.05 प्रतिशत है। संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत 3 राष्ट्रीय उद्यान, 11 अभ्यारण्य, 3 टायगर रिजर्व, 1 हाथी रिजर्व एवं 1 बायोस्फियर रिजर्व के माध्यम से वन्यप्राणियों के सुरक्षा एवं संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। वन्यप्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उनके बचाव व पुनर्वास के लिए नंदनवन जू एवं सफारी, नवा रायपुर तथा कानन पेण्डारी जू बिलासपुर की स्थापना की गयी है। जांजगीर–चांपा जिले में मगरमच्छ कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित की गयी है जिसके माध्यम से मगरमच्छ संरक्षण का कार्य संपादित किया जा रहा है।

कार्य एवं दायित्व

वन विभाग के वन्यप्राणी संरक्षण प्रभाग का मुख्य दायित्व वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का पालन एवं क्रियान्वयन कराना है। मुख्य दायित्व एवं कर्तव्य निम्नानुसार है :–

- वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंध योजना तैयार कर क्रियान्वयन करना।
- विशिष्ट प्रजाति बाघ, हाथी, तेन्दुआ, गौर, वनभैंसा, पहाड़ी मैना एवं गिद्ध जैसे विलुप्तप्राय वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्धन हेतु योजनाएं संचालित करना एवं उनकी संख्या में वृद्धि करना।
- टायगर रिजर्व के अंतर्गत स्वीकृत टायगर कंजर्वेशन प्लॉन (TCP) के तहत उनका प्रबंधन करना जिसमें मुख्यतः बाघों की संख्या में वृद्धि करने हेतु रहवास विकास, बाघों के भोजन की व्यवस्था के तहत शाकाहारी वन्यप्राणियों के रहवास विकसित करना ताकि उनकी संख्या में वृद्धि हो।
- मानव–वन्यप्राणी द्वंद को नियंत्रित करते हुए जनहानि, फसल एवं संपत्ति हानि आदि की क्षतिपूर्ति करते हुए वन्यप्राणियों के प्रति स्थानीय निवासियों में सकारात्मक सोच स्थापित करना।
- अवैध शिकार पर प्रभावी नियंत्रण एवं सूचना तंत्र को मजबूत करना ताकि संरक्षित क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की जा सके।
- समय–समय पर वन्यप्राणियों का सर्वेक्षण एवं गणना कार्य के साथ प्रदेश में ईको–टूरिज्म के विकास हेतु स्थलों का चयन एवं संवर्धन करते हुए स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- वन्यप्राणियों के प्रति सकारात्मक सोच, जागरूकता एवं बचाव के उपाय के बारे में आमजनता को जागरूक करने हेतु प्रचार–प्रसार।

प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र

राष्ट्रीय उद्यान

क्र.	नाम	जिला	वनमण्डल	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
1	कांगेर घाटी	बस्तर	बस्तर	200.000
2	गुरूघांसीदास	कोरिया / सूरजपुर	बैकुण्ठपुर	1440.705
3	इन्द्रावती	बीजापुर	बीजापुर	1258.372
		योग		**2899.077**

अभ्यारण्य

1	बारनवापारा	बालौदाबाजार	रायपुर	244.660
2	भोरमदेव	कबीरधाम	कवर्धा	351.240
3	गोमार्डा	रायगढ़	रायगढ़	277.820
4	बादलखोल	जशपुर	जशपुर	104.454
5	तमोरपिंगला	सूरजपुर	सूरजपुर	608.527
6	सेमरसोत	बलरामपुर	बलरामपुर	430.361
7	भैरमगढ़	दंतेवाड़ा	बीजापुर	138.950
8	पामेड़	दंतेवाड़ा	बीजापुर	262.120
9	अचानकमार	बिलासपुर	ए.टी.आर. लोरमी	551.552
10	उदन्ती	गरियाबंद	गरियाबंद	247.59
11	सीतानदी	गरियाबंद	गरियाबंद	553.36
		योग		**3770.634**

टायगर रिजर्व

1	इन्द्रावती	बीजापुर	बीजापुर	2799.070
2	अचानकमार	मुंगेली / बिलासपुर	बिलासपुर	914.017
3	उदन्ती–सीतानदी	गरियाबंद / धमतरी	गरियाबंद / धमतरी	1842.540
		योग		**5555.627**

बायोस्फियर रिजर्व

1	अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व	मुंगेली, बिलासपुर	मुंगेली, मरवाही, बिलासपुर	2610.530 (अचानकमार टायगर रिजर्व का 914.017 वर्ग कि.मी. इसमें शामिल है)

हाथी रिजर्व

1.	सरगुजा–जशपुर हाथी रिजर्व	बलरामपुर, जशपुर, सूरजपुर	सूरजपुर, जशपुर, बलरामपुर	1143.342 तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल अभ्यारण्य

मानव–हाथी द्वंद को कम करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा लेमरू हाथी रिजर्व के गठन करने की स्वीकृति दी गयी है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व

1	कोटमीसोनार मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व	जांजगीर–चांपा	जांजगीर–चांपा	57.037 हे.

चिड़ियाघर

1	नंदनवन जू एवं जंगल सफारी	रायपुर	नवा रायपुर अटल नगर	320.15 हे.
2	कानन पेण्डारी	बिलासपुर	बिलासपुर	65.238 हे.

हाथी कैम्प रमकोला

1	हाथी राहत एवं पुनर्वास केन्द्र रमकोला	सूरजपुर	एलीफेंट रिजर्व	4.71 हे.

पद संरचना एवं स्थापना

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)	1	1
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)	1	1
3	मुख्य वन संरक्षक	4	4
4	वन संरक्षक	2	1
5	उप वन संरक्षक (रोकड़)/व.मं.अ.	9	6
6	सहायक वन संरक्षक	15	14
7	वनक्षेत्रपाल	44	26
8	उपवनक्षेत्रपाल	73	70
9	वनपाल	115	149
10	वनरक्षक	667	576

वन्यप्राणी प्रभाग की संरचना

मान. वनमंत्री, छ.ग. शासन

↓

प्रमुख सचिव, वन, छ.ग. शासन

↓

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
सह
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
- मुख्य वन संरक्षक (ईका-टूरिज्म)
- वन संरक्षक
- उप वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
- क्षेत्रीय कार्यालय (वन्यप्राणी)

मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर

1. उपनिदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर
2. संचालक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
3. अधीक्षक पामेड़ अभ्या.
4. अधीक्षक भैरमगढ़ अभ्या.

मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक अचालनकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर

1. उप निदेशक अचानकमार टायगर रिजर्व, लोरमी
2. संचालक अचानकमार - अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व
3. अधीक्षक गोमर्डा अभ्या.
4. अधीक्षक कानन पेंडारी जू

मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर

1. उप निदेशक उदन्ती - सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद
2. संचालक सह व.मं.अ. जंगल सफारी, रायपुर
3. अधीक्षक बारनवापारा अभ्या.
4. अधीक्षक भोरमदेव अभ्या. अभ्यारण्य

वन संरक्षक (वन्यप्राणी) प्रोजेक्ट एलीफेंट, सरगुजा

1. उप निदेशक एलीफेंट रिजर्व, सरगुजा
2. संचालक, गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर
3. अधीक्षक तमोर पिंगला अभ्या.
4. अधीक्षक बादलखोल अभ्या.
5. अधीक्षक सेमरसोत अभ्या.

महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी :

1. **संरक्षित क्षेत्र एवं वन्यजीवों का वैज्ञानिक प्रबंधन** : संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन, स्वीकृत एवं तैयार किये गये टायगर रिजर्व में टायगर कंजर्वेशन प्लॉन, अभ्यारण्य में वन्यप्राणी संरक्षण योजना के प्रावधानों के तहत किया जाता है।

2. **वन्यप्राणी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए** : संरक्षित क्षेत्रों एवं क्षेत्रीय वनमण्डलों में वन्यप्राणी संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन एवं रहवास क्षेत्रों के विकास का कार्य किया जाता है। विभिन्न योजनाओं के तहत जलस्रोतों का विकास, तालाब, एनीकट एवं स्टॉप डेम निर्माण, नलकूप खनन, चारागाह विकास, लेन्टाना उन्मूलन, बाड़ा निर्माण आदि कार्य किये जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्य क्षेत्रों के बाहर कई ऐसे वनक्षेत्र हैं जो चारों ओर से आबादी से घिरे हुए हैं परंतु इन क्षेत्रों में वन्यप्राणियों की बहुलता है। ऐसे क्षेत्रों में सीमित संसाधनों के उपयोग हेतु मानव एवं वन्यप्राणी में प्रतिस्पर्धा के कारण मानव–वन्यप्राणी द्वंद की स्थिति निर्मित होती है एवं वन्यप्राणियों के प्राकृतवास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के संरक्षण के लिए विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

3. **बाघों की संख्या में वृद्धि हेतु कार्य योजना** : टायगर रिजर्व के अंतर्गत स्वीकृत टायगर कंजर्वेशन प्लॉन (TCP) के तहत उनका प्रबंधन करना जिसमें मुख्यतः बाघों की संख्या में वृद्धि करने हेतु रहवास विकास, बाघों के भोजन की व्यवस्था के तहत शाकाहारी वन्यप्राणियों के रहवास विकसित करना ताकि उनकी संख्या में वृद्धि हो। वर्तमान में अचानकमार टायगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से ग्रामों का विस्थापन का कार्य प्रमुखता से किया जा रहा है।

4. **मुआवजा भुगतान** : वन्यप्राणियों के द्वारा जनहानि, जनघायल एवं फसल हानि, संपत्ति हानि घटित होने पर राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार मुआवजा का भुगतान करने का प्रावधान किया है :–

विवरण	दर
जनहानि	रू. 6,00,000/– (रूपये छः लाख)
स्थायी रूप से अपंग होने पर	रू. 2,00,000/– (रूपये दो लाख)
जनघायल	रू. 59,100/– (रूपये उन्सठ हजार एक सौ की अधिकतम सीमा तक)
पशुहानि	रू. 30,000/– (रूपये तीस हजार की अधिकतम सीमा तक)

मकान क्षति/फसल हानि/अन्य हानि के मुआवजे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र दिनांक 9.06.2015 द्वारा निर्धारित दरों को छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 15.07.2015 से लागू किया गया है।

वर्ष 2020–21 में (दिसंबर 2020 तक) जनहानि के कुल 64 प्रकरणों में राशि रूपये 351.00 लाख, जनघायल के 283 प्रकरणों में राशि रूपये 46.14 लाख, पशु हानि के 448 प्रकरणों में 39.59 लाख, फसल हानि के 12266 प्रकरणों में राशि रूपये 676.46 लाख, मकान हानि के 1210 प्रकरणों में राशि रूपये 179.03

लाख तथा अन्य संपत्ति हानि के 779 प्रकरणों में राशि रूपये 49.66 लाख रूपये का भुगतान प्रभावित परिवारों को किया गया है।

5. **मानव-हाथी द्वंद को रोकने के लिए किये जा रहे प्रबंध** :

- मानव–हाथी इंटरफेस को कम करना।
- हाथियों के समूह के आगमन की पूर्व सूचना गांवों में वॉयरलेस, मोबाईल एवं माईक से मुनादी कर प्रसारित करना एवं ग्रामीणों को हाथियों के साथ साहचर्य बनाये रखने हेतु समझाईश देना। प्रभावित ग्रामीणों को समय पर मुआवजे का भुगतान।
- बहुउद्धेशीय गजराज वाहन के उपयोग से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचना, सहायता पहुंचाना एवं आवश्यकतानुसार हाथियों का ट्रेकिंग करना।
- गांवों में हाथी मित्र दल का गठन–हाथियों के आगमन के संबंध में वन कर्मचारियों को जानकारी देना एवं वन कर्मचारियों के पहुंचने तक स्थिति नियंत्रण में रखना।
- हाथियों की जानबूझकर मारने के प्रयास (बिजली तार, जहर खुरानी आदि) पर जीरो टॉलरेंस। सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाना।
- राज्य में कुल 39 हाथी मित्र दल (384 सदस्य) काम कर रहे हैं।
- ग्रामीणों को हाथी विचरण की पूर्ण जानकारी देने हेतु आकाशवाणी कार्यक्रम के माध्यम से हाथियों के आगमन एवं संभावित विचरण का प्रसारण ''**हमर हाथी हमार गोठ**'' प्रतिदिन शाम 5.55 बजे अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित किया जा रहा है।
- हाथियों के आगमन की जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर इंटरनेट का उपयोग से प्रभावित गांवों में ध्वनि, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ऐप आधारित एलीफेंट अलर्ट सिस्टम "SAJAG" लगाया गया है। महासमुंद में 20, सूरजपुर 10, कोरबा 08, तमोर पिंगला 07, गुरूघासीदास 04, गरियाबंद 10, रायगढ़ 12 एवं जशपुर के 10 संवेदनशील ग्रामों में यह सिस्टम स्थापित किया गया है।
- आबादी क्षेत्र में हाथियों का प्रवेश रोकने हेतु चलित हाथी विकर्षण बेरिकेट (ERB), सायरन, फ्लैश लाईट आदि का उपयोग कर हाथियों को वनक्षेत्र में लौटाना।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून एवं वाईल्ड लाईफ एस.ओ.एस. के साथ छत्तीसगढ़ वन विभाग मानव–हाथी द्वंद के विभिन्न आयामों का अध्ययन कर इस द्वंद को कम करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उक्त संस्थानों द्वारा हाथियों के रेंजिंग पैटर्न एवं अन्य विषयों पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में गहन अध्ययन/कार्य किया जा रहा है। हाथियों की आसान पहचान के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा 67 हाथियों का एक डोजियर तैयार किया गया है।
- हाथियों के दलों का रेडियो कॉलरिंग किया जाकर उनकी विचरण की जानकारी प्राप्त करना जिससे हाथी–मानव द्वंद को कम किया जा सके।
- सरगुजा जिले के रमकोला में हाथी राहत एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की गयी है जिसमें हाथियों

बस्तर पहाड़ी मैना

पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पक्षी है। पहाड़ी मैना का वर्तमान में मुख्य रहवास क्षेत्र दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, जगदलपुर, कांगेरघाटी, गुप्तेश्वर, तिरिया, पुल्चा आदि हैं। मैना के बारे में स्थानीय स्तर पर जानकारियों का संकलन, मैना से संबंधित साहित्य का वितरण, राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत मैना के देखे जाने के अभिलेखीकरण आदि कार्य संचालित किये जा रहे हैं। बस्तर हिल मैना के संरक्षण, संवर्धन एवं रहवास विकास तथा उनसे संबंधित सुसंगत कार्यों के लिए कैम्पा मद अंतर्गत वर्ष 2020–21 के ए.पी.ओ. में राशि रू. 46.00 लाख आबंटित किया गया है।

गिद्ध संरक्षण

गिद्ध सबसे उंची उड़ान भरने वाला मृतोपजीवी पक्षी है जो भोजन के लिए मृत पशुओं के शरीर पर निर्भर रहता है। इस तरह से वह वातावरण के लिए कुशल एवं प्राकृतिक सफाई कर्मी का कार्य करता है। इनका पाचन तंत्र मजबूत होता है जिससे कि यह सड़ा गला मांस भी पचा सकते हैं। आज विश्व में कई जंगली प्रजातियॉ अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है तथा कुछ प्रजातियॉ विलुप्ति के कगार पर है। इनके संरक्षण, संवर्धन एवं रहवास विकास तथा अन्य सुसंगत कार्यों के लिए अचानकमार टायगर रिजर्व लोरमी, इन्द्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर तथा गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर में राशि रूपये 139.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिससे ये कार्य कराया जा रहा है।

ईको-टूरिज्म :

छततीसगढ़ प्रदेश के वासियों को नैसर्गिक परिवेश में वन्यप्राणियों को देखने का एवं प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने हेतु विभाग द्वारा मुख्यतः बारनवापारा अभ्यारण्य, अचानकमार टागयर रिजर्व,

कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान, भोरमदेव अभ्यारण्य, गोमर्डा अभ्यारण्य सहित अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भ्रमण की व्यवस्था के साथ–साथ अन्य व्यवस्था भी की गयी है। इन सभी प्रक्रमों में स्थानीय निवासियों को प्रमुखता से गाईड के रूप में, वाहनों के किराये देने पर प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रही है। कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान में लगभग एक लाख पर्यटक आते हैं। बारनवापारा अभ्यारण्य में औसतन 12000 पर्यटक प्रतिवर्ष भ्रमण करने आते हैं। अचानकमार टायगर रिजर्व में औसतन 4500, गोमर्डा अभ्यारण्य में 9000 एवं मगरमच्छ संरक्षण केन्द्र कोटमीसोनार में लगभग 1.00 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष भ्रमण करने आते हैं।

रायपुर का नंदनवन जू एवं जंगल सफारी नागरिकों के मध्य एक विश्वस्तरीय मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। एक वर्ष में औसतन 2.50 लाख पर्यटक नंदनवन में पक्षियों को देखने आते हैं। इसी प्रकार जंगल सफारी एवं जू भ्रमण करने के लिए लगभग 2.00 लाख पर्यटक आते हैं । बिलासपुर के कानन पेण्डारी जू में लगभग 5.50 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष भ्रमण हेतु आते हैं।

उपलब्धियाँ :

1. राज्य में मानव–हाथी समस्या के समाधान हेतु प्रथम बार विभागीय संसाधनों से हाथी को रेडियो कॉलर करने में विभाग को सफलता प्राप्त हुई है। कोरबा एवं धरमजयगढ़ वनमण्डल में विचरण कर रहे एक जंगली हाथी को दिनांक 24.5.2020 को विभागीय अधिकारियों एवं पशु चिकित्सकों की टीम के द्वारा निश्चेतित कर रेडियो कॉलर किया गया है। इस हाथी का नाम '**प्रथम**' रखा गया है।

2. राज्य में राजकीय पशु वनभैंसे की जनसंख्या वृद्धि के उद्देश्य से मानस टायगर रिजर्व असाम से 2 वनभैंसों को दिनांक 18.4.2020 को बारनवापारा अभ्यारण्य ट्रांसलोकेट किया गया।
3. जंगल सफारी नवा रायपुर में पर्यटकों में वन्यप्राणियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 7 नये बाड़े (Enclosure) का निर्माण किया गया है, इन बाड़ों में 04 शाकाहारी (काला हिरण, कोटरी, चौसिंघा एवं नीलगाय) एवं 03 मांसाहारी (लकड़बग्घा, लोमड़ी, सियार) वन्यप्राणियों को रखा गया है। उक्त 7 बाड़ों का उद्घाटन दिनांक 06.11.2020 को माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन द्वारा किया गया।

4. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन सूरत (गुजरात) से माह नवंबर 2020 में Otter (ऊदबिलाव) नंदनवन जंगल सफारी में लाया गया।
5. मानव–हाथी द्वंद की रोकथाम हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा 67 जंगली हाथियों की पहचान कर उनका डोजियर तैयार किया गया है।

बजट :

मद	योजना का नाम	किये जाने वाला कार्य (लाख में)	वर्ष 2020-21 में प्रावधान (लाख में)
	राज्य योजना		
10–2406 आयोजनेत्तर	(6885)–प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना	स्थापना, कार्यालयीन संबंधी कार्य, क्षतिपूति मुआवजा भुगतान, रखरखाव, संबंधित कार्य आदि	8084.83
	(3896)–वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति		
	(2899)–राष्ट्रीय उद्यान		
	(2900)–अभ्यारण्य क्षेत्र		
	(8644)–वन्यप्राणी वन वत्तों की स्थापना		
	(4349)–सड़कों का निर्माण तथा सड़क एवं पुलों की दुरस्ती		
	(6218)–भवनों की मरम्मत		
	(8912)–वन्यप्राणी बचाव पुर्नवास एवं हेल्थकेयर प्रबंधन		
	(3531)–प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनो सहित) संरक्षण		
	योग		**8084.83**
10–2406–4406 आयोजना	(2965)–बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित	बांस वनों का सुधार, पुनरोत्पादन, वृक्षारोपण, वन्यप्राणियों के संरक्षण/संवर्धन हेतु, पेयजल व्यवस्था अंतर्गत, तालाब,स्टॉपडेम,एनीकट मरम्मत एवं निर्माण, झिरिया,वाटर होल, रपटा, पुलिया, चारागाह विकास, नैसर्गिक पर्यटन का विकास, इन्क्लोजर निर्माण, रखरखाव आदि कार्य	4567.00
	(3943)–वनजीवों को संरक्षण एवं विकास		
	(6722)–मगरमच्छ संरक्षण योजना		
	(6723)–संयुक्त वन प्रबंध सुदृढ़ीकरण		
	(6724)–बांस वनों का पुनरोद्वार		
	(6793)–जैव विविधता बोर्ड की स्थापना		
	(7887)–हाथी प्रभावित क्षेत्रों में चलित हाथी सुरक्षा दस्ता का गठन		
	(6540)–चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन		
	(6993)–नैसर्गिक पर्यटन का विकास		
	योग		**4567.00**

मद	योजना का नाम	किये जाने वाला कार्य (लाख में)	वर्ष 2020-21 में प्रावधान (लाख में)
41–2406–4406 आयोजना	(6886)–वनमार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण	वन्यप्राणियों के संरक्षण/संवर्धन हेतु, पेयजल व्यवस्था अंतर्गत, तालाब,स्टॉपडेम,एनीकट मरम्मत एवं निर्माण, झिरिया,वाटर होल, रपटा, पुलिया, चारागाह विकास, भवन निर्माण, वनमार्ग उन्नयन रखरखाव, विज्ञापन, प्रचार–प्रसार, जनजागरूकता अभियान आदि कार्य	3297.10
	(5090)–जैव विविधता का संरक्षण		
	(6991)–हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास		
	(7459)–वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतवाश का समन्वित विकास		
	(4342)–सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य		
	योग		**3297.10**
	कुलयोग राज्य योजना		**15948.93**
केन्द्रीय योजना			
10–2406 आयोजना	(6539)–राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, टायगर रिजर्वों, बायोस्फियर रिजर्व एवं हाथी प्रभावित क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्धन, पेयजल व्यवस्था, चारागाह विकास, विज्ञापन, प्रचार–प्रसार, क्षतिपूर्ति मुआवजा भुगतान एवं सुरक्षा संबंधी कार्य आदि	1977.75
	(5502)–प्रोजेक्ट एलीफेंट		
41–2406 आयोजना	(3730)–प्रोजेक्ट टायगर		
	(6539)–राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास		
	(6771)–अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व का विकास		
64–2406 आयोजना	(6539)–राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास		
	योग केन्द्रीय योजना		**1977.75**
	महायोग		**17926.68**

भाग – तीन

22. छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

22.1 निगम की संरचना, सेटअप एवं प्रबंधन

- निगम के कार्य का संचालन शासन द्वारा गठित 8 सदस्यीय संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। श्री देवेन्द्र बहादूर सिंह, निगम के अध्यक्ष एवं श्री पी.सी. पाण्डेय, भा.व.से. एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ हैं।
- निगम के 2 क्षेत्रीय एवं 9 मंडल कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में भारतीय वन सेवा के वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ किये जाते हैं। परियोजना/औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल का प्रबंधन उप वन संरक्षक/प्रबंधक (वानिकी) स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
- राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप अनुसार दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में कुल स्वीकृत 734 पदों के विरूद्ध कुल 318 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है एवं 100 नियमित चौकीदार सांख्येत्तर पद पर कार्यरत हैं।

22.2 निगम की अंशपूंजी

- **अधिकृत अंशपूंजी** :- निगम की अधिकृत अंशपूंजी 30 करोड़ है।
- **प्रदत्त अंशपूंजी** :- निगम की प्रदत्त अंशपूंजी 26.655 करोड़ रूपये है।

निवेशक	अंशपूंजी
छत्तीसगढ़ शासन	रू. 25.731 करोड़
भारत सरकार	रू. 0.924 करोड़
योग :	**रू. 26.655 करोड़**

22.3 निगम की क्षेत्रीय ईकाईयाँ

निगम को वन विभाग द्वारा समय–समय पर वन क्षेत्र हस्तांतरित किया गया है। वर्तमान में निगम के आधिपत्य में कुल 2,17,391 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। निगम के 2 क्षेत्रीय कार्यालय एवं परियोजना मंडल/औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल के रूप में 9 ईकाईयाँ निम्नानुसार कार्यरत है :–

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय	परियोजना मण्डल का नाम	गठन दिनांक	वन क्षेत्र फल (हे.)
1.	रायपुर	01. बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर	30.10.1975	35,201
		02. पानाबरस परियोजना मण्डल, राजनांदगांव	17.12.1976	49,910
		03. अंतागढ़ परियोजना मण्डल, भानुप्रतापपुर	17.12.1976	29,040
		04. कवर्धा परियोजना मण्डल, कबीरधाम	11.09.2003	25,147
		05. औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल, जगदलपुर	29.06.2016	14,349

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय	परियोजना मण्डल का नाम	गठन दिनांक	वन क्षेत्र फल (हे.)
2.	बिलासपुर	06. कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर	30.10.1975	30,623
		07. सरगुजा परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर	11.09.2003	33,121
		08. औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल, कोरबा	23.08.2001	औद्योगिक / राजस्व क्षेत्र में रोपण
		09. औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल, रायगढ़	23.12.2017	औद्योगिक / राजस्व क्षेत्र में रोपण
		योग :		2,17,391

22.4 गतिविधियाँ

22.4.1 सागौन, बांस एवं नीलगिरी का व्यावसायिक रोपण -

कार्य आयोजना अनुसार बिगड़े वन क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रजातियों का रोपण कार्य निगम की स्वयं की राशि से किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा वनक्षेत्र में वर्ष 2001 से 2020 तक कुल 94801 हेक्टेयर में सागौन, बांस, एवं नीलगिरी के रोपण किये गये। वर्ष 2020 में 1897.093 हेक्टेयर क्षेत्र में 33,20,500 सागौन पौधों का रोपण किया गया है।

22.4.2 औद्योगिक क्षेत्रों में रोपण -

वन विकास निगम द्वारा पर्यावरण विकास एवं संतुलन के उद्देश्य से विभिन्न औद्योगिक संस्थानों जैसे–भिलाई इस्पात संयंत्र, एन.एम.डी.सी बस्तर (नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन), एम.सी.एल. (महानदी कोलफील्ड्स लि.), एन.टी.पी.सी. सेल पावर कंपनी (एन.टी.पी.सी. एवं सेल का संयुक्त उपक्रम), एस.ई.सी.एल. (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.) बिलासपुर, एन.टी.पी.सी. (नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन) कोरबा एवं लारा के खदानी एवं गैर खदानी क्षेत्रो में मिश्रित प्रजातियों का सघन रोपण कार्य किया जाता है।

वर्ष 2020 में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के अंतर्गत 8,05,063 पौधों का रोपण किया गया है।

22.4.3 हरियर छत्तीसगढ़ कोष वृक्षारोपण -

हरियर छत्तीसगढ़ कोष योजना अंतर्गत वर्ष 2020 में 2,20,375 पौधों का रोपण कार्य किया गया है।

22.5 निगम की रोपणियाँ

निगम की 6 रोपणियों में रोपण हेतु सागौन रूटशूट तैयार किए जाते है। मिश्रित प्रजाति के पौधों के तैयारी हेतु आवश्यकतानुसार अस्थायी रोपणी तैयार की जाती है। वर्ष 2020 में 44.23 लाख सागौन रूटशूट का उत्पादन किया गया तथा 21.25 लाख मिश्रित पौधे तैयार किये गये।

22.6 विदोहन

निगम द्वारा प्रतिवर्ष सागौन वृक्षारोपणों का विरलन कार्य एवं क्राप–I में सुधार कार्य के तहत् मार्किंग एवं विदोहन, बांस कूपों एवं बांस रोपणों में विदोहन का कार्य किया जाता है। विदोहन से प्राप्त वनोपज को निगम के 6 व्यावसायिक डिपो से नीलाम द्वारा निर्वतन किया जाता है। औद्योगिक बांस का निर्वतन अग्रिम निविदा द्वारा किया जाता है। वर्ष 2019–20 में विभिन्न वनोपज का निम्नानुसार उत्पादन हुआ है :–

वानिकी वर्ष	काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ चट्टे (नग)	व्यापारिक बांस	औद्यो. बांस (नो.टन.)
2019–20	38522	21718	310715	472

22.7 कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR)

छ.ग. राज्य वन विकास निगम कम्पनी एक्ट में पंजीकृत कम्पनी है। निगम ने अपने सामाजिक दायित्व के अंतर्गत 266.03 लाख रूपये के कार्य स्वीकृत किये गये जिसमें से 169.64 लाख व्यय किया जा चुका हैं।

22.8 आय-व्यय

विगत तीन वर्षों में निगम की आय एवं व्यय निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ रु. में.)

वित्तीय वर्ष	राजस्व	कुल व्यय	लाभ	कर पश्चात लाभ
2017-18	45.60	27.71	17.89	16.02
2018-19	56.40	30.48	25.92	23.33
2019-20	62.09	30.77	31.28	30.26

22.9 लेखा एवं अंकेक्षण

22.9.1 अंकेक्षण एवं लेखे की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2019–20 तक का सांवधिक अंकेक्षण हो चुका है।

22.9.2 राज्य शासन को लाभांश - वर्ष 2019–20 के लिये राज्य शासन को 3.02 करोड़ रूपये लाभांश का भुगतान किया जाना है।

भाग – चार

23. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

तालिका - 1

छत्तीसगढ़ वनोपज संघ की प्रशासनिक संरचना

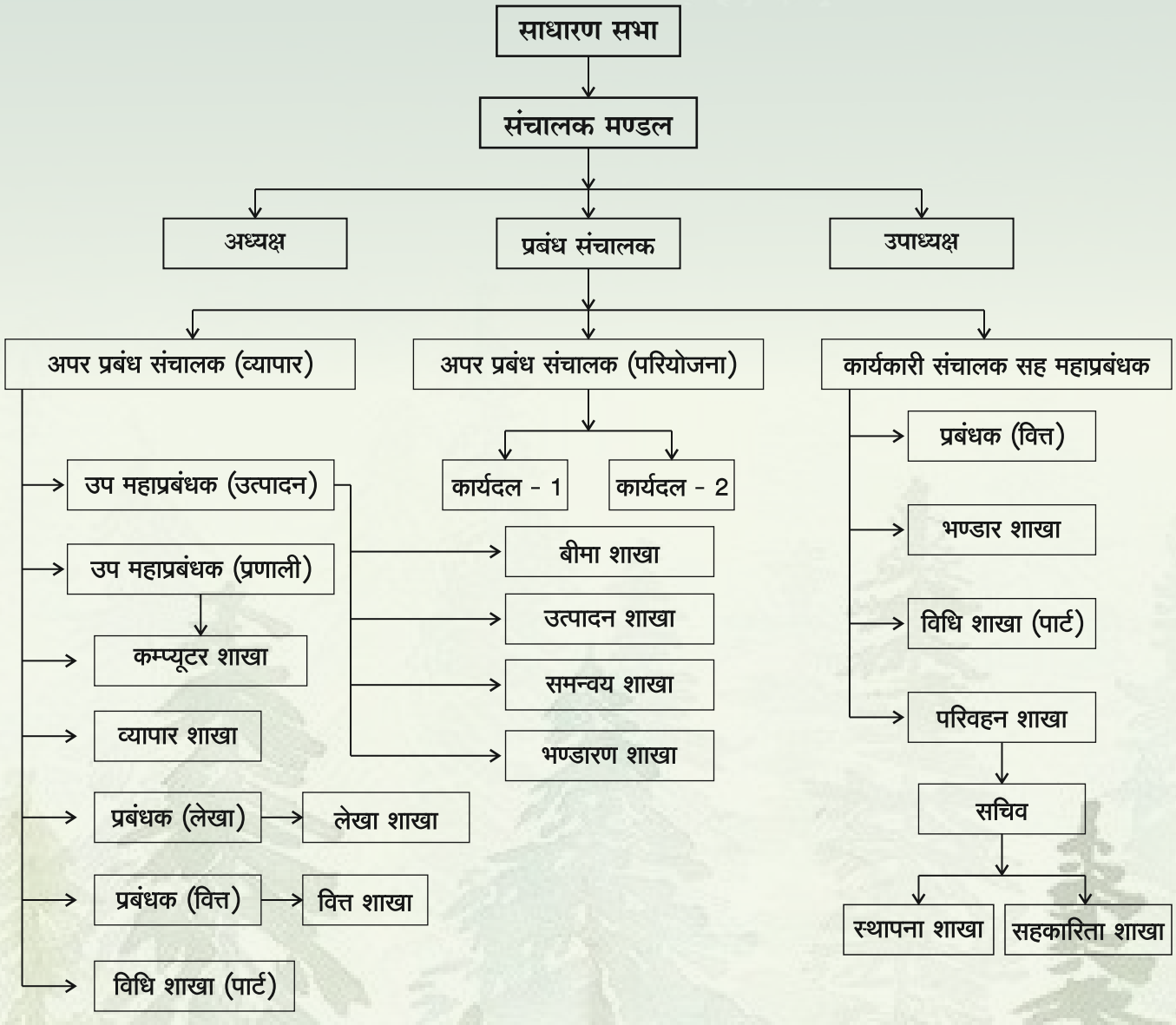

तालिका - 2
स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण (01.01.2021 की स्थिति में)

अ. क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महाप्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)*1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
3	महा प्रबंधक (वन संरक्षक)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
4	उप महा प्रबंधक (उप वनसंरक्षक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	प्रबंधक वित्त (उप संचालक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	प्रबंधक (प्रणाली)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक लेखा	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9	उप प्रबंधक (स.व.सं.)*2	2	0	2	6	2	4	30	5	25	38	7	31
10	उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11	स्टाफ आफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	निज सहायक / निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
14	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
15	प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	वन क्षेत्रपाल	1	0	1	0	0	0	10	7	3	11	5	4
17	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	180	148	32	180	148	32
18	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
19	कर सहायक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20	आंतरिक अंकेक्षण	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
21	शीघ्रलेखक	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
22	अधीक्षक	3	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	2
23	लेखा अधीक्षक	4	2	2	0	0	0	0	0	0	4	2	2
24	वरिष्ठ लेखापाल*3	1	2	-1	0	0	0	0	0	0	1	2	-1
25	लेखापाल	4	1	3	6	6	0	27	21	6	37	28	9

अ. क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महाप्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	कनिष्ट लेखापाल	7	7	0	0	0	0	21	19	2	28	26	2
27	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	7	8	-1	6	6	0	31	26	5	44	40	4
28	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
29	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30	सहायक वर्ग–3/स्वागतकर्ता	21	13	8	6	6	0	61	30	31	88	49	39
31	वाहन चालक	12	10	2	3	3	0	19	11	8	34	24	10
32	दफ्तरी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
33	संदेशवाहक	16	9	7	12	9	3	48	28	20	76	46	30
34	संदेशवाहक (सांख्येतर)	0	0	0	0	0	0	37	31	6	37	31	6
35	चौकीदार (कलेक्टर दर)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योग :-	108	71	37	39	32	7	464	326	138	611	427	182
*1	कार्यकारी संचालक का एक पद अपर प्रबंध संचालक के पद पर उन्नयन हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। शासन द्वारा 2 अपर प्रबंध संचालक की पदस्थिति की गई है।												
*2	सहायक वनसंरक्षक के 01 पद पर सेवानिवृत्त सहायक वनसंरक्षक को संविदा पर रखा गया है।												
*3	वरिष्ठ लेखापाल के पद के विरूद्ध सहकारिता विभाग के कर्मचारी पदस्थ है, जिनका द्वितीय श्रेणी अधिकारी (अंकेक्षण अधिकारी) के पद पर पदोन्नति उपरांत संघ में पदस्थापना किया गया है।												

23.1 वनोपज सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन

वर्ष 2016 में दिनांक 18.04.2016, 20.04.2016 एवं 26.04.2016 को 901 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों का निर्वाचन संपन्न हुआ एवं 31 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियनों में दिनांक 01.08.2016 को निर्वाचन पूर्ण कर संचालक मंडल का गठन किया जा चुका है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर का निर्वाचन दिनांक 03.11.2016 को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाकर संचालक मंडल का गठन पूर्ण किया जा चुका है, वनोपज संघ के निर्वाचित सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

01	माननीय श्री भरत साय	छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	अध्यक्ष
02	श्री टीकम टांडिया	छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	उपाध्यक्ष
03	कु. समीरा पैकरा	छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	संचालक
04	श्रीमती सुशीला बाई	छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	संचालक
05	श्री कपूर चंद बिसाई	छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के संचालक मंडल का कार्यकाल 02 नवम्बर 2021 को समाप्त हो रहा है। वर्तमान में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया गया है। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के संचालक मंडल एवं प्रतिनिधियों के निर्वाचन उपरांत 31 जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित तथा अंततः छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के संचालक मंडल/प्रतिनिधियों का निर्वाचन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

23.2 राष्ट्रीयकृत वनोपज का व्यापार

23.2.1 तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2020

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2020 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लाट बनाये गये हैं । वर्ष 2020 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 4000/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

जिला यूनियनों से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 954 लॉटों में से 928 लॉटों में 9.728 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का संग्रहित कर 9.708 लाख मानक बोरा भण्डारित किया गया। 928 लाटों में से 714 लॉटों के 8.334 लाख मानक बोरा का विक्रय रू. 434 करोड़ में किया गया। औसत विक्रय दर रू. 5279/– प्रति मानक बोरा रहा। विवरण तालिका – 3 में दिया गया है।

तालिका - 3

संग्रहण वर्ष 2020 का तेन्दू पत्ता व्यापार

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	लाटों की संख्या, जिनमें संग्रहण हुआ		विक्रित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रू. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
			लाटों की संख्या	वास्तविक उत्पादन (मानक बोरा में)			
बीजापुर	45	80500.000	36	81998.838	81998.838	404207849.70	4929.43
सुकमा	48	90400.000	36	41330.000	39308.360	245934697.56	6256.55
दंतेवाड़ा	11	19000.000	9	3611.158	2283.947	9375615.43	4105.01
जगदलपुर	15	25100.000	15	11653.792	5310.012	21229083.38	3997.94
दक्षिण कोंडागांव	11	21000.000	11	11365.482	2017.130	10466570.36	5188.84
केशकाल	16	29300.000	16	16181.269	7093.920	26699419.89	3763.70
नारायणपुर	12	23100.000	12	12666.679	2859.269	9451081.65	3305.42
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	96900.000	56	82121.135	81348.845	458211076.32	5632.67
प. भानुप्रतापपुर	55	80400.000	55	67707.160	67285.140	337651166.49	5018.21
कांकेर	24	38100.000	24	28638.310	28638.310	159324152.87	5563.32
राजनांदगांव	51	84400.000	51	59508.695	59508.695	318690488.99	5355.36
खैरागढ़	24	42600.000	24	28405.750	28405.750	117650937.91	4141.80

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	लाटों की संख्या, जिनमें संग्रहण हुआ		विक्रित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रू. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
			लाटों की संख्या	वास्तविक उत्पादन (मानक बोरा में)			
बालोद	18	26900.000	18	16297.180	16297.180	81105114.87	4976.63
कवर्धा	24	40800.000	24	20282.655	11997.425	48530871.54	4045.11
धमतरी	23	27300.000	23	19003.860	16964.490	89997413.11	5305.05
गरियाबंद	62	84300.000	62	58371.190	56138.800	331569250.26	5906.24
महासमुंद	69	95400.000	69	51844.020	45454.670	242589732.04	5336.96
बलौदा बाजार	16	25600.000	16	13641.360	11593.465	63857824.87	5508.09
बिलासपुर	21	32200.000	21	14020.380	12632.605	60910417.34	4821.68
मरवाही	14	21900.000	14	11393.448	8513.567	46325281.34	5441.35
जांजगीर–चांपा	7	10700.000	7	3445.030	1180.800	5119926.20	4335.98
रायगढ़	41	60700.000	41	26926.426	24352.073	122285872.80	5021.58
धरमजयगढ़	53	82500.000	53	54281.852	53976.565	315463270.94	5844.45
कोरबा	34	53200.000	34	33459.290	32289.050	195527915.18	6055.55
कटघोरा	39	78500.000	37	36424.130	33609.190	199955188.99	5949.42
जशपुर नगर	20	39000.000	20	15059.851	4837.605	21736172.97	4493.17
मनेन्द्रगढ़	20	44500.000	20	25306.315	19458.395	91569766.63	4705.93
कोरिया	16	33400.000	16	21140.190	19014.965	92437239.29	4861.29
सरगुजा	15	38000.000	15	18972.648	13701.960	67750449.92	4944.58
बलरामपुर	64	165700.000	64	49431.446	16849.570	68629344.63	4073.06
सूरजपुर	30	80300.000	29	36345.419	28492.335	135705333.99	4762.87
कुल योग	**954**	**1671700.000**	**928**	**970834.958**	**833412.926**	**4399958527.82**	**5279.45**

23.2.2 तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2021 -

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2021 में लगभग 16.717 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है। तेन्दू पत्ते के अग्रिम निर्वतन हेतु दिनांक 08.12.2020 से 11.12.2020, 04.01.2021 से 06.01.2021 एवं 20.01.2021 से 22.01.2021 तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गई है। प्रथम निविदा में 954 लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा में से 591 लाटों की 10.329 लाख मानक बोरा का विक्रय रू. 704.36 करोड़ में किया गया। औसत विक्रय दर रू. 6819/– प्रति मानक बोरा रहा।

तेन्दू पत्ता संग्रहण

23.3 बीमा शाखा (बीमा एवं छात्रवृत्ति संबंधी योजनाएँ)

23.3.1 तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु बीमा योजनायें :-

(i) **शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना** :- प्रदेश के लगभग 12.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना दिनांक 05.08.2020 से संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रू. 2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रू. 4.00 लाख प्रदाय की जाएगी। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में राशि रू. 2.00 लाख तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में राशि रू. 1.00 लाख की सहायता अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामाकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी

को राशि रू. 30,000/– तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर रू. 75,000/– की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्त्ता की स्थिति में रू. 75,000/– तथा आंशिक निःशक्त्ता की स्थिति में रू. 37,500/– की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदाय की जायेगी।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 50 प्रतिशत की राशि छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन की जा रही है।

समस्त जिला यूनियनों से 23 प्रकरणों में माह दिसम्बर 2020 की स्थिति में तेन्दूपत्ता संग्राहक के मुखिया को राशि रू. 36,10,000/– का भुगतान किया गया है।

(ii) **सामूहिक सुरक्षा योजना (संघ द्वारा संचालित)** :- वर्ष 2020–21 हेतु सामूहिक सुरक्षा योजना का संचालन छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत मृतक तेंदूपत्ता संग्राहक के परिवार के मुखिया (दावेदार) को रूपये 12,000/– भुगतान किया जाता है। समस्त जिला यूनियनों के तेन्दूपत्ता संग्राहक सदस्यों को माह दिसम्बर 2020 की स्थिति में 371 प्रकरणों में राशि रू. 44,52,000/– का भुगतान किया गया है।

23.3.2 संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं :-

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसै मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना लागू है। यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लागू की गई है।

(I) **मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु** :- मेधावी छात्र–छात्राओं को पुरस्कार के तहत् प्रत्येक प्राथमिक वनोपज समिति क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कक्षा 8वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रू. 2000/–, कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 2500/– तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 3000/– पुरस्कार राशि दी जाती है। यह पुरस्कार समिति क्षेत्र के अंतर्गत एक छात्र तथा एक छात्रा को प्रदान की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2019–20 में 2741 छात्र/छात्राओं हेतु रू. 75.00 लाख राशि वितरित की गई है।

(ii) **प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं हेतु** :- तेंदूपत्ता संग्राहकों के प्रतिभाशाली बच्चों जिन्होंने 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये है, उनको कक्षा 10वी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रूपये 15,000/– तथा कक्षा 12वी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रू. 25,000/– शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2019–20 में 4702 छात्र/छात्राओं हेतु रू. 8.04 करोड़ राशि वितरित किया गया है।

(iii) **व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति** :- प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी जिसने किसी भी व्यावसायिक कोर्स जैसे–इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स के प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो का चयन इस छात्रवृत्ति हेतु किया जाता है, को प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/– एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षो में रूपये 5,000/– प्रतिवर्ष

अधिकतम कुल 4 वर्षो तक राशि रूपये 25,000/– की छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2018–19 में इस योजना अंतर्गत कुल राशि रूपये 14.115 लाख का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2019–20 में व्यासायिक कोर्स हेतु प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की जानकारी जिला यूनियन से मंगायी गई है।

बस्तर क्षेत्र के समस्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015–16 से लागू है। इस योजना में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के उपरान्त बी.एस.सी., नर्सिंग में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/– एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षो में रूपये 5,000/– प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षो तक राशि रूपये 25,000/– उपलब्ध करायी जाती है।

(iv) गैर- व्यावसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना :- प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एक छात्र व एक छात्रा जिसने किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी गैर–व्यावसायिक स्नातक कोर्स जैसे बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी. आदि स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया हो को कोर्स के प्रथम वर्ष में रू. 5,000/– द्वितीय वर्ष में रू. 4,000/– एवं तृतीय वर्ष में रू. 3000/– अर्थात् तीन वर्षो में कुल रू. 12,000/– की अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2018–19 में इस योजना अंतर्गत कुल रू 34.77 लाख का भुगतान किया गया है। वर्ष 2019–20 में व्यासायिक कोर्स हेतु प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की जानकारी जिला यूनियन से मंगायी गई है।

23.3.3 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा :-

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2020–21 से बीमा कराया गया है। वर्ष 2020–21 में बीमित प्रबंधकों की संख्या 835 है। बीमा की राशि रू. 1,00,000.00 है।

23.3.4 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के फड़मुंशियों का समूह बीमा :-

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता फॅड़मुंशियों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2020–21 से बीमा कराया गया है। वर्ष 2020–21 में बीमित फॅड़मुंशियों की संख्या 9653 है। बीमा की राशि रू. 1,00,000.00 है।

23.4 तेन्दू पत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेंदूपत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में प्रति वर्ष शासन के निर्देशानुसार वितरित की जाती है। वर्ष 2018 के तेंदूपत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि रूपये 233.02 करोड़ का वितरण किया जाना है, जिसमें से राशि रूपये 230.56 करोड़ का वितरण संग्राहकों को किया जा चुका है। राशि का वितरण संग्राहकों के खातों में सीधे संघ मुख्यालय से किया गया है। विवरण तालिका 4 में दिया गया है।

तालिका - 4
तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक 2018 की वितरण की स्थिति

राशि रुपये में

क्र.	जि.यू. का नाम	वितरण योग्य राशि	वितरित राशि
1	बीजापुर	14,17,31,392	14,15,53,252
2	सुकमा	33,90,239	33,11,674
3	दंतेवाड़ा	71,17,585	69,58,209
4	जगदलपुर	80,59,654	56,62,063
5	दक्षिण कोण्डागांव	32,64,908	25,65,190
6	केशकाल	98,59,018	93,76,353
7	नारायणपुर	59,37,593	57,55,660
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	7,87,77,914	7,77,27,507
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	2,97,98,655	2,67,41,954
10	कांकेर	5,95,31,402	5,92,06,013
11	राजनांदगांव	9,69,60,102	9,66,75,842
12	खैरागढ़	87,50,625	86,45,052
13	बालोद	5,81,61,174	5,73,42,374
14	कवर्धा	4,94,78,801	4,93,16,298
15	धमतरी	5,45,63,020	5,44,40,730
16	गरियाबंद	18,92,22,977	18,87,49,876
17	महासमुंद	21,36,52,335	21,22,58,441
18	बलौदाबाजार	5,20,60,145	5,16,37,431
19	बिलासपुर	6,07,17,001	6,01,32,804
20	मरवाही	4,06,38,380	3,93,87,305
21	जांजगीर–चांपा	15,48,598	15,33,322
22	रायगढ़	11,04,80,671	10,90,85,911
23	धर्मजयगढ़	20,94,94,132	20,87,87,805
24	कोरबा	16,31,24,410	16,29,70,770
25	कटघोरा	18,81,46,477	18,63,04,650
26	जशपुरनगर	4,97,63,906	4,64,23,606
27	मनेंद्रगढ़	6,80,44,653	6,78,91,204
28	कोरिया	6,77,63,928	6,75,18,280
29	सरगुजा	5,25,25,495	5,12,51,677
30	बलरामपुर	13,03,43,773	12,95,32,838
31	सूरजपुर	11,72,67,606	11,68,68,239
	कुल योग	**2,33,01,76,569**	**2,30,56,12,330**

शेष राशि के वितरण की कार्यवाही प्रचलित है ।

23.5 अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का व्यापार/विकास

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचुर मात्रा में लघु वनोपज पाया जाता है। ग्रामीणों को उनके लघु वनोपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य में 4000 गांवों में एवं 837 हॉट बाजारों में स्व–सहायता समूहों के माध्यम से लघु वनोपज क्रय कार्य किया जा रहा है । साथ ही क्रय किये गये लघु वनोपज का प्रसंस्करण वन धन विकास केन्द्रों में किया जाताा है। अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुलक कार्य से लघु वनोपज संग्राहकों के साथ–साथ महिला स्व–सहायता समूहों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

23.5.1 लघु वनोपज संग्रहण :-

(i) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना :-

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित लघु वनोपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना वर्ष 2014–15 से राज्य में लागू की गई है। योजना के प्रारंभ में 7 प्रकार के लघु वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाता था। वर्तमान वर्ष 2020–21 में 38 प्रकार के वनोपज को क्रय करने हेतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त हुई है। निर्धारित दर की जानकारी तालिका–5 में दी गई है।

(ii) तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त लाभांश की 15 प्रतिशत राशि से स्वीकृत कार्य :-

इस राशि से लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा लाख पालन को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति पूर्व से प्राप्त है। इस राशि की सहायता से ऐसे लघु वनोपज, जिस हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वीकृत नहीं है, का संग्रहण एवं प्रसंस्करण किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज संग्राहकों को लाभ देने हेतु 38 प्रकार के लघु वनोपज को भारत शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तथा 14 प्रकार के अन्य वनोपज को संघ द्वारा निर्धारित दर पर तदानुसार कुल 52 प्रकार के लघु वनोपज के क्रय हेतु व्यवस्था की गई है। वत्तीय वर्ष 2020–21 में आज दिनांक तक लगभग रू. 112 करोड़ मूल्य के वनोपज का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने संपूर्ण देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये लघु वनोपज में से 73 प्रतिशत मूल्य के वनोपज का संग्रहण कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संघ द्वारा निर्धारित दरों की जानकारी तालिका–6 में दी गई है।

तालिका - 5

न्यूनतम समर्थन मूल्य वाले लघु वनोपज की जानकारी लघु वनोपज सूची

क्र.	वनोपज का नाम	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर (रू. प्रति कि.ग्रा.)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि /कमी का प्रस्ताव	छ.ग. शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रू. प्रति कि.ग्रा.)
1	2	3	3	4
		न्यूनतम समर्थन मूल्य		
1	इमली बीज सहित	36.00	-	36.00
2	महुआ बीज	29.00	-	29.00
3	कालमेघ	35.00	-	35.00

क्र.	वनोपज का नाम	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर (रू. प्रति कि.ग्रा.)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि /कमी का प्रस्ताव	छ.ग. शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रू. प्रति कि.ग्रा.)
1	2	3	3	4
		न्यूनतम समर्थन मूल्य		
4	नागरमोथा	30.00	-	30.00
5	बेलगुदा	30.00	-	30.00
6	शहद	225.00	-	225.00
7	फूल झाड़ू	50.00	-	50.00
8	महुआ फूल (सूखा)	30.00	-	30.00
9	जामुन बीज (सूखा)	42.00	-	42.00
10	कौंच बीज	21.00	-	21.00
11	धवई फूल (सूखा)	37.00	-	37.00
12	करंज बीज	22.00	-	22.00
13	बायबडिंग	94.00	-	94.00
14	आंवला (बीज रहित)	52.00	-	52.00
15	फूल इमली (बीज रहित इमली)	63.00	-	63.00
16	सालबीज	20.00	-	20.00
17	चिरौंजी गुठली	126.00	-	126.00
18	हर्रा	15.00	-	15.00
19	बहेड़ा	17.00	-	17.00
20	पुवाड़ (चरौटा बीज)	16.00	-	16.00
21	गिलोय	40.00	-	40.00
22	भेलवा	09.00	-	09.00
23	कुसुमी लाख	275.00	रू. 25 प्रति कि.ग्रा. की वृद्धि	300.00
24	रंगीनी लाख	200.00	रू. 20 प्रति कि.ग्रा. की वृद्धि	220.00
25	कुल्लू गोंद	114.00	रू. 11 प्रति कि.ग्रा. की वृद्धि	125.00
26	वन तुलसी बीज	16.00	-	16.00
27	वन जीरा बीज	70.00	-	70.00
28	इमली बीज	11.00	-	11.00
29	बहेड़ा कचरिया	20.00	-	20.00
30	हर्रा कचरिया	23.00	रू. 2.00 प्रति कि.ग्रा. की वृद्धि	25.00
31	नीम बीज	27.00	-	27.00
32	कुसुम बीज	23.00	-	23.00
33	रीठा फल (सूखा)	14.00	-	14.00
34	शिकाकाई फल्ली (सूखा)	50.00	-	50.00
35	सतावर जड़ (सूखा)	107.00	-	107.00

क्र.	वनोपज का नाम	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर (रू. प्रति कि.ग्रा.)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि /कमी का प्रस्ताव	छ.ग. शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रू. प्रति कि.ग्रा.)
1	2	3	3	4
		न्यूनतम समर्थन मूल्य		
36	काजू गुठली	90.00	-	90.00
37	मालकांगनी बीज	100.00	-	100.00
38	माहुल पत्ता	15.00	-	15.00

तालिका - 6
संघ द्वारा निर्धारित दर वाले लघु वनोपज की जानकारी

क्र.	वनोपज का नाम	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर (रू. प्रति कि.ग्रा.)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि /कमी का प्रस्ताव	छ.ग. शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रू. प्रति कि.ग्रा.)
1.	पलाश फूल	10.00	–	10.00
2.	सफेद मूसली (सूखा)	650.00	–	650.00
3.	इन्द्रजौ	150.00	–	150.00
4.	पताल कुम्हड़ा	30.00	–	30.00
5.	कुटज	11.00	–	11.00
6.	अश्वगंधा	325.00	–	325.00
7.	आंवला (कच्चा)	28.00	–	28.00
8.	सवई घास	14.00	–	14.00
9.	कांटा झाडू	23.00	–	23.00
10.	तिखुर	25.00	–	25.00
11.	बीहन लाख –कुसुमी	300.00	–	300.00
12.	बीहन लाख –रंगीनी	220.00	–	220.00
13.	बेल (कच्चा)	10.00	–	10.00
14.	जामुन (कच्चा)	23.00	–	23.00

संग्रहण केन्द्र छिंदौली, सुकमा

23.5.2 लघु वनोपज प्रसंस्करण :-

(i) **प्रधानमंत्री वन-धन योजना** :- लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु राज्य में 139 वन–धन विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री वन–धन योजनांतर्गत प्रत्येक केंद्र के लिये रूपये 15.00 लाख अनुदान राशि भारत शासन से प्राप्त हुआ है।

संघ द्वारा संग्रहित वनोपज के प्राथमिक प्रसंस्करण/प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये राज्य में 139 वन–धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से 120 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार कर ''**छत्तीसगढ़ हर्बल्स**'' **ब्रान्ड** नाम पर संजीवनों केंद्रों द्वारा विक्रय किये जा रहे हैं। उक्त कार्य से लगभग 13900 महिला स्व–सहायता समूहों के सदस्य लाभान्वित हो रही हैं।

औषधी प्रसंस्करण-वनधन विकास केन्द्र डोंगानाला, कटघोरा

सवई रस्सी टोकरी-वनधन विकास केन्द्र कडना, धरमजयगढ़

आंवला प्रसंस्करण-वनधन विकास केन्द्र बरोंडा, बलौदाबाजार

फूल झाड् प्रसंस्करण-वनधन विकास केन्द्र

हितग्राही विवरण :- अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण कार्य से 6 लाख संग्राहकों को लाभ प्राप्त हो रहा है। लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण कार्य से राज्य लगभग 6000 महिला स्व–सहायता समूह के अंतर्गत 70000 महिला सदस्य लाभान्वित हो रही है। स्व–सहायता समूहों की सहायता के लिए 12वीं उत्तीर्ण 1000 हजार युवक–युवतियों को प्रेरक के रूप में चयन कर रोजगार प्रदान किया गया है।

(iii) **प्रशिक्षण** :- लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण से संलग्न स्व–सहायता समूहों के सदस्यों का सतत् रूप से प्रशिक्षण किया जा रहा है। कोविड–19 संकट के समय भी स्व–सहायता समूहों को प्रशिक्षित किया गया है।

वर्तमान वर्ष में स्व–सहायता समूहों को ऑनलाईन (वर्चुअल) तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। संघ द्वारा आयोजित ऑनलाईन प्रशिक्षण में लगभग 7000 हितग्राहियों को एक बार में सप्लाई चैन विषय पर प्रशिक्षित किया गया है। इसी प्रकार वनधन विकास केन्द्र में प्रसंस्करण कार्य से जुड़े लगभग 200 हितग्राहियों को लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग विषय पर ''**टेक फार ट्राईब**'' कार्यक्रम अंतर्गत आई.आई.टी कानपुर के सहयोग से ऑनलाईन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

संघ द्वारा आयोजित ऑनलाईन (वर्चुवल) प्रशिक्षण-सप्लाई चैन मैनेजमेंट विषय पर

ट्राइफेड द्वारा आयोजित टेक फार ट्राइबल कार्यक्रम के तहत आयोजित आनलाईन

(iv) **केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई** :- छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित हो रहे लघु वनोपज का प्रसंस्करण राज्य में करने हेतु दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम जामगांव (एम) में 45.26 हेक्टेयर में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जा रही है। इसके एक भाग में संघ स्वयं तथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप के माध्यम से उद्योग स्थापित करेगी एवं दूसरे भाग में सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर द्वारा लघु वनोपज प्रसंस्करण उद्योग विकसित किया जायेगा। केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई में प्रयोगशाला, गोदाम, शीतगृह, ड्राईंग प्लेट फार्म एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जावेगी । केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना होने से वृहद स्तर पर लघु वनोपजों का प्रसंस्करण राज्य में ही हो पायेगा जिससे संग्राहकों को लाभ मिलने के साथ–साथ राज्य के लोगों को भी रोजगार की प्राप्ति होगी।

(v) **क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई** :- इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए संघ द्वारा 2 स्थानों पर क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई क्रमशः ग्राम बालूद, दंतेवाड़ा में 30 हेक्टेयर में तथा सूरजपुर में 5 एकड़ में विकसित की जावेगी। क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई दंतेवाड़ा में भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई सूरजपुर में क्षेत्र का चुनाव किया जा रहा है।

23.5.3 लघु वनोपज विपणन :- न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से संग्रहित लघु वनोपज को ऑनलाईन निविदा के माध्यम से विक्रय किया जाता है। राजकीय वनोपज व्यापार के अंतर्विभागीय समिति के निर्णय के अनुसार सीमित वनोपज को निश्चित दर पर भी विक्रय किया जाता है। संघ द्वारा स्थापित वन–धन विकास केंद्रों तथा प्रसंस्करण इकाईयों के माध्यम से निर्मित हर्बल उत्पादों को रिटैल मार्केटिंग करने हेतु डिस्ट्रीब्यूटर की नियुक्ति की गई है, जिसके माध्यम से राज्य के अलावा मध्यप्रदेश में भी हर्बल उत्पादों का विक्रय किया जावेगा। राज्य में थोक विक्रय हेतु 06 NWFP मार्ट एवं रिटेल विक्रय हेतु 27 संजीवनी विक्रय केन्द्र संचालित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 स्व–सहायता समूह द्वारा निर्मित हर्बल उत्पादों का 31.12.2020 तक की स्थिति में रू. 2.15 करोड़ विक्रय किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जशपुर में नवनिर्मित संजीवनी विक्रय केन्द्र का लोकार्पण

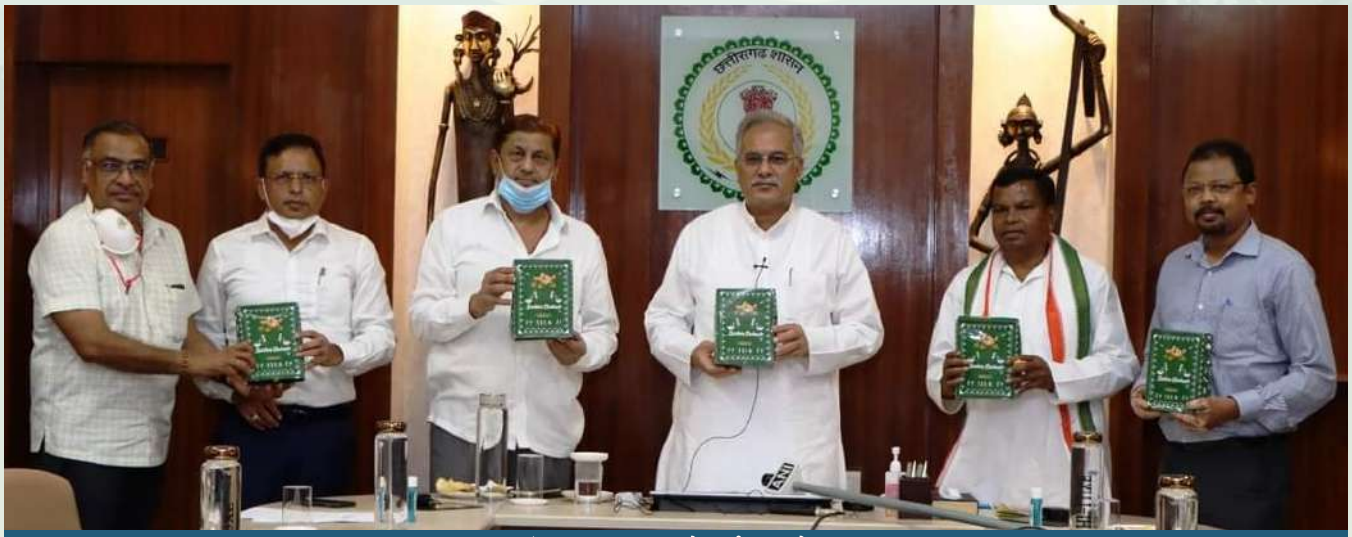

प्रसंस्कृत काजू का लोकार्पण करते हुए

23.5.4 अनुसंधान एवं विस्तार :- राज्य में उत्पादित विभिन्न प्रकार के लघु वनोपज प्रसंस्करण आदि हेतु ख्याति प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के साथ अनुबंध किया जा रहा है। महुआ आधारित उत्पाद संबंधी अनुसंधान कार्य हेतु CFTRI मैसूर से अनुबंध किया गया है। CFTRI द्वारा महुआ आधारित उत्पाद जैसे–महुआ एनर्जी बार, महुआ लड्डू, महुआ जैम, महुआ कैण्डी, महुआ आर.टी.एस. एवं महुआ जेगरी (गुड़) का विकास किया जा रहा है। वर्तमान में 3 प्रकार के महुआ एनर्जी बार का विकास CFTRI मैसूर द्वारा किया जा चुका है एवं अन्य महुआ आधारित उत्पादों का विकास प्रगति पर है। इसी प्रकार लाख प्रसंस्करण संबंधी तकनीकी विकास के लिये अनुसंधान हेतु IIT कानपुर से अनुबंध किया जावेगा। लघु वनोपज संबंधी प्रसंस्करण, तकनीकी हस्तांतरण आदि विषयों पर Indian Council of Agricultural Research (ICAR) के साथ अनुबंध किया जावेगा।

23.5.5 लाख पालन :- छत्तीसगढ़ राज्य में 50 हजार लाख कृषकों द्वारा लगभग 4000 टन लाख का उत्पादन प्रति वर्ष होता है, इससे लगभग रूपये 100 करोड़ का आय ग्रामीणों को प्राप्त होता है। आगामी 03 वर्ष में लाख उत्पादन 4000 टन से बढ़ाकर 10,000 टन वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। इस हेतु लाख पालन को कृषि समतुल्य मानते हुये लाख पालन के लिये बिना किसी ब्याज के फसल ऋण, फसल बीमा सुविधा देने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त बीहन लाख उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था की जा रही है। लाख कृषकों को वैज्ञानिक खेती अपनाने हेतु लाख उत्पादन क्षेत्र में लाख फेसिलिटेटर को प्रशिक्षित कर उपयोग करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुसुमी लाख को रू. 300/– प्रति कि.ग्रा. तथा रंगीनी लाख को रू. 225/– पर क्रय करते हुये 20 क्षेत्रीय संयत्रों द्वारा क्रय किये गये छीली लाख को प्रसंस्कृत करते हुये सीड लाख तैयार कर विक्रय करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त कार्य द्वारा लाख पालन में वृद्धि के साथ ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा।

23.5.6 उद्यमिता विकास :- राज्य औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत राज्य में लघु वनोपज आधारित नवीन उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु प्रावधान किया गया है। उक्त उद्योग को बढ़ावा देने हेतु संघ में Enterpreneurship Development Cell स्थापित किया जावेगा।

भाग – पाँच

24. ''छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड''

माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 24.11.2019 को राज्य स्तरीय वैद्य सम्मेलन सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम में Traditional Medicine Board की स्थापना की घोषणा की गई थी, जिसके परिपालन में मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 08.10.2020 में लिये गये निर्णय अनुसार, छत्तीसगढ राज्य औषधि पादप बोर्ड को उनके वर्तमान दायित्व एवं कार्यों को पुनर्भाषित करते हुए ''**छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड**'' का पुर्नगठन किया गया है ।

24.1 छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के मुख्य दायित्व

1. वनौषधि के विकास हेतु शोध और अनुसंधान कराना।
2. केन्द्रीय औषधि पादप बोर्ड या राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य के विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही औषधि पौधों के विकास की योजनाओं का अनुश्रवण करना।
3. औषधि वनस्पतियों के संरक्षण, संवर्धन एवं विनाश विहीन विदोहन हेतु नीति तथा योजनाएं बनाना एवं क्रियान्वयन, उपार्जन, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की योजना बनाना।
4. औषधि पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण।
5. औषधि वनस्पतियों का प्रसंस्करण (कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों की स्थापना) तथा वनौषधियों के निर्माण तथा उत्पादों के निर्यात एवं विपणन की योजना बनाना।
6. औषधि पौधों की मांग एवं आपूर्ति का आकलन कराना तथा औषधि पौधों के कृषिकरण को प्रोत्साहित करना।
7. प्रदेश की वनौषधि जैव–विविधता को सुरक्षित रखने हेतु औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं औषधीय पौधों के उपयोग तथा जनजातीय एवं स्थानीय स्वास्थ्य परम्परागत ज्ञान को जन सामान्य में जागरूकता के लिए प्रचार–प्रसार करना।
8. औषधि पौधों के विकास के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।
9. जनजातीय एवं स्थानीय परंपरागत उपचारकर्ताओं की पहचान करना, क्षमता विकास हेतु कार्य, सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण का आयोजन कर आदिवासी एवं स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं का अभिलेखीकरण। उपचार केन्द्र की स्थापना/संचालन।
10. जनजातीय एवं स्थानीय परंपरागत उपचारकर्ताओं तथा समुदाय के औषधि पौधों के ज्ञान एवं उपयोग को पेटेंट कराने एवं पेटेंट उपरांत उत्पादन एवं व्यवसायीकरण हेतु प्रयाय।
11. जनजातीय और स्थानीय मानव, पशुओं एवं पादपों के स्वास्थ्य और पौषण संबंधी परंपरा और प्रथाओं के ज्ञान का अभिलेखन कर, उनके बौद्धिक संपदा को लिपिबद्ध का कार्य।
12. जनजातीय एवं स्थानीय परंपरागत उपचारकर्ताओं के उत्थान हेतु नीति एवं योजनायें बनाना।

13. औषधीय पौधों के वैज्ञानिक उपयोग के आधार पर जनजातीय एवं स्थानीय परंपराओं के द्वारा राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य (Universal health) को प्राप्ति के लिए प्रयास।
14. राज्य में सर्वेक्षण द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य एवं आहार परंपराओं जिसमें स्थानीय समुदाय एवं पारिस्थितिकीय विशिष्ट घरेलु उपचार, आहार विधियों एवं इनके मौसमी उपयोगिता के आधार पर एटलस तैयार करना।
15. जनजातीय एवं स्थानीय स्वास्थ्य परंपरागत ज्ञान, औषधीय पौधों से संबंधित अन्य अनुशांगिक कार्य।

छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड, की पद संरचना

छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड_के स्वीकृत पद संरचना का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	रिमार्क
01.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	01	01	–	–
02.	अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (वन संरक्षक स्तर का)	01	01	–	–
03.	संयुक्त संचालक ग्रेड का आयुर्वेदिक औषधि विशेषज्ञ (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग)	01	01	–	संविदा पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कार्यरत
04.	शीघ्रलेखक	01	–	01	दैनिक श्रमिक द्वारा दायित्व का निर्वहन
05.	लेखापाल	01	–	01	–"–
06.	डाटाएन्ट्री आपरेटर	02	–	02	–"–
07.	उच्च श्रेणी लिपिक	01	–	01	–"–
08.	स्वागतकर्ता	01	–	01	–"–
09.	संदेशवाहक	02	02	–	–
10.	वन क्षेत्रपाल	02	–	02	–
11.	उप वन क्षेत्रपाल	02	–	02	–
12.	निज सहायक	01	00	01	–
13.	सहायक ग्रेड–2	01	00	01	–
14.	सहायक ग्रेड–3	02	00	02	–
15.	भृत्य	01	00	01	–

बोर्ड के कार्य मुख्य रुप से वन विभाग के मैदानी अमले के माध्यम से संपन्न किये जाते हैं ।

24.2 बजट की जानकारी

(राशि रु. लाखों में)

वित्तीय वर्ष	आबंटन राशि	व्यय राशि
2020–21	630.00	500.32

* वर्ष 2020–21 के लिए 900.00 लाख की बजट स्वीकृत है, किन्तु वित्त विभाग के निर्देशानुसार 70 प्रतिशत राशि रू. 630.00 लाख राशि प्राप्त।

24.3 राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड

आयुष मिशन -

वित्तीय वर्ष	आबंटन	व्यय
2016–17	152.63	–
2017–18	178.21	2.69
2018–19	107·86	12·53
2019–20	–	13.05
2020–21	–	77.60

24.4 बोर्ड द्वारा कराये गये कार्य

छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड में प्रचलित योजनाओं की अद्यतन जानकारी –

राज्य मद अंतर्गत कार्य -

- बोर्ड द्वारा 24 नवम्बर 2019 को रायपुर में वृहद राज्य स्तरीय परंपरागत वैद्य सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1205 वैद्य सम्मिलित हुए।
- होम हर्बल गार्डन योजनांतर्गत 20 वनमंडलों मे औषधीय पौधों (गिलोय, ब्राह्मी, एलोवेरा, अडूसा, सतावर, पीपली, मंडूकपर्णी, चिरायता, स्टीविया, गुड़मार, सहजन, अश्वगंधा, तुलसी, निर्गुण्डी, हड़जोड़) 23 प्रजातियों को तैयार कर निःशुल्क वितरण कार्य वर्षा ऋतु 2020 में प्रारंभ किया जा चुका है।
- गरियाबंद वनमंडल में 216 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औषधीय पौधा (सर्पगंधा एवं सतावर) वृक्षारोपण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है (वर्ष 2018–19 में)।
- 06 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र (MPCA) की स्थापना 01 बस्तर, 01 कटघोरा, 04 पश्चिम भानुप्रतापपुर में की गई है। कुल क्षेत्रफल 1200 हे.।
- छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा 30 हे. में 14 हर्बल गार्डन (नारायणपुर, दक्षिण कोण्डागांव–2, रायपुर, सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर, दुर्ग, केशकाल, महासमुंद, पश्चिम भानुप्रतापपुर, सूरजपुर, बस्तर, बलरामपुर) स्थापित किया गया।

कैम्पा मद अंतर्गत कार्य -

औषधीय पौधों का वितरण

- कैम्पा परियोजना अंतर्गत 07 वनमंडल (केशकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़, बलरामपुर, सरगुजा) में 1400 हेक्टेयर क्षेत्रफल एम.पी.सी.ए. स्थापित की गई।
- कैम्पा परियोजना अंतर्गत केशकाल वनमंडल में कुल 733 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औषधीय पौधा विकास क्षेत्र के स्थापना का कार्य प्रचलित है।
- कैम्पा परियोजना अंतर्गत किये गये कार्यो को समाहित करते हुए 01 लघुवृत्त चित्र का निर्माण कराया गया।
- कोरबा वनमंडल अंतर्गत एम.पी.सी.ए. पहाडजमली में लोक जैव विविधता पंजी (People Biodiversity Register) डॉक्यूमेंटेशन कार्य किया गया है।

ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ एवं विनाश विहीन विदोहन प्रशिक्षण

बी.बी.आर. प्रशिक्षण

एम.पी.सी.ए. एवं एम.पी.डी.ए.

24.5 राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के वित्तीय सहयोग से विभिन्न मदों में प्रचलित कार्य -

राष्ट्रीय आयुष मिशन -

- राष्ट्रीय आयुष मिशन वर्ष 2016–17 में स्वीकृत कार्य अंतर्गत धमतरी वनमंडल में 54.7 हेक्ट. क्षेत्र में कृषिकरण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड -

- UNDP परियोजना अंतर्गत स्थापित 07 एम.पी.सी.ए. क्षेत्रों में (बस्तर, धमतरी, खैरागढ़, मरवाही, जशपुर, सरगुजा, दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल) JFMCs द्वारा वनोपज का संग्रहण कर प्राथमिक प्रसंस्करण व मार्केटिंग हेतु NMPB के परियोजना "Sustainable Collection, Value Addition, Warehousing and Marketing of Selected RET and high traded Medicinal Plants Species covering 21 JFMCs 07 Forest Division of Chhattisgarh" के लिए NMPB से राशि रू. 315.00 लाख मंजूर की गई तथा राशि रू. 126.00 लाख प्राप्त हुआ है, जिसमें गोडाउन एवं ड्राईंग शेड निर्माण कार्य है, प्रथम चरण में खैरागढ़ (राशि रू. 30.00 लाख), सूरजपुर (राशि रू. 30.00 लाख) वनमंडल में निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 60 लाख का कार्य स्वीकृति प्रदान की गई है।

न्यूक्लियस सेन्टर छत्तीसगढ़ (एन.एम.पी.बी. द्वारा वित्तीयपोषित) अंतर्गत कार्य -

न्यूक्लियस सेंटर मद (एन.एम.पी.बी. द्वारा वित्तीयपोषित) अंतर्गत बोर्ड द्वारा 24 नवम्बर 2019 को आयोजित वृहद राज्य स्तरीय सम्मलेन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में औषधीय पौधों का विनाश विहीन विदोहन तकनीक/गुड एग्रीकल्चर प्रेक्टिसेस/गुड फील्ड कलेक्शन प्रेक्टिसेस तथा एन.एम.पी.बी. द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यो पर सेमीनार कराया गया।

प्रशिक्षण/वैद्य सम्मेलन

क्र.	मद का नाम	विषय	वर्ष	स्थान	लाभान्वित की संख्या लगभग
01	कैम्पा मद	औषधीय पौधों का विनाश विहीन विदोहन संग्रहण प्रशिक्षण	2019–20	कटघोरा	54
02	कैम्पा मद	लोक जैव विविधता पंजी तैयार करने हेतु प्रशिक्षण	2019–20	कटघोरा एवं बैगलोर	25
03	कैम्पा मद	ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ प्रशिक्षण	2019–20	केशकाल, धमतरी, बलरामपुर	30
04	राज्य मद	राज्य स्तरीय परंपरागत वैद्य सम्मेलन	2019	रायपुर	1200

छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों को आम जनता तक उपलब्ध कराने तथा प्रचार-प्रसार हेतु संचालित केन्द्र

- हर्बल उत्पाद निर्माण के क्षेत्र में कार्य करने वाले 03 स्व–सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने हेतु उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को बोर्ड द्वारा अपने विक्रय केन्द्र के माध्यम से विपणन की सुविधा उपलब्ध करायी गई है तथा एन.डब्ल्यू.एफ.पी. मार्ट जो छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के अधीन है, वहाँ से भी हर्बल उत्पाद विक्रय किये जाते है।

- विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों से आएं आमजनों के मध्य छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों का विक्रय/प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से: 02 हर्बल उत्पाद विक्रय केन्द्र का संचालन रायपुर रेलवे स्टेशन एवं स्वामी विवेकानंद विमानतल, रायपुर पर किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लगभग राशि रू. 90,000/– प्रति माह विक्रय होता है।

वर्ष 2020-21 में प्रस्तावित कार्य

- वनमंडलों के अंतर्गत नवीन क्षेत्रों में औषधीय रोपण कार्य।
- औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, उन वनमंडलों में जहॉ पूर्व में स्थापित नहीं की गई है।
- होम हर्बल गार्डन योजनांतर्गत नर्सरियों की स्थापना कर निःशुल्क औषधीय पौधा वितरण।
- ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ एवं परंपरागत वैद्यों का प्रशिक्षण सह सम्मेलन का आयोजन।
- वनमंडल स्तर पर कृषकों का चयन कर औषधीय पौधों का कृषिकरण किया जाना प्रस्तावित है।
- औषधीय पौधौं एवं उनसे संबंधित अद्यतन जानकारियों का पोर्टल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
- औषधीय पौधों की जानकारियों से परिपूर्ण एटलस का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

भाग – छः

25. छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड

1/– छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का पुर्नगठन छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के आदेश क्र./एफ 8–21/2005/10–2 दिनांक 09.01.2020 के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के पदाधिकारी निम्नानुसार हैं :–

I.	अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड	–	अध्यक्ष
II.	**पदेन / शासकीय सदस्य**		
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैवविविधता संरक्षण) छत्तीसगढ़	–	सदस्य
2.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)	–	सदस्य
3.	कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	–	सदस्य
4.	कुलपति, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा	–	सदस्य
III.	**विशेषज्ञ/अशासकीय सदस्य**		
1.	प्रो. एम.एल.नायक, पूर्व विभागाध्यक्ष (स्कूल ऑफ लाईफ साईसेंस) पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	–	सदस्य
2.	संचालक, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया	–	सदस्य
3.	संचालक, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया	–	सदस्य
4.	डॉ. फैयाज ए. खुदसर, वैज्ञानिक बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोग्राम,	–	सदस्य
5.	श्री अशोक तिवारी (से.नि.) क्यूरेटर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	–	सदस्य
IV.	**सदस्य सचिव**		
1.	राज्य शासन द्वारा नियुक्त/नामांकित वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	–	सदस्य सचिव

2/– छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम – 2015 छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 08–04/2011/10–2 दिनांक 01 जून 2015 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का सं. 18) के क्रियान्वयन के संबंध में छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र क्र. 26 रायपुर दिनांक 26 जून 2015 में किया गया है।

3/– जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार सम्पूर्ण प्रदेश के स्थानीय निकायों में बी.एम.सी. के गठन एवं पी.बी.आर. निर्माण की प्रगति दिनांक 31.01.2021 की स्थिति में निम्नानुसार हैं:–

क्र.	जैव विविधता प्रबंधन समिति का स्तर	बी.एम.सी. गठन का लक्ष्य (संख्या)	गठित बी.एम.सी. की संख्या	पी.बी.आर. निर्माण का लक्ष्य	पी.बी.आर. निर्माण की संख्या
1	पंचायत स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति	11664	11524	11664	1754
2	जनपद स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति	146	145	146	0
3	जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति	28	28	28	0
4	नगरीय निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति	166	165	166	0
	कुल	**12004**	**11862**	**12004**	**1754**

4/– 142 स्थानीय निकायों में जैवविविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) के गठन एवं 1868 लोक जैवविविधता पंजी (पी.बी.आर.) निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

5/– छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस 22 मई 2020 के अवसर पर राज्य में जैवविविधता के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से ऑनलाईन कला प्रतियोगिता (फोटोग्राफी, निबंध लेखन एवं पोस्टर तैयार करने) का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में लगभग 7000 प्रतिभागियों द्वारा अपनी सहभागिता की गयी तथा बोर्ड द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तथा 30 सांत्वना पुरस्कारों में राशि रू. 70,000 की पुरस्कार राशि वितरित की गयी।

6/– मुख्य वैज्ञानिक, नोडल अधिकारी, पी.पी.व्ही. एंड एफ.आर.ए. डिर्पाटमेंट ऑफ जैनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, इंदिरा गांधी, कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट "Mainstreaming of agriculture biodiversity "Mainstreaming of agricultural biodiversity conservation and documentation of enriched heritage sites of Chhattisgarh to ensure commercialization services" अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी वनमंडल के 12 ग्राम पंचायतों Bagroomnala, Bedhawabathra, Jhunjhrakasha, Gondlanala, Pandripani, Keramuda, Hitali, Kavhabahra, Kekrakholi, Bhandarwadi, Sonjhari, Mudkera में धान के विभिन्न जैविक प्रजातियों के अध्ययन करने हेतु जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) के गठन एवं लोक जैव विविधता पंजी (पी.बी.आर.) के निर्माण की कार्यवाही की गयी है।

7/– मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) छ.ग., अटल नगर, रायपुर के द्वारा कैम्पा मद के अतिरिक्त ए.पी.ओ. 2020–21 एवं वन्यप्राणी प्रबंधन योजना में बायोडायवर्सिटी प्रबंधन एवं बायोडायवर्सिटी रिर्सोस के विकास हेतु एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 2675 लोक जैव विविधता पंजी (पी.बी.आर.) के निर्माण हेतु राशि रू. 3076.25 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8/– छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ.8–4/2011/10–2 रायपुर दिनांक 01.08.2015 के द्वारा छ.ग.रा.जै.वि.बोर्ड एवं BMCs के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिये सक्षम एवं उत्तरदायी संस्था के रूप में प्रत्येक वनमंडल स्तर पर तकनीकी सहायता समूह (Technical Support Group) के गठन के लिए जिले के वनमंडलाधिकारी को उक्त समूह के नोडल अधिकारी/समन्वयक के रूप में कार्य करने हेतु उक्त आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त 34 वनमंडलाधिकारियों/नोडल अधिकारियों के द्वारा उनके जिलों में तकनीकी सहायता समूह के गठन के आदेश जारी किये गये है।

9/– छ.ग.रा.जै.वि. बोर्ड, रायपुर द्वारा निम्नानुसार पुस्तकों का प्रकाशन विशेषज्ञों की सहायता से किया गया है :–

क्र.	पुस्तक का नाम	लिपि
1	Biological Diversity Act - 2002	अंग्रेजी
2	जैव विविधता अधिनियम 2002	हिन्दी
3	जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) के प्रचालन के लिए दिशा निर्देश	हिन्दी
4	"Snakes and other Reptiles of Chhattisgarh"	हिन्दी एवं अंग्रेजी
5	SOUVENIR "On the Occasion of World Biodiversity Day 22nd May 2016"	हिन्दी
6	मानक परिचालन प्रक्रिया संदर्भ बाघ एवं तेन्दुआ	हिन्दी
7	छत्तीसगढ़ राज्य जैव–विविधता बोर्ड से संबंधित अधिनियम/नियम एवं दिशानिर्देश	हिन्दी एवं अंग्रेजी
8	"Birds Of Chhattisgarh"	अंग्रेजी

10/– छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड की वेबसाईट www.cgsbb.org संचालित है।

11/– स्टेट बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एवं एक्शन प्लान (SBSAP) तैयार करने हेतु राशि रू. 40.66 लाख के प्रोजेक्ट की स्वीकृति यू.एन.डी.पी. द्वारा की गयी है, जिसके लिए एन.जी.ओ. वाइल्ड लाइफ एंड व्ही फाउन्डेशन, मुम्बई से अनुबंध कर प्लान तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

12/– छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा राज्य में "Threatened & Endangered Species of Wild Medicinal Plant" का चिन्हांकन करने हेतु एन.जी.ओ. Foundation for Revitalisation of Local Health Traditions (FRLHT) को कार्य आबंटित किया गया है। कार्यवाही प्रगति पर है।

13/– छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त वनवृत्तों में जैवविविधता प्रबंधन समिति (BMC) के गठन एवं लोक जैवविविधता पंजी (PBR) के निर्माण हेतु कार्यशाला आयोजित कर क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सदस्य सचिव एवं उप वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं विषय

विशेषज्ञों द्वारा पी.बी.आर. के निर्माण एवं जैवविविधता संबंधित विषयों पर कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

14/– दिनांक 02 फरवरी 2021 को गिधवा–परसदा पक्षी महोत्सव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य जैवविविधता बोर्ड को निम्न अतिरिक्त जिम्मेदारियां देने हेतु घोषणा की गयी हैं :–

- गिधवा एवं परसदा ग्रामों के आसपास जिन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी आते है, उसके संरक्षण की योजना बनाकर छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा कार्य किया जावेगा। साथ ही क्षेत्र में एक पक्षी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा, जहां राज्य के प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों की जैवविविधता संबंधी जानकारी एवं प्रशिक्षण जन सामान्य को दी जावेगी।
- राज्य के समस्त ऐसे वेटलैंण्ड जिसमें प्रवासी पक्षी आते है एवं जैवविविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनके संरक्षण एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड को दी जावेगी।

कार्यालय कलेक्टर, जिला बेमेतरा के पत्र क्रमांक 7236/मु.मं.घो./2021 दिनांक 04.02.2021 के द्वारा उक्त घोषणा के संबंध में अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, महानदी भवन को पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त घोषणा के पालन में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

महुआ लड्डू

सीड बॉल

नदी तट वृक्षारोपण, रायपुर

गिधवा-परसदा Wet Land

हरियर छ.ग. कोष योजनान्तर्गत पंचवन पलौद वृक्षारोपण

आंवला प्रसंस्करण केन्द्र, मैनपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर

फोन: 0771-2512800, फैक्स: 0771-2512801

Email: pccf-fhq@cg.gov.in, www.cgforest.com